

**राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएपी), छत्तीसगढ़
की 131वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएपी), छत्तीसगढ़ ने 131वीं बैठक दिनांक 10/10/2022 को अपराह्न 12:00 बजे भी देवाशीष दास, अमृत, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ वी अवस्था में संचल रही। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे—

1. डॉ. दीपक शिंहा, नायक, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
2. श्री आरपी. ठिकारी, नायक नायिक, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक के द्वारा मै तकनीयी अधिकारी, नायिकालय, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अप्राप्त एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। शुभप्रवास एवं बधायार पर्यावरण निर्णय लिया गया।

एजेंट्स आवटम क्रमांक-1

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ वी 130वीं बैठक दिनांक 10/10/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुशोदन।

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ वी 130वीं बैठक दिनांक 10/10/2022 को आवोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुशोदन किया गया।

एजेंट्स आवटम क्रमांक-2

राज्य सतरीय पिंडीदार गूँड्याकं नामित, छत्तीसगढ़ की 422वीं एवं 423वीं बैठक अमरा दिनांक 07/09/2022 एवं 08/09/2022 की अनुशासा के आधार पर बीच/गूँड्य सुनिजो एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी फूकरणों में निर्णय लिया जाना।

1. बेस्टी श्री बालाजी कटीन इच्छकटीज (पार्टनर— श्री निकुञ्ज पटेल, खौरवानी कटीन कवारी झोपोकट), राम-खौरवानी, तहसील-सिंगरा, जिला-बलौदाबाहार-भाटापाना (समिकालक का नस्ती क्रमांक 1829)

ऑनलाईन आवेदन – एकआईए / सीजी / एकआईए / 72155 / 2022 दिनांक 10/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया। वरिदोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से इसमें दिनांक 15/02/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यहित जानकारी दिनांक 03/03/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गोल घूमिय) खदान है। खदान राम-खौरवानी, तहसील-सिंगरा, जिला-बलौदाबाहार-भाटापाना स्थित खदान क्रमांक

384, 385(पार्ट), 386, 404, 405 एवं 407, यूज कॉर्पस-34 हेवेंयर में प्रस्तावित है। खदान की अवैदिता उत्तरामन कमता-76.376 टन प्रतिवर्ष है।

तादानुसार चरिकोजना प्रशालक की एवईएसी, छलीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02 / 09 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 07 / 09 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की निकूञ्ज पटेल, पाटेल उपसिंह थारे। समिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर मिस्टर सिंहलि पाई गई—

- पूर्व में जारी चारोंवरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान की पूर्व में चारोंवरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- ग्राम पंचायत का अनापति प्रभाग पत्र — उत्तरामन एवं ड्रेसर के संबंध में शाम पंचायत बासीन का दिनांक 28 / 09 / 2012 का अनापति इमार पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का यह है कि शाम पंचायत द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु अनापति प्रभाग पत्र जारी किया गया है, जिसकी वैधता समाप्त होने वाली है। अतः फाईनल हेवईए रिपोर्ट के साथ शाम पंचायत का अद्यतन अनापति प्रभाग पत्र (कार्यवाही बैठक, दिनांक शहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- शत्क्षणन बौजना — नाइनिंग प्लान एलीन विल मॉडिलाईव प्रोप्रेशन ग्राहन बलीजर प्लान विल इन्डिपेंडेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो शंखुकल—शंखालक (ख.प्र.), संखलनालप, बीमिकी लथा खणिकम् ज्वा रायपुर ड्रेसर नगर के ने शाम पत्रांक 425/ख.लि. 02/मा.प्ल.अनुमोदन/ख.प्र. 08 / 2021(1) नवा रायपुर, दिनांक 01 / 02 / 2022 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में विषय खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—बलीदाबाजार—भाटापाना के शाम पत्रांक / 1016 / ख.लि. / 2021 बलीदाबाजार, दिनांक 03 / 01 / 2022 अनुसार अवैदित खदान से 500 मीटर की ओर अवधिकरण 4 खदानों, कॉरपस 6.165 हेवेंयर है।
- 200 मीटर की परिधि में विषय खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—बलीदाबाजार—भाटापाना के शाम पत्रांक / 1016 / ख.लि. / 2021 बलीदाबाजार, दिनांक 03 / 01 / 2022 द्वारा जारी प्रभाग पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र नहीं मरिए, नरिजाद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, घोटीकर, बांध एवं जल आवृति आदि प्रतिक्रिया क्षेत्र किया गया है।
- एलओआई का विवरण — एलओआई मेहसूस की बालाजी स्टोन इंडस्ट्रीज के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बलीदाबाजार—भाटापाना के शाम पत्र नं. 958 / गौ.ख.लिज / ख.प. / 2020 बलीदाबाजार, दिनांक 16 / 12 / 2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
- भू—स्वामिलव — भूमि श्री बालाजी स्टोन इंडस्ट्रीज के नाम पर है, जिसमें श्री धोपेता कुमार पटेल, श्री लक्ष्म पटेल, श्री निकूञ्ज पटेल एवं श्री जयली शर्मा पटेल बाटेनहीं हैं। उत्तरामन हेतु पार्टनरहीय शील की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. यह विस्तार का अन्यायिल सुनाम पत्र – कार्यालय उनमन्त्रितानिकारी, बलीदावाजार बनगप्पल, बलीदावाजार के लाएन इनोक/लक्ष्मीनीकी/ लैपिट/ 2022/ 1618 बलीदावाजार, दिनांक 07/08/2022 से जारी अनावलित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महात्मपूर्ण सारंखनाओं की दूरी – निकटतम आवाही पान—जैवकारी 1.02 कि.मी. रक्खुन गां—सुहेला 1.21 कि.मी. एवं अस्पतल सुहेला 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 कि.मी. एवं राष्ट्रमार्ग 11 कि.मी. दूर है। गालाब 1 कि.मी. दूर है।
11. वारिशियतिकीय/ जैवविविधता संबोधनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिभौमि में आंतरिकीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अमयाराष्ट्र केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र द्वारा घोषित डिटिकली पॉल्यूटेंड दृरिया, वारिशियतिकीय संबोधनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र लिया नहीं होना प्रतिबंधित किया गया है।
12. खानग सांचदा एवं खानन का विवरण – लियोलीजिकल रिजर्व 16,15,000 टन, चाईनेक्स रिजर्व 11,02,180 टन एवं टिक्कारोबल रिजर्व 10,47,060 टन है। लीज की 7.5 बीटर खीझी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,400 वर्गमीटर है। ओपन काल सीमी केलोलाईज विहि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में कपरी निट्री की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल गात्रा 26,860 घनमीटर है। दीव पी छंवाई 1.5 मीटर एवं छोड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की समावित आयु 15.76 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ब्रह्मन रक्षावित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर एवं रॉक लेवल से फ्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। राजान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का नियन्त्रण किया जाएगा। कर्वाचर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	78,875
द्वितीय	73,530
तृतीय	69,840
चतुर्थ	65,730
पंचम	61,567.5

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की गात्रा 8,272 घनमीटर प्रतिदिन होती। जल की आपूर्ति बोरेल के महायम से ही जायेगी। इस काल बोरेल गारुप्प बीटर अर्थोरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नये वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की खीझी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के जारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. नानमीर एनजीडी, लिंसिपल बैष, नई दिल्ली द्वारा रक्षावैद पार्किंग विकास बाला जलवायर, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन भवालाय, नई दिल्ली एवं अन्य (अंतर्राजनीक एजेंसीजन नं. 168 और 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में नुहाय कर से नियन्त्रित किया गया है।

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

संभिति द्वारा विचार विभाग समर्पण सर्वेसम्मति से विनानुसार निर्भव लिया गया:-

1. कांचीलिय खालेकटर (आनिया शाखा), जिला-बलीदाराबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक / 2018 / रख.लि. / 2021 बलीदाराबाजार, दिनांक 03/01/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानों के ऊंचाई 6.155 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (शाम-लौहारी) का रकमा 3.4 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (शाम-लौहारी) को मिलाकर युल रकमा 9.555 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की वैधिकी में वीकृत/संचालित खदानों का कुल ऊंचाई 5 हेक्टेयर भी अधिक का खलफटर भिन्न होने के कानून यह खदान 'बी1' क्षेत्री भी मानी गयी।
2. संभिति द्वारा विचार विभाग समर्पण सर्वेसम्मति से प्रकरण 'बी1' के टैगरी का होने के बाबत भाला सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अड्डे, 2016 में प्रकाशित रहेकहे हम्हे लौक रिफरेंस (टीओआर) और इ-आई-ए./इ-एम-पी. रिपोर्ट छोर प्रोजेक्टस/एकटीपिटीज रिक्वायरिंग इन्वेस्टिगेट लौकरेंस अध्यक्ष इ-आई-ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित थेटी 1(र) का रहेकहे टैगरीकर (लौक सुनवाई लैटिंग) नौन कोल माइनिंग प्रोजेक्टस हेतु निम्न अधिकृत टीओआर के साथ जारी गिरों जाने की अनुसंधा की गई।
 - i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit the Latest NDC of Gram Panchayat for Mining.
 - iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - vii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
 - viii. EIA study shall be at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
 - x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

- xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(I) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/08/2017.
- xiii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न १३१वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवीनीकन अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किमति उत्पादन संवर्द्धनमयी से निष्ठीक लिया गया कि लगिति द्वारा अनुसारित अतिरिक्त टीआरआर की रात्रि में मिशन संशोधन किया गया कि 2 (i) "Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report." के स्थान पर 2 (i) "Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report." पढ़ा जाए।

उपर दी प्राधिकरण द्वारा सभिति की अनुसार को स्थीरतर करते हुए उन्होंने औपर रेफरेन्स (टीआरआर) (सोक गुग्गाई सहित) मिशन अतिरिक्त जारी की अवीन आरी करने का निष्ठीक लिया गया—

- i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for at least 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- ii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

परियोजना प्रत्यावक को सजारी उन्होंने औपर रेफरेन्स (टीआरआर) (सोक गुग्गाई सहित) जारी किया जाए।

2. मेराहा नरदहा लाई रटीन माईन (प्रौ.- श्री अनुज बड्डानी), शाम—नरदहा यहसील—आरम, जिला—रायपुर (वायिकात्व का नवीनीक 2014)
अनुसाराई जावेदन — प्रयोजन नम्बर — एसआईए/ सीजी / एमआईए/ 76627 / 2022, दिनांक 05/05/2022 द्वारा टीआरआर द्वारा आवेदन किया गया।

प्रत्याप का विवरण — यह पूर्व से संबलित बूना पत्रक (भीज खण्डित) द्वारा है। शादान शाम—नरदहा ताहसील—आरेग, ज़िला—शायगुर लिखा रखाता प्रमाणक 1949 एवं 1950, बूल कोडफल—2 हैबटेकर में है। खदान की आवेदित उत्तराधान शामता—61,997 टन (24,788.8 पनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तथानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 02 / 09 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) साचिति की 422वीं बैठक दिनांक 07 / 09 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी ओवर बहवानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। साचिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित पाइ गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय नवीकृति संबंधी विवरण—

- I. पूर्व में बूना पत्रक द्वारा रखाता क्रमांक 1949 एवं 1950, बूल कोडफल — 2 हैबटेकर, शामता — 62,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय नवीकृति ज़िला शहरीय वर्धावक समाप्ति निर्धारित प्राप्तिकरण, ज़िला—शायगुर द्वारा दिनांक 28 / 02 / 2018 को जारी की गई। यह नवीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन और पालघायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 / 01 / 2021 अनुसार—

"*Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.*"

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 28 / 02 / 2024 तक ही होगी।

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय नवीकृति के शर्तों के बास्तव में जी वह कार्यवाही की जानकारी कोटीशाफ्ट सहित प्रस्तुत की गई है। साचिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत ही श्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलघायु परिवर्तन मंत्रालय, शायगुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय नवीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- III. निर्धारित शातीनुसार 650 नग द्वारा देश के द्वारा है।
- IV. कार्यालय कहीबट्ट (जारी शाया), ज़िला—शायगुर के द्वारा दिनांक 1389 / स.ति. / लौन—4 / 2022 शायगुर दिनांक 05 / 09 / 2022 द्वारा विगत बर्षी में किये गये उत्तराधान की जानकारी निभानुसार है—

वर्ष	संख्यात्मक (हेक्टर)
2018	12,870
2019	4,600
2020	1,500
2021	1,400
वर्ष, 2022 तक	700

2. यान विचारका का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उल्लेखन एवं जलवायन की स्थापना के संबंध में यान विचारका करदाहा का दिनांक 28/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. संख्यात्मक शोधना – विश्वायक वारी प्लान, इन्कारपोरेट मैनेजमेंट प्लान एवं क्षारी कलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (एसप्र), संचालनालय, भौमिकी लकड़ खनिकरी, नवा रायपुर ज़िले नगर के पु. ज्ञापन दस्तावेज 636/खंड 02/पर.अनुसूचित/नक्सा/04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 16/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 ग्रीटर की परिधि में विश्वायक वारी – कालोला कलेक्टर (खनिज राज्य), जिला-रायपुर के इकायन दस्तावेज 108/खंडि/लीन-६/2022 रायपुर, दिनांक 12/04/2022 अनुसार आवेदित वारी के 500 ग्रीटर की भीतर खनिजित 88 छद्दाने, क्षेत्रफल 173.787 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दोहन विरोधना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सभी प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत अथवा उन्हींने छद्दानों का कुल क्षेत्रफल 8433 हेक्टेयर की एवं और जारी की गई है। इस प्रकार ज्ञापित वारी से 500 ग्रीटर की भीतर आविष्यित कुल 91 छद्दाने, क्षेत्रफल 182.23 हेक्टेयर ही रहा है। अतः प्रस्तुत इंजीनियर रिपोर्ट के साथ संशोधित 500 ग्रीटर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
5. 200 ग्रीटर की परिधि में विश्वायक सार्वजनिक हीज/सारबनाए – कालोलय कलेक्टर (खनिज राज्य), जिला-रायपुर के इकायन दस्तावेज 108/खंडि/लीन-६/2022 रायपुर, दिनांक 12/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त वारी के 200 ग्रीटर की परिधि में हीज भी सार्वजनिक हीज तौसे मादिर, नरियाड, भरपट, अम्पलाल, स्वतूल, पुल, एनीकट, बांस एवं जल आवृत्ति आदि प्रतिबिधित हीज लिया जाता है।
6. हीज का विवरण – हीज भी अनुज बढ़वानी के नाम पर है। हीज हीज 30 वर्षीय अवधि दिनांक 20/02/2018 से 19/02/2048 तक की अवधि है।
7. भू-स्वामित्व – भूमि खासगत दस्तावेज 1949 भी विजय कुमार एवं बहस्ता कुमार के 1000 भी हीज बूमार के नाम पर है। उल्लेखन हीज भूमि स्वामियों द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – हीज हीज का निकटतम बन क्षेत्र की दूसी का बहुलोक तरली हूँडे बन विभाग का अध्यात्म अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महायपूर्ण सारबनाओं की दूसी – निकालतम आवादी याम-नरदहा 1.5 किमी, इकूल ग्राम-नरदहा 1.65 किमी, एवं अकपलल रायपुर 10.5 किमी, की दूसी पर

सिलत है। राष्ट्रीय संज्ञान 6.6 कि.मी. एवं संज्ञान 3.9 कि.मी. दूर है। रास्ता 1.3 कि.मी. गोदानी गाला 1 कि.मी. एवं नहर 1 कि.मी. दूर है।

11. पारिविवरणीय/जीवविजिक्षण संवेदनशील क्षेत्र – पारिवोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अलंकृतीय शीगा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, कैन्टीन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली चौल्हाटे रुरिया, पारिविवरणीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविजिक्षण क्षेत्र सिलत नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं स्थान का विवरण – जियोलॉजिकल रिपोर्ट 12,08,129 टन, माइनेकल रिपोर्ट 5,97,282 टन एवं रिक्वोरेकल रिपोर्ट 5,85,336 टन है। लीज की 7.5 मीटर औरी कीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिवित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,022 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेवी कंटेनराईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकातम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की गोटाई 0.25 मीटर है तथा बुल मात्रा 3,726.5 घनमीटर है। ओपन कंटेन की गोटाई 0.25 मीटर है तथा बुल मात्रा 3,726.5 घनमीटर है। बेंग की गोटाई 3 मीटर एवं छोटाई 3 मीटर है। खदान की संभावित लम्बाई 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में उत्खन स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 1,072 वर्गमीटर है। जीक हिमर से फ्रिजिन एवं लंटोल ब्लास्टिंग तथा रस्तों कटाए का उपयोग किया जाता है। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का फिल्टरण किया जाता है। उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

बर्च	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	बर्च	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	61,883	चौथम	61,387
द्वितीय	61,997	तीसान	61,880
तृतीय	61,614	अष्टम	61,490
चूर्चुक्य	61,887	नवम	61,800
पंचम	61,689	दशम	29,731

13. जल आपूर्ति – परिवोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.46 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोर्डल के माध्यम से की जायेगी। हात बाहर सेन्ट्रल इंजिन बोर्ड अधीनिती की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. कृषानीय कार्ब – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 804 नग कृषानीय किया जाएगा। बर्तमान में 650 नग कृषानीय किया गया है तथा योंक 254 नग कृषानीय किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की औरी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्ब नहीं किया गया है।
16. प्रस्तुतीकरण के द्वारा परिवोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि पूर्व में अडैक ऐसर्सी महानगर मिनरल्स (एसआईए/सीजी/एसआईएन / 89981/2021) ने आने वाली समस्त खदानों को जलस्टर में लानित कर्ती हुए ऐसलाईन ढाठा कर्लेवेन जल कार्ब 15 दिसंबर, 2021 से 15 मार्च, 2022 के मध्य किया गया था। तस्वीर ऐसलाईन ढाठा कर्लेवेन की सूचना यह नहीं थी। कार्ललय जलस्टर (खनिज जलस्टर), जिला-राज्यपुर द्वारा जारी प्रमाण जल में आवेदित खदान सी 600 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का तस्वीर नहीं है। अतः आवेदित खदान चारों जलस्टर का भाग है। जिले के लिए हालाईए स्टडी पूर्व में की गई थी। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एक्जिट ऐसलाईन ढाठा का

उपर्योग बन ईआईए. रिपोर्ट देयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त से जिससे समिति सहमत हुई।

17. भारतीय दृष्टीकी, प्रिंसिपल वेष्य, वह दिल्ली द्वारा सत्येन पाण्डेय विकास भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वह दिल्ली एवं जन्म (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 की पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किए उपर्योग सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

- कार्यालय कलेक्टर (समिति भारत), गिला-चायपुर के ज्ञापन क्रमांक 108/एसि./टीन-८/2022 रायपुर, दिनांक 12/04/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 66 खदानों कोरकल 173.797 हेक्टेयर है। प्रशुटीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त प्रभाव पर जारी करने के उपर्योग अन्व ५ नवीन खदानों का कुल कोरकल 8.433 हेक्टेयर की एलओआई जारी की गई है। इस प्रकार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित कुल १। खदानों कोरकल 182.23 हेक्टेयर हो रहा है। आवेदित खदान (धान-नरवड़ा) का रकमा २ हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (धान-नरवड़ा) को मिलाकर कुल रकमा 184.23 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की वृत्तिः में स्थीरकृत/संचालित खदानों का कुल कोरकल ५ हेक्टेयर से अधिक का कलशटर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी१' नामी की जानी जाए।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति का पालन प्रतिवेदन की संक्षि में एकीकृत शोधीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पर लेता किया जाए।
- समिति द्वारा विचार किए उपर्योग सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी१' कोट्यारी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टैम्पहृष्ट टर्म्स औफ इफरेंस (टीओआर) और ईआईए./ईएम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्टस/एकटीप्रिटीज रिकार्परिंग इन्वायरमेंट वलीवरेस अप्पर ईआईए. नीटिक्याक्षय, 2008 में वर्णित संगी १(ए) का स्टैम्पहृष्ट टीओआर (सोक सुनवाई रिपोर्ट) नीन कोल माइनिंग प्रोजेक्टस हेतु गिर्म अंतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुहाना की गई—
 - Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

- iv. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.
- v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- viii. EIA study shall be at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchams and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit the details of pollution control arrangement in crusher.
- xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा ऐतक में विचार — उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 19 / 10 / 2022 को संयन्त्र 131वीं ऐतक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अपलोडन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विभिन्न की अनुसन्धान की स्पीकर नस्ती हुई उम्मी और ऐक्टिव (टी.ओ.आर.) (जिसे सुनियाई सहित) निम्न अनिवार्य गति के अंतर्जाल जारी करने का नियम किया गया।—

- I. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years.

Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

- ii. Project proponent shall ensure to obtain prior Air & Water consent for crusher from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

साथ ही यह मी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत होतीय कार्यालय, भाला शख्तार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या रायपुर झटक नगर सी मंगलमें पाने हेतु यह लेख किया जाए। परियोजना प्रस्तावक को सातां टम्स औफ ऐफरेन्च (टी.ओ.आर) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत होतीय कार्यालय, भाला सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या रायपुर अटल नगर को यह लेख किया जाए।

3. बेसर्स नरदहा लाईम हॉटेन बाईन (प्री.- श्री प्रकाश बचाव), नाम—नरदहा, छहसील—आरन, जिला—रायपुर (साधियालय का नम्बरी छमांक 1863)

ऑनलाईन आवेदन — प्रधोजल नम्बर — एमलाई / श्रीमि / एमलाई/ ८९९०३ / २०२१, दिनांक १०/१२/२०२१ हारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक हारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कथित होने सी ज्ञापन दिनांक २०/१२/२०२१ हारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक हारा बाहित जागकारी दिनांक ०७/०८/२०२२ को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संबलित सूना पत्तर (शीष खनित) खदान है। खदान नाम—नरदहा छहसील—आरन, जिला—रायपुर किला खदान छमांक 1972, 1980 एवं 1982, कुल क्षेत्रफल—२.७४ हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थानन कमता—५३,०४६.८८ टन (२१,२१८.७५ एमीटर) प्रतिवर्ष है।

तथानुसार परियोजना प्रस्तावक को एलईएसी, एलीसायड के द्वायन दिनांक ०२/०९/२०२२ हारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

- (अ) समिति की ४२वीं बैठक दिनांक ०७/०९/२०२२:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रकाश बचाव, प्रोप्राइटर उपसिंहत हुए। समिति हारा नम्बी प्रस्तुत जानकारी का अपलोडन एवं परीक्षण करने पर किम सिपति याई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कियरण—

- पूर्व में शूल पत्तर खदान कमांक 1972, 1980 एवं 1982, कुल क्षेत्रफल — २.७४ हेक्टेयर, कमता — ५३,०४६.८८ टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला रायपुर पर्यावरण समायात निर्माण प्राधिकरण, जिला—रायपुर हारा दिनांक २८/०२/२०१७ को जारी की गई। तथानकृत जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में लोकोपान जिला स्तरीय पर्यावरण समायात निर्माण प्राधिकरण, जिला—रायपुर हारा दिनांक १५/०५/२०१८ को जारी की गई। यह स्वीकृति पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक २८/०२/२०१७ से ६ वर्ष तक की अवधि हेतु दीय थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, उन और जलवायु परिवर्तन विभालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18./01/2021 अनुसार-

"A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 25./02./2023 तक की होगी।

- i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सभी के पालन में ली गई कार्यवाही की जानकारी कोटीयापन सहित प्रस्तुत ली गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, उन एवं जलवायु परिवर्तन विभालय, रायपुर द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- ii. निर्धारित शतानुसार 550 लग. क्षेत्रफल किया गया है।
- iii. कार्यालय क्लोकटर (सभि राजा), जिला-रायपुर के इमारत क्रमांक/क./ख. लि./टीन-८/2022 रायपुर, दिनांक 08./04./2022 द्वारा विकल वर्ती में दिये गये उत्तरानन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्तरानन (टन)
2017	20,400
2018	34,835
2019	34,835
2020	12,000
2021	47,400

समिति का मत है कि दिनांक 01./01./2022 से उत्तरानन नियमि तक किये गये उत्तरानन की जानकारी उनिज विभाग से द्रमागित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. काम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्तरानन एवं इकाई की स्थापना के संबंध में इमाम पंचायत नवदहा का दिनांक 03./03./2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि काम की स्थापना के संबंध में भी इमाम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही फैला, दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्तरानन योजना – गोडिकार्टुड कारी पान, इन्हायलैन्ड मैनेजमेंट प्लान एवं उत्तरारी योजना प्लान प्रस्तुत किया गया है, जी संयुक्त-संसालक (ए.ए.), संघालनालय, नीमिकी तथा उभिकमे, नवा रायपुर अटल नवर के पृ. इमारत क्रमांक 4360/सानि 02/पान.अनुमोदन/प.अ.04/2018(1) नवा रायपुर, दिनांक 16./08./2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की घरियि में रिखत खदान— कार्यालय कलेक्टर (खण्डित जाता), जिला—रायपुर के इकायन क्रमांक 106/ख.सि./लीन-६/2022 रायपुर दिनांक ०५/०४/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवधियां ८५ खदानों, कोडफल 173.053 हेक्टेयर है। प्रश्नकृतीकरण के दौरान घरियोजना प्रबलायक द्वारा बताया गया कि उक्त प्रभाव चब जारी रहने के उपरांत अन्य ५ गदीय खदानों का कुल कोडफल १४३ हेक्टेयर के एसओआई जारी की गई है। इस प्रकार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवधियां कल ११ खदानों, कोडफल १६१.४४० हेक्टेयर हो रहा है। अतः फाईनल हैआईए रिपोर्ट के साथ संशोधित 500 मीटर का प्रमाण पर छल्सुत किया जाएगा।
5. 200 मीटर की घरियि में रिखत सार्वजनिक शौच/सांचबाहाए— कार्यालय कलेक्टर (खण्डित जाता), जिला—रायपुर के इकायन क्रमांक 106/ख.सि./लीन-६/2022 रायपुर दिनांक ०५/०४/2022 द्वारा जारी उमान यत्र अनुसार उक्ता खदान से 200 मीटर की घरियि में कोई भी सार्वजनिक शौच शैले संदिग्ध अविष्य, यथायत, अस्पताल, स्कूल, पुल, एवं कट, बांध एवं यस आपूर्ति अवैध प्रतिविधि कोन से लिखा नहीं है। नाला 200 मीटर की दूरी पर लिखा है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण— भूमि एवं लीज की प्रकार बजाय के नाम पर है। लीज कोड 10 वर्षी अधीत दिनांक ०२/०५/२००३ से ०१/०५/२०१३ अवधि हेतु दीख दी। लीज कोड का नवीनीकरण 10 वर्षी अधीत दिनांक ०२/०५/२०१३ से ०१/०५/२०२३ तक की अवधि हेतु दीख है। तात्परता लीज कोड 10 वर्षी अधीत दिनांक ०२/०५/२०२३ से ०१/०५/२०३३ तक की अवधि हेतु लिलारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट लाई रिपोर्ट— वर्ष २०१९ की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की जांच प्रलूब की गई है।
8. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण यत्र— लीज कोड से निकटतम बन कोड की दूरी का उल्लेख करते हुये बन विभाग का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण यत्र प्रचुर लिया जाना आवश्यक है।
9. महानव्यपूर्ण सांरक्षनालों की दूरी— निकटतम आवादी डम—मरदहा २.१ किमी, स्कूल पान—मरदहा २.२ किमी, एवं अस्पताल रायपुर ११.५ किमी, की दूरी पर लिखा है। राष्ट्रीय राजमार्ग ६.५ किमी, एवं राज्यमार्ग ४.१ किमी, दूर है। तालाब १.२५ किमी, मौसमी नाला ५० मीटर, नहर ३.१ किमी, एवं बांध २.९ किमी, दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/धौविविधता संवेदनशील कोड— परियोजना प्रबलायक द्वारा १० किमी, वरि परियि में आंतर्जन्तीय लीज, राष्ट्रीय राजमार्ग, अस्पताल, कोन्हीय प्रदूषण मियंजग कोई द्वारा घोषित किटिकली पील्स्युटेक दरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील कोड का घोषित धौविविधता कोन से लिखत नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. लग्नान सांघर्ष एवं खानन का विवरण— लियोलीजिकल रिजर्व १२,६७,२८७ टन, मर्दनेवल रिजर्व ५,३८,४२२ टन एवं लिक्कारेवल रिजर्व ५,३०,३२९ टन है। लीज की ७.५ मीटर घोड़ी सीना पट्टी (उत्तरानन के लिए प्रतिवेदित कोड) का कोनपाल ८,८८४ वर्गमीटर है। लोपन कार्ब सीमी मेंसाईज्म विशि से उत्तरानन लिया जाएगा। उत्तरानन की इस्तापित अविकाश गहराई २५ मीटर है। लीज कोड में उपरी मिट्टी की मोटाई ०.८ मीटर है तथा कुल मात्रा ८,४३१ चौनमीटर है। बैच

की ताज़ाई ३ मीटर एवं चौड़ाई ३ मीटर है। छद्मन की समर्पित आयु १० वर्ष है। सीज क्षेत्र में इलाहर समर्पित है, जिसका क्षेत्रफल ९६२ वर्गमीटर है। पौरक हिन्दू एवं रोक ब्रेकर से ट्रिलिंग लव कान्ट्रोल स्टार्पिंग किया जाता है। छद्मन में यायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु यस का शिफ्टकार्य किया जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उत्तरानन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्तरानन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्तरानन (टन)
प्रथम	63,046.85	पाष्ठम	51,852.5
द्वितीय	52,937.75	साप्तम	52,016.25
तृतीय	62,380	अष्टम	51,339.68
चतुर्थ	51,790.73	नवम	52,110.83
पंद्रह	51,310.66	दशम	51,744.66

12. यात्रा आपूर्ति — परिवेशना हेतु आवश्यक जल की आया ७.४ घनमीटर ट्रैकिंग होती है। जल की आपूर्ति यात्रा पंचायत द्वारा टैकर एवं बोरपेल के सम्बन्ध से ही जाकरी है। इस बाबत यात्रा पंचायत का अन्यायिता प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल राइफल बॉर्डर अधिकारी की अनुसारी यात्रा कर प्रस्तुत किया गया है।

13. युक्तारोपण कार्य — लौज क्षेत्र की सीमा में यात्री और ७.५ मीटर की चट्टी में १.३५८ नग युक्तारोपण किया जाएगा। बर्तमान में ६३० नग युक्तारोपण किया गया है तथा यात्रा ८०६ नग युक्तारोपण किया जाएगा।

14. छद्मन की ७.५ मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तरानन — लौज क्षेत्र के यात्री और ७.५ मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल ६,७४ वर्गमीटर क्षेत्र है। जिसमें से २,७३६ वर्गमीटर ही ७.५ मीटर की पड़वाई एवं २४२ वर्ग मीटर क्षेत्र १२ मीटर की बहराई तक उत्तरानित है, जिसका उल्लेख नाइकट्टुड नाईकिंग प्लान में किया गया है। प्रतिवर्ष ७.५ मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तरानन किया जाना वर्धितरीय रोकथानी की गती का उत्तरापन है। अतः परिवेशना प्रस्तावक के विवरण नियमानुसार आवश्यक दण्डालयक कार्यकारी किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन कोल नाईकिंग प्रोजेक्टका हेतु यात्रक पर्यावरणीय शर्त जारी की गई है। यह अन्त भाग भी (i) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

यह यात्रक शर्त के अनुसार नाईक लौज क्षेत्र के अंदर ७.५ मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में युक्तारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. कार्यालय कलेक्टर (खानिज यात्रा), जिला—कायपुर के पु. द्वापन क्रमांक ५०७/प्र. लि./सीम—६/राय./२०२१ रायपुर, दिनांक ११/०४/२०२१ द्वारा की प्रकाश बजाल के पत्र में लौजका यूनियन उत्तरानियट्रटा क्षेत्र का लौजका क्षेत्र के बाहर खागन के संबंध में उनके विवरण नाईज यूनियन यूनि यात्रा लगभग ३०० टन अवैध उत्तरानन का दण्डालय दर्जे किया जाना कर्तव्य १,२१,०००/- अर्थात् आनीप्रति कर रुपये दसूल रुपये गई है।

17. प्रस्तुतीकरण को दीर्घान परियोजना प्रसारक हारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक ने संसदीय गहान्या निमलना (एप्पलाईए / सीपी / एमआईएन / १०००१ / २०२१) में आने वाली समस्त खदानों को बलस्टर में समिल करते हुए बेसलाइन छाटा कर्नेक्टन का कार्य १५ दिसंबर, २०२१ से १५ मार्च, २०२२ के बीच किया गया था। तात्समय बेसलाइन छाटा कर्नेक्टन की सूचना भी गई थी। कार्यालय कर्नेक्टर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर हारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान ही ५०० मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का संलग्न है। अतः आवेदित खदान उस बलस्टर का भाग है, जिसके लिए इआईए स्टडी पूर्व में भी गई थी। परियोजना प्रसारक हारा उक्त एकेजिट बेसलाइन छाटा का उपयोग कर हआईए रिपोर्ट दीवार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त से जिससे समिति सहमत हुई।

18. ग्रामीय इनजीटी, प्रिसियल बैथ, नई दिल्ली हारा सत्येंद वार्ड निकट भागत लकड़ार, पर्यावरण, बन और जलवायु बैरिटीन गंडालव, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. १०० अंक २०१६ एवं इन्य) में दिनांक १३/०९/२०१८ को पारित जादेश में नुच्छ रूप से निम्नानुसार निर्णय लिया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति हारा जिला दीर्घान सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कर्नेक्टर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर के ज्ञानन इनांक १०१/कृति/टी-८/२०२२ रायपुर दिनांक ०५/०५/२०२२ अनुसार आवेदित खदान से ५०० मीटर के भीतर अवस्थित ४६ खदानों कोषकल १७३.०५३ हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण को दीर्घान परियोजना प्रसारक हारा बताया गया कि उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के एप्रिल इन्य ५ भीतर खदानों का कुल कोषकल ४.४३३ हेक्टेयर को एसओआई जारी की गई है। इस प्रकार आवेदित खदान से ५०० मीटर के भीतर अवस्थित कुल ११ खदानों कोषकल १८१.४४६ हेक्टेयर हो रहा है। आवेदित खदान (प्राम—नरदहा) का रक्का २.७४४ हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (प्राम—नरदहा) को गिलाकर कुल रक्का १८४.२३ हेक्टेयर है। खदान की सीमा से ५०० मीटर की परियि में स्वीकृत/संवालित खदानों का कुल कोषकल ५ हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्गत होने के कारण यह खदान 'हो' खेती की मही गई।

2. माईन सीज की जारी और ७.५ मीटर लौह सेपटी जौन के बहु भाग में किये गये उत्तरानन की कारण इस कीज की उपचारी एवायी (Remedial Measures) की संभव में तथा सीज कीज की ओटर माईग्रिय त्रियाकरणों के कारण उपर्युक्त निर्गत हेतु आवश्यक उपायों का कुलांतरण आदि के लिए समुदाइत उपायों को त्रियाग्रित करने वाला संचालक, संचालकालय, भीमिली तक समिक्षा, इंद्रावती भवन, वा रायपुर बाटल नगर, जिला—रायपुर (अस्ट्रीसगढ़) को लेक किया जाए।



3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर ऊँची सीमा पट्टी में अपैप उत्तरानन किया जाना चाहे जाने पर परिवोजना प्रस्तावक के दिलदूर नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज़ कर्तव्याधी किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा खनिकरण की एवं पर्यावरण की कानी पट्टीधाने हेतु छलीसन्दर्भ पर्यावरण संबंध नवा रायपुर ज़िले नगर एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. शुरू में जारी पर्यावरणीय सीमाधारी का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय संचालन पर्यावरण, जन एवं जलवायु परिवर्तन संबंध, भारत राज्याद् रायपुर की पत्र लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा प्रियार विमान उपस्थित सर्वसम्मति से प्रकरण 'की1' कोटेश्वरी का होने के कारण जास्त सरकार, पर्यावरण, गन और जलवायु परिवर्तन संबंध द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकल्पित स्टेन्कर्ड टमो ऑफ रिपोर्ट (टीओआर) फौर ईआईए /ईएनपी रिपोर्ट फौर प्रोजेक्ट्स/एकटीडिटीज रिलायरेंस कून्डायरेंट क्लीयरेंस अपहर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में जीवित भेणी 1(ए) का स्टेन्कर्ड टीओआर (लोक शुल्काई गहिर) नीन ओस माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई—
- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - iii. Project proponent shall submit the Gram Panchayat NOC for crusher.
 - iv. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
 - v. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2022 to till date from mining department.
 - vi. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - x. EIA study shall be at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - xi. Project proponent shall submit the copy of panchnames and photographs of every monitoring station.
 - xii. Project proponent shall undertake survey and study for conservation of pond, canal & other water bodies and submit an action plan along with the EIA Report.
 - xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

- xiv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xv. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 904(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xviii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xx. Project proponent shall submit the details of pollution control arrangement in crusher.
- xxi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – सुप्रीमो अधिकार पर प्राधिकरण की दिनांक 19 / 10 / 2022 को संवन्ध 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अपलोडन किया गया। प्राधिकरण द्वारा सन्तुष्टि की अनुमति को स्वीकार करते हुए टमी औफ ऐफोन्स (टी.ओ.एफ.) (लोक शुल्क लीडर) ने अपिरिक्त जारी कर्तीय जारी करने का निर्देश किया गया:-

- I. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- II. Project proponent shall ensure to obtain prior Air & Water consent for crusher from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि—

- (1) (i) माईन लौज क्षेत्र के घासी और 7.5 ग्रीटर घोड़े सेपटी जौन के कुछ भाग में किये गये उत्तरानन के कारण हस्त क्षेत्र के उपचारी उपायी (Remedial Measures) के संबंध में तथा लौज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकरतापी के कारण प्रस्ताव प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायी यथा शुल्कारोपण आदि के लिये समर्पित उपायी घासी उत्तराननक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म इंद्रावती बहन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (उत्तीर्णगढ़) को चर लिया गया।
- (ii) प्रतिशेषित 7.5 ग्रीटर घोड़े सोगा पट्टी में अंतिम उत्तरानन किया जाना चाहे जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विकल्प नियमानुसार आवश्यक दम्भालक उपायीकारी किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को चर लेख किया जाए।
- (iii) माईन लौज क्षेत्र के घासी और 7.5 ग्रीटर घोड़े सेपटी जौन के कुछ भाग में किये गये उत्तरानन के कारण पर्यावरण को छोड़ पहुंचाने हेतु उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संचालन बोर्ड, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यालयी किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
- (2) घोड़ी के घासी पर्यावरणीय स्थौरकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कारबिला, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तीन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से गोपाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को संस्ती टम्स ऑफ ऐक्सेन्स (टी.ओ.आर.) (स्लोक सुन्नलाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म इंद्रावती बहन, नवा रायपुर अटल नगर एवं उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संचालन बोर्ड, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कारबिला, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तीन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

4. मेसर्स अणोली फर्सी पत्त्वर माईन (ई.ओ.— श्री जिलेश चन्द्रावन), शाम—अणोली, उहलील व जिला—महाराष्ट्र (संविधानालय का नामक दिनांक 1990)
ओनलाईन आवेदन — अपौजल नगर — प्रस्तावक / सोली / उपस्तावक / 72711 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ओनलाईन आवेदन में कर्मियों होने से ज्ञानन दिनांक 03/03/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा याहित जानकारी दिनांक 07/06/2022 की ओनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का क्रियान्वयन — यह प्रस्तावित पर्सी वस्त्र (ग्रीन खनिकर्म) खदान है। खदान शाम—अणोली, उहलील व जिला—महाराष्ट्र किया गया और ऑफ लाकरा ज्ञानक — 1170, कुल क्षेत्रफल—1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तरानन क्षमता — 10,056 टन (4,189.5 चनमीटर) प्रतिवर्ष है।

रायपुराव एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07 / 09 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी यमन घन्हाकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपलिखत हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धित पाई गई-

1. पूर्व में जारी चर्चावरनीय स्थीकृति संबंधी विवरण:- हमारा खदान की पूर्व में परावरनीय स्थीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ज्ञाम पांचायता का अनापत्ति दावाण पत्र - उत्तराखण के संबंध में ज्ञाम पांचायता अधोलिङ्गी का दिनांक 05 / 12 / 2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तराखण खोजना - जारी पत्रान् इन्डियारीमेट मैनेजमेंट पत्रान् एवं हमारी खलीजर पत्रान् प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (छ.प.), संचालनालय गोपिकी तथा खनिकर्म, नक्सा तथापुर अटल नगर के नूँ ज्ञामन क्रमांक 477 / खनि 02 / माल-अनुसूचन / न.क्र.02 / 2019(1) नवा रायगुर दिनांक 03 / 02 / 2022 द्वारा अनुचित है।
4. 500 मीटर की परिधि में सिवत खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज जारा), जिला-महासंघृद के ज्ञामन क्रमांक 1015 / क / खालि / न.क्र. / 2021 महासंघृद, दिनांक 04 / 08 / 2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के छोड़ 29 खदानों, क्षेत्रफल 24.49 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में सिवत खदान / संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज जारा), जिला-महासंघृद के ज्ञामन क्रमांक 104 / क / खालि / न.क्र. / 2021 महासंघृद, दिनांक 29 / 01 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक शोध जैसे गोदिर, गरिजाद, नरपट, पुल, बाढ़ी, रेत लाईन, अपमलाल, पक्काल, एनीकट वांछ एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निश्चित नहीं है।
6. एलओआई संबंधी विवरण - एलओआई भी जिलेश्वर घन्हाकर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज जारा), जिला-महासंघृद के ज्ञामन क्रमांक 1610 / क / छ.प. / खालि / न.क्र. 94 / 2020 महासंघृद, दिनांक 11 / 10 / 2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी विवरण जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। उत्पत्त्यात् एलओआई, की विवरण दूषित कार्यालय कलेक्टर (खनिज जारा), जिला-महासंघृद के ज्ञामन क्रमांक 1074 / क / राप. / खालि / न.क्र. 94 / 2020 महासंघृद, दिनांक 18 / 08 / 2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी विवरण जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. शू-स्वामित्व - जूगी भी जिलेश्वर घन्हाकर के नाम पर है। उत्तराखण हेतु भूमि बोगी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बत्त विमाय का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय उनमण्डलाधिकारी, जामान्य उनमण्डल, जिला-महासंघृद के ज्ञामन क्रमांक / मालि. / 162 महासंघृद, दिनांक 20 / 01 / 2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र का कोई की सीमा से 6 किमी. की दूरी पर है।

10. गहरापूर्ण सौरवनस्त्रों की दूरी – निकटान आकाशी प्रायः-आकृती 360 मीटर, बहुत प्रायः-आकृती 650 मीटर एवं अलगान आप्य-दूरमात्र 7.5 मीटर की दूरी पर लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.9 कि.मी. एवं राजमार्ग 17.7 कि.मी. दूर है। भौमिका नामा 1 कि.मी., ललाच 4 कि.मी., नहर 280 मीटर एवं वहानदी 2.2 कि.मी. दूर है।

11. पारिसिवितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रकल्पक द्वारा 10 कि.मी. की वर्तियि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय पालान, अभयारण्य, लोन्हीय प्रदूषण निवारण बोर्ड द्वारा घोषित विटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिसिवितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र लिया नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोसीजिक्स रिजर्व 1,44,000 टन एवं नार्वनेश्वर रिजर्व 16,800 टन है। लीज की 7.5 मीटर औद्धी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिवित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,050 वर्गमीटर है। ओखन काट मैनुअल लिफ्ट से उत्खनन लिया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी भिट्टी की गोटाई 0.3 मीटर है तथा बुल मात्रा 2,065 घनमीटर है। ओखन काट की गोटाई 2.7 मीटर है तथा बुल मात्रा 18,785 घनमीटर है। बैच की गोटाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की समाप्ति आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रान्ति स्थानित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लस्टिंग नहीं किया जाएगा। स्टॉन कट्टर का उपयोग किया जाएगा। खदान में बायु प्रदूषण निवारण हेतु जल का शिक्कायत किया जाएगा। इर्वार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

क्रम	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	क्रम	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रबन्ध	7,762	प्रदूष	6,809
हिस्तीक	7,656	सप्तम	7,233
दृतीय	10,055	छठम	7,515
चतुर्थ	7,056	गवन	7,197
पंचम	6,526	हतम	7,549

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आपरायक जल की मात्रा 5.92 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति खोलेत की गतिशय तो की जायेगी। इस जल संग्रह यात्राएँ बीटर अधीरिती की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. सुझावोपयन कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में आरो 7.5 मीटर की पट्टी में 600 नग सुझावोपयन किया जाएगा।

15. खदान की 7.5 मीटर की औद्धी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के आरो 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रकल्पक द्वारा कहा गया कि बलस्टर में आरो वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा फलेवरन का कार्य दिनांक 01/03/2022 को प्राप्त किया गया है। एकता के संकेत में दिनांक 28/02/2022 को सूचना भी दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., डिसिप्लन बैच, नई दिल्ली द्वारा गत्योदय वाल्फ्रेंड गोरखनाथ कारबाह, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एपिलिकेशन नं. 186 और 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में नुहम रूप से निम्नानुसार विवेदित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP¹ and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विभार विभारी उपरान्त सर्वेत्यमति से विमाननुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्योत्तम कलेक्टर (उनिज जाता), जिला-महानगर द्वे इलापन क्रमांक 1015/क/खलि/न.क./2021 महानगर, दिनांक 04/08/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की धौतर 29 खदानों की जड़ता 24.49 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (याम-अचोली) का रक्का 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (याम-अचोली) की मिलाकर कुल लकड़ा 25.49 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की वैशिष्टि में स्वीकृत/संवालित खदानों का कुल कीजड़ता 6 हेक्टेयर से अधिक का बलकटर निर्मित होने के कारण वह खदान 'बी' सेग्मेंट की बनी रही।
2. समिति द्वारा विभार विभारी उपरान्त सर्वेत्यमति से इकान्तम 'बी' कोटेगमी का होने के कारण भाला वारकार, पर्यावरण, दन और जलवायु परिवर्तन बंजालय द्वारा अद्वितीय, 2016 में प्रकाशित स्टैफ्फर्ड टम्स ऑफ रिकॉर्ड (टीवीबीएस) पीर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एकटीमिटीज रिक्वायरमेंट कंसीलरेस अप्लाई ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2009 में वर्णित की गई 1(ए) का स्टैफ्फर्ड टीवीआर (सेकंड चुनावाई सहित) नाम सेल माईनिंग प्रोजेक्ट का हेतु विभा अधिरिका टीवीबीएस की ताक छारी किये जाने की अनुसंधा की गई—
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - iv. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - v. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - vi. EIA study shall be at minimum 8 no. of monitoring stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - vii. Project proponent shall submit the copy of panchams and photographs of every monitoring station.
 - viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
 - ix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and

Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.06.2017.

- x. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xi. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राकृतिकरण द्वारा बीकू में विचार – लगातार प्रकरण पर प्रायिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संयज्ञा 131वीं बीकू में विचार किया गया। प्रायिकरण द्वारा मस्ती का अनलोडन किया गया। प्रायिकरण द्वारा सीमिती की अनुशासा को सीधार करते हुये उन्हीं और ऐकरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जिस अनिवार्यता की अलीन जारी बनाए गए नियम लिया गया—

- i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 6 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- ii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- iii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintenance of seasonal nallah & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area.

परियोजना प्रस्तावक को सशांत उन्हीं और ऐकरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

- iv. मेसर्स एम.आर. इंटरराइजेस (पार्टनर- श्री निर्मल अद्यवाल), प्लाट नं. 1ए, 1बी एवं 2आई, हींगे इम्फर्ट्रीयल एरिया हृष्णवार्ष, मिलाई, जिला-दुर्ग (संप्रिवालय का नामी छनाक 2017)

अंतिमाईन आवेदन – भ्रष्टाचाल नम्बर – एसएलए/ सीजी/ आईएनए/ 76840 /2022, दिनांक 11/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रवताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा हींगे इम्फर्ट्रीयल एरिया हृष्णवार्ष, मिलाई, जिला-दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए, 1बी एवं 2आई खुल सीज़फ़ल – 2.42 हेक्टेयर में हामला जिलावर के तहए इम्फर्ट्रीयल क्षेत्र (एम.एस.विलेट्स) क्षमता – 38,640 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,33,000 टन प्रतिवर्ष, नि-सोल्ड स्टील क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,49,000 टन प्रतिवर्ष (प्ल-हीट चार्टिंग क्षमता – 1,06,000 टन

प्रतिवर्ष एवं घूरे-हीटिंग कमता - 1,44,000 टन प्रतियार्थी) एवं एचएस. पाइप्स कमता - 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। कमता विस्तार उपलब्ध परियोजना की कुल विनियोग 30 करोड़ रुपये होती।

वैधक का विवरण -

(अ) समिति की 422वीं वैधक दिनांक 07/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी अनिल कुमार अद्यात्म, श्रीह.ओ. एवं मेसर्स एनाकीन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड ने और जो भी शीलांत की आवेदन, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक तथा भी विकास डाकूर, सलाहकार उपसंचाल तुरे। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित पाइ गई:-

1. घूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण -

- एसईआरए.ए. उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2182, दिनांक 04/03/2021 द्वारा हेती इन्हस्ट्रीयल एरिया इन्डोर, भिलाई, जिला-दुर्ग सिध्दा पटाट नं. 1ए एवं 1बी, कुल क्षेत्रफल - 3,023 हेक्टेयर में प्रथम चरण के अंतर्गत कमता विस्तार के लिए हि-हीटिंग कंपीस बैनड और पल्वराईज़ बॉल अशारिती-सील्ड स्टील प्रोडक्ट्स कमता - 21,000 टन प्रतिवर्ष से 67,800 टन प्रतिवर्ष तथा हितीय चरण उपरांत गाईल्ड स्टील विलेट कमता - 38,840 टन प्रतिवर्ष एवं सी-सील्ड स्टील प्रोडक्ट्स कमता - 57,800 टन प्रतिवर्ष (36,800 टन प्रतिवर्ष घूरे हीट आपेक्षित एवं 21,000 टन प्रतिवर्ष घूरे विलेट सी-हीटिंग कंपीस बैनड और पल्वराईज़ बॉल) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई। तत्परतात् एसईआरए.ए. उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1285, दिनांक 21/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया है।
- परियोजना प्रारंभक द्वारा घूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तात्त्व के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रारंभक द्वारा एकीकृत शोधीय कार्यालय पर्यावरण, जन एवं जलवाया परिवर्तन मांत्रिक, जलत सरकार, सामुद्र तथा घूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन जलीयदल प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. मू-स्वामित्व - भूमि मेसर्स एचआर. इंडस्ट्रीजेस के नाम पर है। जात्य ही जारी करने वाले भी शिरोमि अद्यात्म एवं भी तुलार अद्यात्म द्वारा पार्टनरशिप डील की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. जल एवं वायु सम्पत्ति -

- उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संस्थान मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा इम्फ्रामन कंपीस (एमएसविलेट्स) कमता - 9,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ावन 38,840 टन प्रतिवर्ष, हि-सील्ड स्टील कमता - 21,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ावन 57,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु स्थापना सम्पत्ति दिनांक 14/07/2021 को जारी की गई। तत्परतात् उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संस्थान मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा हि-सील्ड स्टील कमता - 57,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु संधारण सम्पत्ति दिनांक 08/12/2021 को जारी की गई, जिसकी वैकल्पिक कमता विस्तार के संधारण प्रारंभ माह की दूसरी दिवात से 1 वर्ष (First date of month of commissioning of the plant with expanded capacity) तक की जिए है।

- जारीमान में स्थापित इकाईयों हेतु उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संबंधित मंडल द्वारा जारी सम्मति गती के पालनार्थी की कार्रवाही की दिनदूरार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। सभिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संबंधित मंडल द्वारा जारी सम्मति गती के पालन में की गई कार्रवाही की दिनदूरार जानकारी उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संबंधित मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. समीपस्थि रिक्षा विनायकलाली सर्वियरी जानकारी -

- समीपस्थि अकादी पाल-छत्तीसगढ़ 1 किमी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेली फैब्रिकेशन मिलाई नगर 3.5 किमी. एवं स्थानीय पिंचकानांद विनायकलाली, माना, रायपुर 36 किमी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 किमी. एवं राजमार्ग 10 किमी. दूर है। गिरनार नदी 12 किमी. एवं लालाम 1 किमी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिसी में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्यान्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित वित्तिकालीन पॉल्यूशन एवं परियोजना, पारिवहनलिङ्गीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित औरविभिन्नता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. सेष्ट एवं रिया स्टेटमेंट - सेष्ट एवं रिया स्टेटमेंट की स्पष्ट प्रति मताया जाना आवश्यक है।

6. स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप का विवरण निन्दानुसार है:-

दूर्त में जारी पर्यावरणीय स्थिरता दिनांक 04 / 03 / 2021 के अनुसार :-

First Phase			
Product	Facility	Existing Capacity (TPA)	After Expansion Capacity (TPA)
MS Ingot/Billets	Induction Furnace and CCM	9,000	-
Re-rolled steel product	New Re-rolling mill connected to existing Billet Reheating Furnace	-	36,800
	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	21,000	21,000
	Total Re-rolled steel product		57,800
Second Phase			
Product	Facility	Existing Capacity (TPA)	After Expansion Capacity (TPA)
MS Ingot/Billets or Re-rolled product through hot charging	Induction Furnace and CCM (MS Billets)	9,000	36,840
	Or		
	Re-rolling mill with hot charging of semi-finished steel i.e. hot MS Billet	-	36,800
Re-rolled steel product through BRF	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	21,000	21,000

प्रस्तावित कार्यक्रम उपरोक्त :-

Unit	Product	After Expansion Capacity (TPA)	Total capacity (TPA)
Induction furnace	MS Ingot/Billets	1,33,000	1,33,000
Rolling mill	Re-rolled product through hot charging	1,05,000	2,49,000
	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	1,44,000	
Pipe Fabrication Unit	MS pipe	1,20,000	1,20,000

७. संगतीयल :-

Material Balance (in TPA)			
For Induction furnace with hot charging mill			
Input	Output		
Sponge Iron	1,30,586	MS Billet and/or Hot Rolled TMT	1,05,000
CI / Pig Iron Heavy Scrap	30,525	Cold billet not possible to re-rolled	28,000
Ferro Alloys & Aluminium	1,697	Defective billets	4,200
Ramming mass and Refractory lining	350	Mill Scale from IF and CCM	2,500
		Slag	24,761
		Refractory Waste	175
		LOI	4,322
Total	1,69,258	Total	1,69,258
For Fuel Fired Rolling Mill			
Input	Output		
MS billet from internal and market	1,23,579	Re-rolled steel product	1,44,000
MS billet from internal	28,000	Mill Scale	3,600
		Miss rolled end cutting	3,979
Coal	17,280	Ash	1,720
		LOI	15,852
Total	1,68,859	Total	1,68,859
For Pipe Fabrication Unit (in TPA)			
Input	Output		
Steel strips from self	1,24,800	MS pipe	1,20,000
Welding electrodes required for pipe welding	200	Scrap from pipe mill	5,000
Total	1,25,000	Total	1,25,000

८. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था — शमल विस्तार उपर्यात हृष्टवाहन कर्नेस के सभी सीटीएम. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैन फिल्टर किया गया है। इनके बाहर एवं चिंगमी की ऊंचाई 30 मीटर तक जाना प्रस्तापित है। इस कोल गैसीफायर भी—हिटिंग कर्नेस आवारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैन तक तक एवं चिंगमी की ऊंचाई 30 मीटर तक जाना प्रस्तापित है। शमल विस्तार उपर्यात हृष्टवाहन कर्नेस एवं रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर का सत्तर्जन 30 मिलिमीटर/मानान्य घनमीटर से कम रखी जाने का प्रस्ताव किया गया है। पहुँचिटिंग डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल किकाय की व्यवस्था की जाती है।

९. टौस अपरिषट् अपवहन व्यवस्था —

S.No	Item	Qty (TPA)	Disposal
1.	Defective Billets	4,200	Will be partially used in own induction furnace and remaining will be sold to re-rolling mills.
2.	Slag	24,761	Will be internally used for metal recovery or given to metal recovery units.
3.	Refractory Waste	175	Will be given to authorized recyclers.
4.	Mill Scale	8,400	Will be sold to ferro alloys/Pellet plant etc.
5.	Miss Rolls/End cutting	3,979	Will be reused in own induction furnace.
6.	Coal Ash	1,728	Will be given to brick manufacturer and for road making and plinth filling.
7.	MS Scrap From Pipe mill	5,000	Will be internally re-used remaining will sold to other units.

१०. जल प्रबंधन व्यवस्था —

- जल व्यवस्था एवं बड़ोल — कर्नेस में परियोजना हेतु 61 घनमीटर प्रतिदिन (परियोजना उपयोग हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 45 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तापित कार्बोलाय की परियोजना हेतु 180 घनमीटर प्रतिदिन (परियोजना उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 170 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तापित है। आवाहक जल की आपूर्ति भू—जल से किया जाना प्रस्तापित है। भू—जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल बाट्टर अवॉरिटी से 90 घनमीटर प्रतिदिन की अनुमति प्राप्त की गई है। रीव जल की आपूर्ति हेतु भी अनुपलिंग पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- भू—जल उपयोग प्रबंधन — उद्योग नथल सेंट्रल बाट्टर बोर्ड के अनुसार सेंट्री लिटिकल जोग में आता है। जिसके अनुसार—
 - (अ) एक एवं दो नथल लाईनों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का नुगचलन एवं पुनर्उत्पादन किया जाना है।
 - (ब) बाट्टर बाट्टर रिचार्ज हेतु अपग्राई नई तकनीक लक्ष्य रेनबाट्टर हार्डिंग / ओटोमेटिकल जल रिचार्ज के अवास पर भू—जल निकाले जाने की

कनूनमिहि संदूत प्राप्तपद बाटर कोई हाता दिये जाने का प्रावधान है। उसीम को रेनवाटर हाईसिटेंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- खल प्रदूषण विद्युत्या व्यवस्था – औद्योगिक प्रविन्दा से दूषित जल उत्पन्न होता है। तेलिंग मिल से कुलिंग उपयोग प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कृतिश्वास हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यक्रमप ऐसु औद्योगिक प्रविन्दा से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कृतिश्वास हेतु उपयोग किया जाएगा। यहांमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु संघटक ईक एवं सोसायट निर्माण किया गया है। शुन्न निवासियों की विधि रखी जाएगी।
 - रेन वौटर हाईसिटेंग व्यवस्था – उसीम वरिसर में वर्षी के पानी का कुल रक्कमीक 19,841 मानमीटर छोड़ा जाएगा। रेन वौटर हाईसिटेंग व्यवस्था के अन्तर्गत 4 नव रियाजे पैल (बाल 1 गीटर एवं गहराई 3 मीटर) एवं 2 नव रियाजे पिट (3 गीटर लम्बाई, 2 गीटर ऊँचाई, 2 मीटर गहराई) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वौटर हाईसिटेंग व्यवस्था परिसर के पूर्ण स्वास्थ्यक लो रिकार्ड लिया जा सकेगा। सभी रिकार्ड स्टूक्यर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षी जल का बहाव हो सके।
11. विद्युत आपूर्ति क्रांति – प्रस्तावित कार्यक्रमप के प्रशास्त्र वरिज्जेतन हेतु 15 बैगलीट विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आपूर्ति उत्तरीशांग राज्य विद्युत वितरण बोर्डी लिमिटेड से किया जाता है। बैगलीट व्यवस्था हेतु डी.टी. सेट स्वास्थ्यप्रस्तावित किया जाएगा। डी.टी. सेट को एकीकिटकर्त्ता इंवेस्टिजर में स्थापित किया जाएगा। यहांमान में भी यही व्यवस्था अपनाई गई है।
12. बूकारोपण संबंधी जानकारी – हरित पट्टिका की विवरण हेतु कुल शोज्जल के 0.82 हेक्टेयर (34 एकड़ियां) क्षेत्र में बूकारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 0.665 हेक्टेयर क्षेत्र में बूकारोपण किया गया है। हिसीक चरण में भी 0.16 हेक्टेयर क्षेत्र में बूकारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकल्पीकरण के दौरान बताया गया है कि इंजाई.ए ईयार विद्युत जाने हेतु बैललाईन बाटा कलोक्कान का यार्ड 01 मार्च, 2022 से 31 मई, 2022 तक किया गया। राजसमाज बैललाईन बाटा कलोक्कान की सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा विचार विभासी उपरान्त गवर्नरमाति से प्रकारण “बी1” बोटेनरी का होने की कारण भारत सरकार, पर्यावरण, या और जलवायु परिवर्तन मञ्जलय द्वारा अंगूल, 2016 में प्रकल्पित स्टैण्डर्ड टर्सी ओफ रिफरेन्स (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिफर्ट फॉर ग्रीनलैंडा/एक्टीविटीज विवादीरीन इन्वायरनेट वलीवरेंस अफर ई.आई.ए. सेटिकियोजन, 2008 में वर्णित थोड़ी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (तोक सुनवाई संक्षिप्त) नेटालजिकल इंप्रेस्ट्रीज (सेल्स एण्ड गीन-प्रोसेस) हेतु निम्न अंगूलिका टीओआर की रात्रि जारी की अनुशंसा की गई:-

- I. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- II. Project proponent shall submit compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.
- III. Project proponent shall submit the existing and proposed layout plan with KML file.

- iv. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation (for existing & proposed).
- v. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vii. Project proponent shall submit NOC from competent authority for usage of water (for after expansion quantity).
- viii. Project proponent shall submit existing and proposed land area statement.
- ix. Project proponent shall submit details of coal consumption in per ton of products.
- x. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.
- xi. Project proponent shall submit the Environmental audit report.
- xii. Project proponent shall submit the action plan for energy conservation.
- xiii. Project proponent shall submit the details of plantation / greenbelt in the EIA report along with detailed information (Size, species, number, width etc).
- xiv. Project proponent shall submit details of Traffic Impact Study Report (for existing & proposed plan).
- xv. Project proponent shall submit the detailed Social Impact Study Report.
- xvi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).
- xvii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xviii. Project proponent shall submit the copy of panchamsa and photographs of every monitoring station.
- xix. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xx. Project proponent shall submit an action plan to mitigate the impact of CO₂ emission from the plant operation, the measures undertaking in the process and by the manufacture to minimize fossil fuels. Consumption and optimize combustion, the project proponent shall submit a study report on the decarbonization programme which would essentially consists of company's carbon emission, carbon budgeting/carbon balancing, carbon sequestration activities & carbon off setting strategies. Further, the report shall also contain time bound action plan to reduce its carbon intensity of its operation & supply chain, energy transition pathway from fossil fuel to renewable energy etc. All these activities / assessment should be measurable & monitorable with the define time frame, when project proponent comes for EC proposal these studies shall be formulated keeping in view India's Net Zero commitment at the COP26 Climate Summit.

- xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किए उखान समिति ने विचार किया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन इकायत लंबीय कारबाही, भारत सरकार, परमित्र, बन और जलवायु परिवर्तन गंभीरता, जहां रायगुर अटल नगर से प्राप्त किया जाये। याथ ही अनुशासित अंतिरिक्त टी.ओ.आर. जर्ट के बिन्दु डब्ल्यू 1 के निरावरण हेतु पूर्ण अभिन्न अनुशासा सहित द्वितीय किया जाये।

उपरोक्त तथी के वरिष्ठमें लंबीय उपरोक्त उच्चायत अनुशासा किये जाने हेतु प्रकरण को एसआईएसी, उत्तीर्णगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का विशेष किया गया।

एसआईएसी, उत्तीर्णगढ़ को लदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेशाल पलेंग रस्टोर बघारी (प्रो.- श्री अशोक साह), ग्राम-बरबरापुर, लहसील ब जिला-महासनुद (संविचालन का नस्ती जन्मांक 2018)

जॉन्सलाईन आवेदन – इयोजना नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 70326 / 2021, दिनांक 11/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रकारण का विवरण – यह पूर्व से संभालित कर्ती पक्षकर (नीति लक्षित) खादान है। खादान ग्राम-बरबरापुर, लहसील ब जिला-महासनुद किला पाट ओक खादान डब्ल्यू 358, कुल संत्रपत्त - 0.7 हेक्टेयर में है। खादान की आवेदित संत्रानन क्षमता - 2,191,245 टन (876,498 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

लदानुसार परियोजना प्रकारण को एसआईएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022-

प्रस्तुतीकरण हेतु की अशोक साह, प्रोप्रोटाइटर उपसित्ता हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत यानवारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न कियते पाई गई:-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

i. पूर्व में कार्ती पक्षार खदान लासरा क्रमांक 358, कुल संख्या-07 हैबटर, उत्तराखण्ड द्वारा-8785 धनरीटर प्रठिति हैं तु पर्यावरणीय स्थीरति जिला सरकार पर्यावरण सम्पादन निकाय ज्ञापित्तम् जिला—महासंग्रह द्वारा दिनांक 16/01/2017 के जारी की गई। यह स्थीरति जारी दिनांक से दिनांक 16/01/2022 तक की अवधि हैं तु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलपान, वर्षितम् गंभालय, नहीं दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16/01/2021 अनुसार—

"**A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.**"

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्थीरति की वैधत जारी दिनांक से दिनांक 16/01/2023 तक होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरति के तर्फ के आलन में वह वर्द्ध कार्बनामी की जानकारी कोटीशाहस लिटिंग प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत होनीय कार्बनामी, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलपान, परियोजना गंभालय, राज्यपुर वी पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त बन इस्तुत लिया जाना आवश्यक है।

iii. निरीक्षित रातीनुसार 140 नए युक्तिप्राप्त किया गया है।

iv. कार्बनामी कलेक्टर (विनियोज शास्त्रा), जिला—महासंग्रह द्वारा जारी प्रभाग यज दिनांक 24/08/2021 अनुसार लिगत वर्षी गई उत्तराखण्ड की जानकारी लिखानुसार है—

वर्ष	प्रत्यादन (धनरीटर)
2017	निरंक
2018	314
2019	248
2020	350

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से अद्यतन लिखित रूप से गये उत्तराखण्ड की जानकारी लिखित लिपाग वी प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. प्राग पंथायत का अनापरित प्रभाग यज — उत्तराखण्ड की संघर्ष में सुम पंथायत बरबरानुर वा दिनांक 14/04/2022 का अनापरित प्रभाग यज प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तराखण्ड योजना — कार्ती यान एसाय लिख कार्ती बलीजर यान लिख इन्हायरीमेट ऐंगेजमेट यान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला—महासंग्रह की ज्ञापन छापांक 863/क/खलि/न.प्र./2016 महासंग्रह, दिनांक 28/05/2016 द्वारा अनुगौषित है।
4. 500 नीटर की परियोजना ने लिखत खदान — कार्बनामी कलेक्टर (विनियोज शास्त्रा), जिला—महासंग्रह की ज्ञापन छापांक 224/क/खलि/न.प्र./2021 महासंग्रह,

दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 300 मीटर के भीतर 69 लोहाने, लोहेकल 39.9 हैंडीयर हैं।

5. 200 मीटर की घरिष्ठि में विष्ट शार्दूलगिक धोब/संरचनाएँ – जार्यालय कलेक्टर (जिला-जार्या), जिला-महासमृद्ध के इकायन इमारक 1257 / का / लखि / नका / 2021 महासमृद्ध, दिनांक 24/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की घरिष्ठि में कोई भी शार्दूलगिक धोब लीजे जाएं नहीं, बरियाद, भरपट्ट, पुल, बड़ी, रेल लाईन, असपत्तल, रक्कुल एवं एकट एवं शांघ आदि प्रतिक्रियित होने निर्मित नहीं हैं।
6. गूणि एवं लीज या विवरण – यह जास्तीक गूणि है। लीज वीज 10 वर्षीय अवधीन दिनांक 26/12/2006 से 25/12/2016 तक की अवधि हेतु लिया गया है। उत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 26/07/2018 को वीज अरोक्त जाहू के नाम पर किया गया है। उत्पश्चात् लीज डोड 20 वर्षीय अवधीन दिनांक 26/12/2018 से 25/12/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित वीज नहीं है।
7. डिस्ट्रीब्यट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीब्यट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुता की गई है।
8. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – प्रस्तुतीकरण के दीर्घांजना प्रस्तावक द्वारा बन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की संक्षेप में अनुरोध किया गया कि लीज लोअर से लगी दुई अच्छ खदान (वीज राजेन्द्र चन्द्रकल, जाम-बरबसपुर, लखील ए जिला-महासमृद्ध) वो बन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लो ही आवेदित प्रकरण हेतु याच्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसके अनुसार बार्डलिय उत्पादनागिकारी, जामाना उभयपहल, जिला-महासमृद्ध के इकायन इमारक/मार्गि/खनिज/6183 महासमृद्ध, दिनांक 31/12/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित लीज निकटतम बन लोअर की सीमा से 6 किमी. की दूरी पर होना चाहया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी जाम-बरबसपुर 840 मीटर, रक्कुल याम-बरबसपुर 1 किमी. एवं असपत्तल यहासमृद्ध 9.9 किमी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.8 किमी. एवं राजमार्ग 16 किमी. दूर है। नाला 130 मीटर, तालाब 700 मीटर, नहर 450 मीटर एवं यहासमृद्ध 710 मीटर दूर है।
10. पारिविविलीय/जीवविविहार संवेदनशील धोब – पारिवेशना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिसरी में अलंकृतीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, झंट्टीय जलधारा विविहार संवेदनशील धोब द्वारा घोषित विटिलकी चौल्युटेल एरिया, पारिविविलीय संवेदनशील धोब या घोषित जीवविविहार संवेदनशील धोब स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – अनुमोदित नद्विनिय पराम अनुसार जिलोलीजिकल रिजर्व 57,918 टन (23,167 घनमीटर), मार्फनेवल रिजर्व 22,174 टन (8,869 घनमीटर) एवं रिक्करेवल रिजर्व 16,630 टन है। बर्तमान में जिलोलीजिकल रिजर्व 53,176 टन (21,271 घनमीटर) एवं मार्फनेवल रिजर्व 17,434 टन (6,873 घनमीटर) लोअर है। लीज की 7.5 मीटर लोकी सीमा पट्टी (उत्पादन के लिए प्रतिवेदित लोअर) का क्षेत्रफल 3,041.3 घनमीटर है। औपन कास्ट मैनुअल विभि से उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की प्रस्तावित

अधिकारीय गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र की भीतर यमीनी जिल्ही अवस्थित नहीं है। वेष्ट की गहराई 1.5 मीटर एवं घोड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संख्यित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कल्पना क्षमिता किम्बा जाना प्रस्तावित नहीं है। बिलिंग एवं स्लाइटिंग नहीं किया जाता है। कटीन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण निवारण हेतु यस का उपयोग किया जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उत्तराधिकारीय विवरण निम्नानुसार हैं—

बर्थ	प्रस्तावित कार्यवान (टन)	बर्थ	प्रस्तावित उत्तराधिकारीय (टन)
प्रथम	1,886.25	पाँचम	2,212.5
छठीय	2,043.75	सातम	2,287.5
सूक्ष्म	2,096.25	आठम	2,325
चौथी	2,043.75	नवम	2,437.5
पंद्रहम	2,191.87	दशम	2,450

12. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 मानीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति द्वाये चंचाला द्वारा टैकर एवं शोलोल के माध्यम से की जाती है। हरा बाबत द्वाये पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल वातानुसार घोटर अधीनियम की अनुमति द्वारा कर प्रस्तुत किया गया है।

13. वृक्षारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की बीच में यारी और 7.5 मीटर की फट्टी में 609 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। जीमान में 140 नग वृक्षारोपण किया जाया है तथा योग 469 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. खदान की 7.5 मीटर की घोड़ी सीमा घट्टी में उत्तराधिकारीय — लीज क्षेत्र के यारी और 7.5 मीटर की बीच घट्टी क्षेत्रफल 3,041.3 वर्गमीटर है। जिसमें से 2,135.7 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर गहराई तक उत्तराधिकारीय नाईटिंग प्रान्त में विद्युत जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की राती का और उल्लंघन है। आपरियोजना प्रस्तावक के विलक्षण नियमानुसार आवश्यक दप्तिवात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उत्तराधिकारीय है कि भारत सरकार पर्यावरण बन एवं जलवायु परिवर्तन भ्रातृत्व, नई डिल्ली द्वारा नीन कोला नाईटिंग प्रोतोकॉल्स हेतु मानक पर्यावरणीय राती जारी नहीं है। तारी कमाक वित्त के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 6 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

एक मानक राती के अनुसार नईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर घोड़े सेपटी जीन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीवरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि द्वाये-घोड़ी, बरबासपुर एवं गुफेना, लहसील व जिला-महासभुद क्षेत्र में 95 कर्जी पत्तार खदान, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। द्वाये-घोड़ी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर जिला में द्वाये-बरबासपुर

एवं धोकारी क्षेत्र में 70 खदाने, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेयर तथा सम्पूर्ण खदानों के वित्तन दिला में ग्राम-धोकारी एवं नुडेना क्षेत्र में 25 खदाने, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर आविष्कृत है। दोनों क्षेत्रों के नवम की दूसी 680 मीटर है। युक्ति हृजाई ए स्टडी के दीर्घान दोनों क्षेत्रों का वपर जीव एक-दूसरे में झोखर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 65 पर्यावरण खदानों को एक बलस्टर मानते हुये क्षेत्रफल हृजाई ए स्टडी द्वारा छोड़े रखने हेतु अनुमति दिया गया। सभिति द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि दोनों क्षेत्रों से 10-10 किमी. की दूरी को हृजाई ए स्टडी द्वारा उपयोग किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दीर्घान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि बलस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाइन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 की सूचना भी ही गई थी।

18. नवनीय एन.जी.टी., विशिष्ट बैद्य, नई दिल्ली द्वारा संबंध पालेंड्र प्रिलद भवत्ता चलकार, पर्यावरण, बन और पालवानु परिवर्तन बंचालय, नई दिल्ली एवं अन्य (जीरियानस एप्लिकेशन नं. 188 ओव 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 0 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

सभिति द्वारा विषार किसी उपरोक्त राईकामति से निम्नानुसार निर्धाय किया गया:-

1. कर्यालय बलस्टर (जैमिज शाखा), जिला-नहासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक 224/क/जलि/नका./2021 महासमुद्र, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 69 खदाने, क्षेत्रफल 39.9 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बरवापुर) का उक्ता 0.7 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बरवापुर) को मिलाकर कुल उक्ता 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिसर में स्थीरता/संवालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की खानी गई।
2. नाईन लीज क्षेत्र के घानी और 7.5 मीटर ऊपर से खट्टी जौन के कुछ भाग में किसे बचे रखनान के कारण हुआ बीज के उपचारी उपायी (Remedial Measures) की संवेद में इस लीज क्षेत्र के अंदर नाईनिंग कियाहृतावों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायी यथा कृषानुपाय जादि के लिये समुचित उपायों को नियमित कराने वाला संवालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इवानी भवन, या राष्ट्रीय अटल बगवान जिला - रायपुर (उत्तरीसंगम) को हेतु किया जाए।
3. अतिविषयित 7.5 मीटर ऊपर सीमा पट्टी में अवैध उत्पन्न किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विलद नियमानुसार आवश्यक दण्डान्मज्ज काठीकारी किये जाने हेतु संवालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण

को लाति पहुंचाने हेतु छलीसनक पर्यावरण संबंधी नियम, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर को आवश्यक जारीयताएँ किये जाने हेतु सेवा किया जाए।

4. पूर्व में जली पर्यावरणीय स्थीरता का पालन प्रतिबंदन के संकेत में इसीकृत दीक्षीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी भास्त शालकार, राष्ट्रपुर को पत्र लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विभार किया हुवरात सर्वसमानि से प्रकल्प 'जी' के लिए का होने के कारण भास्त शालकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन संबंधी द्वारा अधीक, 2015 में प्रकाशित स्टैफर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) पर्व ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट प्लॉय ग्रोवटर्स/एवटीविटीएल रिकायर्डिंग हन्चायरमैट वलीयरेस अध्यक्ष हुआई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित अंकी 1(ए) का स्टैफर्ड टीओआर (लीक सुनवाई सहित) नीन कोल माईमिंग प्रोजेक्टस हेतु निम्न व्यक्तिगत टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई—
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from mining department.
 - iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
 - v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
 - x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
 - xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
 - xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017

- xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xiv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/10/2022 को संबंध 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती एवं अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किया जावशास्त्रीय से शामिल की अनुशंसा की रौप्यकारी द्वारा उपरोक्तगुप्तार हमरी ओफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (जीव वृन्दावन शहिर) गिरन अतिरिक्त शर्तों के आधीन जारी करने का निर्देश दिया गया।

- i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- ii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintenance of seasonal nallah & prepare and submit a study report regarding Impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है—

- (i) (i) नदीन लीज छोड़ के आरी और 7.5 मीटर छोड़ सेपटी योग के बुखार मान में दिये गये उल्लंघन के प्रकरण इस छोड़ के उपरान्त उपचारी उपचारी (Remedial Measures) के संबंध में लडा लीज छोड़ के लंदर माइनिंग कियाकरतारी के कारण उल्लंघन प्रदूषण द्वारा आवश्यक उपायों मध्या वृक्षारोपण आदि के द्वारा समुचित उपायी बाहर संचालक संवादनालय, गैरिमिली उपा खणिकर्म, इंद्रावती नदी, नदा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) यों पर लिया जाए।
- (ii) प्रतिशेषित 7.5 मीटर छोड़ सीमा पट्टी में अपैत उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विलक्षण गिरवमानगुप्तार आवश्यक दर्शायें।

कार्यकारी निये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा स्थानिकम् को पत्र लेख किया जाए।

(१) माइन लौज सेव के बारे और ८.८ फीटर छोड़े जाने के कुछ गांग में जिसे गांगे पहलवान के लकड़ी पदार्थकरण की तरी घटुआने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संबंध मंडल, नवा रायपुर अटल नगर की आवश्यक कार्यकारी निये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(२) यूर्जे में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से भेजाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को जारी टम्सी औफ रिफरेन्च (टी.ओ.आर.) (होक मुन्डाई रिहित) जारी किया जाए। यह ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा स्थानिकम्, इकाइयों भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संबंध मंडल, नवा रायपुर अटल नगर लकड़ी पर्यावरणीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंडल, नवा रायपुर अटल नगर की पत्र लेख किया जाए।

७. मेसांस चतोन रुदीन बवारी (प्रो.— श्री धीरज कुमार कौहली), चाम—घोड़ारी, लहसील व जिला—महासमुद्र (संचियालय का नवीकृत क्रमांक २०१०)

ऑनलाईन आवेदन — प्रधोजन नगर — एसडीए/ श्रीजी/ एमडीए/ ७८८६९ / २०२२, दिनांक ११/०६/२०२२ द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण — यह यूर्जे से संबंधित पर्यावरण (गौण स्थिति) जादान है। जादान चाम—घोड़ारी, लहसील व जिला—महासमुद्र स्थित पाटी औफ जासन झमांक १३२, कुल क्षेत्रफल—०.८८ हेक्टेयर में है। जादान की आवेदित उत्तरानन क्षमता—२,९०५ टन (१.१६२ घनमीटर) प्रतिवर्षी है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसडीए सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक ०२/०९/२०२२ द्वारा प्रत्युत्तीकरण हेतु मुहित किया गया।

वैठक का विवरण —

(अ) सांचिति की ४२३वीं वैठक दिनांक ०७/०९/२०२२:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री लीलावार साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपरिक्त हैं। सामिल द्वारा नवी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं वरीदान करने वार निम्न सिद्धि पाई गई—

१. यूर्जे में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति सांबंधी विवरण—

१. यूर्जे में कर्ती पर्यावरण जादान जासन झमांक १३२, कुल क्षेत्रफल—०.८८ हेक्टेयर, उत्तरानन क्षमता—१.१६२ घनमीटर प्रतिवर्षी हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला लालिय पर्यावरण राज्यपात नियोजन प्राविकरण, जिला—महासमुद्र द्वारा दिनांक १८/०३/२०१७ की जारी की गई। यह स्वीकृति जल्दी द्वारा जारी अधिकृत दिनांक १८/०३/२०२२ तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा जादान गया था जि भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंडल, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिकृत दिनांक १८/०१/२०२१ अनुसार—

"A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be

considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिकारण के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/03/2023 तक बैठ होगी।

- i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी के पालन में की गई कार्रवाई की जानकारी छोटोपापस सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत होशीय कार्रवाई, जारी सरकार, पर्यावरण, तथा एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का उत्तम प्रतिवेदन द्वारा बन प्रस्तुत किया जामा आवश्यक है।
- ii. नियोगित ग्राहकनुसार 172 नम सुझावोपन वित्त गया है।
- iii. कार्रवालीय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला—महासंग्रह द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 28/08/2021 अनुसार विभात कर्ता में किये गये उत्तरण की जानकारी निम्ननुसार है:-

वर्ष	संतावन (घनमीटर)
2017	271
2018	663
2019	220
2020	433

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से अलगान विभात तक फिरे गये उत्तरण की जानकारी समिति विभाग से प्रभागित करकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. यात्र याचारका का अनावर्तित प्रमाण पत्र — उत्तरण के संबंध में यात्र याचारका घोषणा का दिनांक 07/03/2022 का अनावर्तित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तरण खोजना — कारी प्रान प्रलोग विध कारी वस्त्रोत्तर प्रान विध हृद्यायरोमेट मैनेजमेट प्रान इलुल वित्त गया है, जो एकी अधिकारी, जिला—महासंग्रह के द्वारा दिनांक 1891/क/खलि/न.अ./2018 महासंग्रह दिनांक 24/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में विष्वत खदान — कार्रवालीय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला—महासंग्रह के द्वारा दिनांक 237/क/खलि/न.अ./2021 महासंग्रह, दिनांक 11/02/2022 अनुसार अवैदित खदान से 500 मीटर के भीतर 24 खदानों, लोकल 16.97 हेक्टेयर हैं।
5. 200 मीटर की परिधि में विष्वत सार्वजनिक होत्र/संरचनाएँ — कार्रवालीय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला—महासंग्रह के द्वारा दिनांक 1293/क/खलि/न.अ./2021 महासंग्रह, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई सार्वजनिक होत्र यौन विवर, नियंत्र, मरण, झुल, नदी, रेत लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिवेदित होत्र विभिन्न नहीं हैं।

6. भूमि एवं लौज का विवरण – भूमि एवं लौज की दीरज कोडलाई के नाम पर है। लौज कोड 10 वर्षीय अवधि के बाहर 20 / 10 / 2010 से 19 / 10 / 2030 तक की अवधि हेतु कैप थी। तात्परतात् लौज कोड 20 वर्षीय अवधि के 20 / 10 / 2020 से 19 / 10 / 2040 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – को 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
8. बन विवाद का अनापदित प्रमाण पत्र – काशीनग बनभावनाविकासी, राजगढ़ बगमपुरल, महाराष्ट्र के इच्छन ग्रामपाल/मापि/सॉनेज/1026 महाराष्ट्र, दिनांक 16 / 03 / 2010 से जारी अनापदित प्रमाण पत्र अनुसार अनुमोदित कोड बन क्षेत्र की सीमा से 15 किमी की दूरी पर है।
9. गहलतपूर्ण यांत्रिकनाली की दूरी – निकटतम आवादी घास-गुडेना 540 मीटर, स्वचूल घास-गुडेना 800 मीटर एवं अस्तवाल गहलतपूर्ण 6.8 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 660 मीटर एवं राजमार्ग 13.2 किमी. दूर है। नाला 3.2 किमी., तालाब 660 मीटर एवं गहलतपूर्ण 660 मीटर दूर है।
10. पारिविवरिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिभौमि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राष्ट्रान, अभयारण्य, झोन्होन प्रदूषण विषयक सोहू द्वारा प्रोत्सित डिटिकली वॉल्यूटेक एरिया, पारिविवरिकीय संवेदनशील क्षेत्र या प्रोत्सित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिक्रियित किया गया है।
11. खानन संघर्षा एवं खानन का विवरण – अनुमोदित मार्फीनिंग प्लान अनुसार जियोलोजिकल रिजर्व 35,248 घनमीटर, मार्फीनेशन रिजर्व 22,813 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 16,860 घनमीटर है। यांत्रिकन में जियोलोजिकल रिजर्व 32,817 घनमीटर एवं राहगेवल रिजर्व 20,182 घनमीटर सेव है। लौज की 7.5 मीटर सीमा चट्टी (उत्तरानन के लिए प्रतिवर्षित क्षेत्र) का दोजकल 2,234 घनमीटर है। ओपन कास्ट बेन्चारल लिंग से उत्तरानन विभाग जाता है। उत्तरानन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लौज क्षेत्र में ऊपरी गिर्ही की गहराई 1.5 मीटर है तथा कुल भाजा 3,975 घनमीटर है। बेंच की ऊपरी 1.5 मीटर एवं नीची 1.5 मीटर है। यांत्रिकन की संभागित आयु 17 वर्ष है। लौज क्षेत्र में कमान व्यापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। डिलिंग एवं स्लारिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। यांत्रिकन में यायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु यात् का डिस्काउंट किया जाता है। बर्बाद व्यापारित उत्तरानन का विवरण निम्नानुसार है:-

पर्याय	प्रस्तावित उत्तरानन (घनमीटर)	पर्याय	प्रस्तावित उत्तरानन (घनमीटर)
प्रथम	962.5	प्रथम	1,273.5
द्वितीय	1,215	संसाम	1,269
तृतीय	1,219.5	अस्तुम	1,270.5
चतुर्थ	1,219.5	नवम	1,264.5
पंचम	1,216.5	दशम	1,268.5

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.54 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति घास पंचाकल द्वारा हेतुर एवं बोनील के नदानम से की जायेगी। हुस बाबत घास पंचायत का अनापदित प्रमाण पत्र एवं बोनील घासानन्द कोडर अनापदित की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. यूक्तारीपत्र कार्य – सीज लेने की सीमा में आंते और 7.5 मीटर की चूटी में 447 नए यूक्तारीपत्र किया जाएगा। खदान में 172 नए यूक्तारीपत्र किया गया है तथा और 275 नए यूक्तारीपत्र किया जाएगा।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में छात्करण – सीज क्षेत्र के आंते और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में छात्करण कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकारण के दीर्घन परिवोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि याम-चोकारी कल्पनापूर एवं मुद्देना, छहसौल व जिला-महासभुंद लेने में 95 फ़ैटी पत्थर खदाने, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवधित है। याम-चोकारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिसपर राष्ट्रीय राजमार्ग के दालत दिशा में याम-चोकारी एवं मुद्देना क्षेत्र में 70 खदाने, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में याम-चोकारी एवं मुद्देना क्षेत्र में 25 खदाने, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवधित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। यूक्ति इंआईए रटड़ी के दीर्घन दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक-दूसरे में ऑफर सेप हो रहा है। इस परिवोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक कलस्टर मानते हुये काईनल हैआईए, रिसोर्ट रियार करने हेतु अनुसार दिया गया। समिति द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि दोनों कलस्टरों से 10-10 किमी. के क्षेत्र की इंआईए बॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकारण के दीर्घन परिवोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि कलस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बैशालाईन लाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/12/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया है। उक्त के साथ में दिनांक 28/09/2021 को सूखना भी ही गई थी।

17. नगरीय एवं वीटी, प्रिसिपल वेप, नई दिल्ली द्वारा जलवैद्य पार्किंग विस्तृद भारत सरकर, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (आवेदित एवं लिंगायत नं. 188 और 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित कार्डेज में कुछ रथ से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किया जाने वाले सर्वसम्भवि रो निम्नानुसार निर्णय दिया जाया—

- कार्यालय कलेक्शन (बैशिज लाटा), जिला-महासभुंद के ज्ञापन नं.का 237/क/खलि/प.क./2021 महासभुंद, दिनांक 11/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर 34 खदाने, क्षेत्रफल 16.97 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (याम-चोकारी) का रक्कड़ 0.88 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (याम-चोकारी) को मिलकर कुल रक्कड़ 17.83 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की चौड़ी में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलस्टर निर्मित होने के कारण वह खदान 'बी' सेपों की नहीं बर्ती।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिक्रिया के संबंध में सहीकृत दोषीय वस्तुयासय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन नियंत्रण भारत सरकार, रायपुर द्वारा चल रहा हित्या याए।
3. समिति द्वारा दिल्ली उपरांत सर्वसम्मति से इसका 'बीम' के लिए गई का होने के कारण भारत सरकार, वर्षावरण, बन और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण द्वारा अप्रैल 2016 में प्रकल्पित स्टैफ़वर्क दस्ती ओफ रिकॉर्ड (टीआईआर) पर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट परीक्षितदाता/एकटीपिटीज रिक्वायरिंग इन्डियर्स एंड कंसल्टेंट्स अपार्टमेंट ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में घोषित लेणी 1(र) का स्टैफ़वर्क टीआईआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोन गाड़ियांग प्रोटोकॉल द्वारा हेतु निम्न अधिकृत टीआईआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति नी है—
- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from mining department.
 - iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
 - v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - vii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
 - ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
 - x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
 - xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
 - xii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
 - xiii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the

plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

- xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राक्षिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राक्षिकरण की दिनांक 19/10/2022 की संवन्धे 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राक्षिकरण द्वारा नक्सी का अवलोकन किया गया। प्राक्षिकरण द्वारा विचार विभास उपरांत शर्वसम्मानि से समिति की अनुशासा को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार हमसे ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) मिल अतिरिक्त जारी करने का निर्देश दिया गया—

- i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- ii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintenance of seasonal nallah & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्टीक्टुटि का पालन जलीयेवन एकीयता होती है कार्यालय, भालू सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नदा राष्ट्रपुर अटल नगर से गंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परिवार्जना प्रस्तावक की सही 13वीं ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीयता होती है कार्यालय, भालू सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नदा राष्ट्रपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

- v. मेवारी बलेन रहोन बाबारी नाईन (प्रौ.— श्री हांकर लाल बन्दाकर), ग्राम—चौकारी, तहसील व जिला—गहाराम्बुद (समिवालय का नक्सी छापांक 2020)

ऑनलाइन आवेदन — प्राप्तिकल नम्बर — एसआई/ सीजी/ एमआई/ 76871 / 2022, दिनांक 11/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रकाश का विवरण — यह पूर्व से संबंधित कार्यालय (गौण खानिक) खदान है। खदान ग्राम—चौकारी, तहसील व जिला—गहाराम्बुद रिक्षा खसरा छापांक — 225/2, कुल ठेकानी—136 एकड़ीयर में है। खदान की आवेदित उत्थानन क्षमता — 1,575 पनमीटर (3,937.5 टन) छत्तीसगढ़ी है।

खदानुसार परिवार्यना प्रस्तावक को एसईएसी— उत्तीर्णागढ़ की जापन दिनांक 02/09/2021 द्वारा प्रशुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07 / 09 / 2022

प्रसन्नतीकरण हेतु श्री विनेश्वर कुमार बन्दाकर, अधीक्षा इंसिपियल उपसिद्धि हुए। समिति प्रसन्न कर्त्ता, प्रसन्नत जगदवारी का अवलोकन एवं गवीङ्गाम वारने पर निम्न फैलावी पाई गई—

१. पूर्ति में जारी वसाहतीय स्थीकरण संबंधी किसित्या—

- लूट में पकड़ी पालघर सख्तीन खस्ता कागांक 226/2, बुल शेक्कल-1.36 हजारोंवर, उत्तमनन अमला-1.575 घनमीटर प्रतिकर्ष हेतु पर्यावरणीय इंशोफूटि फिल सारीय पर्यावरण वापाचात निवारण प्राधिकरण जिला-प्रभागमुंद हासा दिनांक 09/06/2017 को जारी की गई। यह निवारणीय जारी दिनांक से दिनांक 08/06/2022 तक की उच्चति हेतु जारी नहीं गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया था कि भारत सरकार, उपर्युक्त, इन और जलवायु परिवर्तन प्रभावों की दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना हिनोक
18/01/2021 अनुसारे—

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिकार्यवाले के अनुसार पर्यावरणीय वरीकृति की ऐमटा जारी दिनांक
से दिनांक 05/05/2023 तक होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्ति में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लकड़ी के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रदानी गयी। इहां प्रस्तुत की गई है। स्टीमिंग का बता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एवं लकड़ी कर्मचारी द्वारा सहभाग, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रपुर से पूर्ति में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - iii. नियमित रातीयुसार 270 नया नुसारीपन लिया गया है।
 - iv. कार्यालय कलेक्टर (जनरिज राज्य), जिला-बहुलगुद द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 26 / 08 / 2021 अनुसार लिखत लकड़ी में लिये नये उल्लंघन की जानकारी लिनार्थार है।

वर्ष	संतप्तादन (प्रतिशत)
2017	निरंक
2018	
2019	220
2020	83

समिति का यह है कि दिनांक 01/01/2021 से अद्यतन स्थिति तक किये जाये करत्तरानन की जानकारी समिति प्रभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. नाम पंचायत का अनापरिसि प्रमाण पत्र – उत्तरानन के संघर में शाम पंचायत पोहारी का दिनांक 07/03/2022 का अनापरिसि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तरानन योजना – योजने पत्रान एतान विषय वयारी पलीयर पत्रान विषय इन्हायरेट मैनेजमेंट पत्रान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संबोधक (खनिज प्रका.) जिला राष्ट्रपुर के दृष्टानन क्रमांक क/खलि/तीन-6/2017/3671(3) राष्ट्रपुर दिनांक 17/03/2017 द्वारा अनुगोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कालीलय कलेक्टर (खनिज भारत), जिला-महासभुद के इकान ज्ञानांक 237/क/खलि/न.का./2021 महासभुद दिनांक 11/02/2022 अनुसार अर्थोदीत खदान से 500 मीटर की दूरी परिस्थित 24 खदानों की अवधि 16.48 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक शोज/सांख्यनाए – कालीलय कलेक्टर (खनिज भारत), जिला-महासभुद के इकान ज्ञानांक 1298/क/खलि/न.का./2021 महासभुद दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी इकान पत्र अनुसार एकत्र खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक शोज यीसे मदिर, भविष्यत, भवयट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्फाल्ट सड़क, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिक्रिया संकेत नहीं हैं।
6. भूमि एवं लौज का विवरण – नूने एवं लौज की खोज लाल चन्द्रावर के नाम पर है। लौज की 10 वर्षीय अवधि दिनांक 19/03/2013 से 18/03/2022 तक की अवधि हेतु विवरण नहीं। लगभग लौज की 20 वर्षीय अवधि दिनांक 19/03/2022 से 18/03/2042 तक की अवधि हेतु विसारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट रार्ड रिपोर्ट – कर्ण 2019 की डिस्ट्रीक्ट रार्ड रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. बन विभाग का अनापरिसि प्रमाण पत्र – जनर्यालय इनमान्हलाहिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला-महासभुद के इकान ज्ञानांक/खलि/खनिज/7442 महासभुद दिनांक 09/12/2011 से जारी अनापरिसि प्रमाण पत्र अनुसार 300मीटर की गत शेज की सीमा से 12 किमी की दूरी पर है।
9. बहत्यपूर्ण सांख्यनाओं की दूरी – विकासाम आवादी शाम-पोहारी 175 मीटर, गकुल प्राय-पोहारी 810 मीटर एवं अवपत्ताल महासभुद 7.5 किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 270 मीटर एवं राज्यगार्ग 138 किमी दूर है। गोलमी नाला 195 किमी, तालाब 620 मीटर नहर 950 मीटर एवं गहानी 300 मीटर दूर हैं।
10. पारिविष्टिकीय/जीवविजिता संवेदनशील शेज – वरियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय शीता, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, कन्दीय प्रदूषण विशेषज्ञ लोक द्वारा घोषित विनियोगीय पौर्वानुषेध एवं पारिविष्टिकीय संवेदनशील शेज या घोषित लैगविजिता शेज की होती जिमेविल किया गया है।
11. छनन संपदा एवं खनन का विवरण – अनुसेदित गाईधिनी पत्रान अनुसार लियोलीविकल रिजर्व 2,70,000 टन, माईनेश्वर रिजर्व 163,812 टन एवं रिक्कहरेश्वर रिजर्व 1,22,859 टन हैं। छनन में लियोलीविकल रिजर्व 2,68,887 टन एवं माईनेश्वर रिजर्व 1,62,899 टन होता है। लौज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्तरानन के लिए प्रसिद्धिप्राप्त शेज) का क्षेत्रफल 3,904 मीटर है। छोपन

कास्ट मेन्युअल विधि से उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न की प्रसारित अधिकतम गहराई 8.5 मीटर है। लीज शेव में तुबरी निर्दिष्ट की गहराई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्र 3.8135 एकड़ीय है। बैंग की गहराई 1.5 मीटर एवं गहराई 1.5 मीटर है। खदान की समाप्ति आवृत्ति 10 वर्षों से अधिक है। लीज शेव में छवन स्थापित किया जाना प्रसारित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। बटोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में यात्रा प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का फिल्टर किया जाता है। यांत्रिक प्रसारित उत्पन्न का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रसारित उत्पन्न (टन)	वर्ष	प्रसारित उत्पन्न (टन)
प्रथम	3,000	कास्ट	3,525
द्वितीय	3,112.5	सापान	3,837.5
तृतीय	3,225	अष्टम	3,712.5
चौथा	3,300	नवम	3,813.5
पालम	3,412.5	दशम	3,937.5

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.43 एकड़ीय प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति प्राप्त पंचायत द्वारा टैक्स एवं बोरोवेल के महान से ही जाती है। इस जल प्राप्त पंचायत का अनावरित प्रमाण पात्र एवं बोरोवेल प्राप्तप्राप्त औटर अवारिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. बृक्षारोपण कार्य - लीज शेव की सीमा में याती और 7.5 मीटर की पट्टी में 780 नग सूक्ष्मारोपण किया जाएगा। बर्तनान में 270 नग सूक्ष्मारोपण किया गया है तथा शेव 510 नग सूक्ष्मारोपण किया जाएगा।

14. खदान की 7.5 मीटर की बीड़ी लीमा पट्टी में उत्पन्न कार्य - लीज के दो सारी और 7.5 मीटर की लीमा पट्टी में उत्पन्न कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दोस्तन परियोजना प्रसारक द्वारा बताया गया कि शाम-धोकारी बरबरापुर एवं मुहूर्ना, राहनील व जिसा-महाराजनुद क्षेत्र में 95 कर्टी पहाड़ खदान, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवसिधत है। शाम-धोकारी के नग्य से शाम्भूय राजमार्ग गुजरता है। जिसाने राज्यीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में शाम-बरबरापुर एवं धोकारी क्षेत्र में 70 खदानों क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राज्यीय राजमार्ग के उत्तिप दिशा में शाम-धोकारी एवं मुहूर्ना क्षेत्र में 25 खदानों क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवसिधत है। दोनों क्षेत्रों के नग्य की दूरी 880 मीटर है। युक्ति इंआईए रस्ती के दोस्तन दोनों क्षेत्रों का काफर जोन एक-दूसरे में ओवरल लेप हो रहा है। इस अवियोजना बरबापुर द्वारा कुल 95 पहाड़ खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये जाईन्स है इंआईए रिपोर्ट दीवार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि दोनों क्लस्टरों की 10-10 किमी. की सीमा को इंआईए मीटिंग्स के लिए उपयोग किया जाना चाहता रहा।

16. प्रस्तुतीकरण के दोस्तन परियोजना बरबापुर द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में जाने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01 / 10 / 2021 से 31 / 12 / 2021 के मध्य किया गया है। उपराने संक्षेप में दिनांक 28 / 09 / 2021 को सूचना भी ही रही थी।

17. शामीय एनओटी, विशिष्ट बैथ नई दिल्ली द्वारा बर्लीय विश्वव भारत संरक्षन, पर्यावरण बन और जलयात्रा परियोजना बोरालय, नई दिल्ली एवं अन्य (जीरियालैन एसिस्टेंसन नं. 100 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13 / 09 / 2016 को पारित आदेश द्वारा से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा प्रियार्थ मिशन सुपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आधीलव कलेक्टर (खण्डित खादान), ज़िला-महासंग्रह को द्वारा ग्राम 237 / क / खण्डित / नं.पा. / 2021 महासंग्रह, दिनांक 11/02/2022 अनुसार आधीलव खादान से 500 ग्रैटर की बीतर अवधित 24 खादान, क्षेत्रफल 16.48 हेक्टेयर है। आधीलव खादान (दाम-पोडाची) का रकमा 1.35 हेक्टेयर है। इस उदाहर आधीलव खादान (दाम-पोडाची) को मिलाकर कुल रकमा 17.83 हेक्टेयर है। खादान की सीमा से 500 ग्रैटर की परिधि में एकीकृत / सांचालित खादानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलस्टर निर्मित होने के कारण यह खादान बींचे भी नहीं गली।
 2. पूर्व में जारी पश्चिमजीव स्थीरकृति का पालन प्रतिवेदन के साथ में एकीकृत कीदीव कार्यालय पश्चिमज, बन एवं जलवायु परिवर्तन बंजालय, भारत नरकार, रायपुर की ओर से लिया जाए।
 3. समिति द्वारा प्रियार्थ मिशन सुपरांत सर्वसम्मति से प्रबन्ध द्वारा लंबेगढ़ी का होने के कारण भारत नरकार, पश्चिमज, बन और जलवायु परिवर्तन बंजालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रवर्तित स्टैम्पड टम्स ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) पौर इ.आई.ए./हुएम.पी. रिपोर्ट पौर ओडिकट्स / एकीलिनील रिफराल्सिंग इन्वायर्नमेंट बलीयरेस अफ़ग़न इ.आई.ए. नंटिकिकोकन, 2006 में दर्शित थेनी १(ए) का स्टैम्पड टीओआर (स्लोक रुक्कड़ राहिल) नीन कोल मर्टिनिंग ओडिकट्स हेतु निम्न असिरिता टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुसन्धान की गई:-
- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from mining department.
 - iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & overburden plan & incorporate the details in the EIA report.
 - v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - vi. Project proponent shall undertake survey and study for conservation of pond, canal & other water bodies and submit an action plan along with the EIA Report.
 - vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

- vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the copy of panchama and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/08/2017.
- xiv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राक्षिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राक्षिकरण की हिन्दी 19/10/2022 को सम्पन्न 131वीं बैठक में विचार विया गया। प्राक्षिकरण द्वारा जल्दी का अबलीयता विचार गया। प्राक्षिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त खर्चसम्मिली वी समिति की अनुसार को नीचे करती हुई उपरोक्तानुसार टम्ही और ऐकेसी (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई समिति) निम्न अंतिमिका जल्दी के अंदर जारी करने का निर्णय लिया गया।

- i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Gavoteg photographs in the EIA report.
- ii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintenance of seasonal nallah & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

साथ ही यह सौ निवेद लिया गया कि यूर्जे में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, यह और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या राष्ट्रपुर अटल नगर से मिलाके जाने हेतु पत्र लेख दिया जाए।

परियोजना प्रबलावक की बातें इन्हीं ऑफ ऐक्सेन्स (टीओआर) (लोक सुनार्थ सहित) जारी दिया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, यह और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या राष्ट्रपुर अटल नगर की पत्र लेख दिया जाए।

9. नेशनल कृष्णा आवेदन एन्ड ट्रस्ट एडवेट लिमिटेड, चुरला इम्प्रिस्ट्रियल एरिया, याम-सरोरा, तहसील व जिला-राष्ट्रपुर (संविवालय का नमूनी क्रमांक 622)

ऑनलाईन आवेदन — यूर्जे में प्रयोगात् नमूने — एसआईए/ सीजी/ अर्ड्यूएनडी/ 29809/2017, दिनांक 20/10/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन दिया गया था। उत्तराधि ने प्रयोगात् नमूने — एसआईए/ सीजी/ अर्ड्यूएनडी/ 221170/2021, दिनांक 22/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में समीक्षण हेतु आवेदन दिया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — परियोजना प्रबलावक द्वारा जनका विस्तार के लिए याम-सरोरा, चुरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला-राष्ट्रपुर जिला घटाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, युल होमप्लान — 2667 हेक्टेयर (6.59 एकड़ी) की अतार्गत निभानुकार कार्यकलाप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबा आवेदन दिया गया है।—

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित जनका (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में बाजित संशोधन जनका (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में बाजित संशोधन उपराज फ्रैक्टिव जनका (टन प्रतिवर्ष)
बिलेट्स / इन्काट	1,20,000	—	1,20,000
सी.सी.एम. एवं हीट बाबा अतार्गत सोलिंग जिले	1,08,000	प्रतिस्थापित (Replaced)	प्रतिस्थापित (Replaced)
हि-हीटिंग फर्नीचर अतार्गत सोलिंग जिले	12,000	1,08,000	1,20,000
एन.एस. पाइप एन्ड ट्रस्ट	1,20,000	—	1,20,000
सेलेनियुलिंग ऑफ पाइप एन्ड ट्रस्ट एन्ड अर्टिटम्स	34,600	—	34,600
फ्रैक्टिकेशन यूनिट	34,600	—	34,600

पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु परियोजना की विभिन्नों कम्पनी कारोबार होगी।

जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण — एसईआईए, छलीभाड़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2019 द्वारा जनका विस्तार के लिए याम-सरोरा, चुरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला-राष्ट्रपुर जिला घटाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840,

841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल – 2,867 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकालाप हेतु पर्यावरणीय स्थीरता की किया गया है:-

कार्यकालाप	स्थापित समता	आनता विस्तार उपर्यांत प्रस्तावित समता
इन्डस्ट्रियल फैसिलिटी विधि सी.सी.एम. से फिलेटस/इंगाट उत्पादन हेतु सेलिंग मिल से ही-रोल्ड प्रोडक्ट्स उत्पादन हेतु	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष
एम.एस. पर्क्स एन्ड ट्रॉफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आर्टिकल्ड ब्रॉडबैंड	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष (1)
एम.एस. पर्क्स एन्ड ट्रॉफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आर्टिकल्ड ब्रॉडबैंड	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष
कॉर्पोरेशन प्रूटिट	34,600 टन प्रतिवर्ष	34,600 टन प्रतिवर्ष

(1) कुल 1,20,000 टन प्रतिवर्ष रोल्ड प्रोडक्ट्स में से 1,05,000 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन आईसीआईन हीट बहिर्भव सेलिंग मिल से लगे हुये इन्डस्ट्रियल फैसिलिटी विधि सी.सी.एम. से किया जाएगा एवं शेष 12,000 टन प्रतिवर्ष सेलिंग मिल से विधा जाना प्रस्तावित है।

निम्नानुसार परियोजना प्रस्तावक को एम.एस.एसी. अस्ट्रीलियन के लापन एवं ही-सी.एल. दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनिश्चित किया गया।

वैशकों का विवरण -

(अ) समिति की 365वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर लाल दास, एलाट नियंत्रक लिंकिंग कार्बोसिंग के समय से उपर्युक्त हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारी में विषमता होने के कारण दिनांक 31/08/2021 को उनके द्वारा जानकारियों का युनिवरीलय कर समिति के समक्ष आगामी आवधित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा लात्समय सर्वानुमति से विधीय किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में घाही गई वाहित जानकारी एवं समस्त सुलगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

निम्नानुसार परियोजना प्रस्तावक को एम.एस.एसी. अस्ट्रीलियन के लापन दिनांक 10/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनिश्चित किया गया।

(ब) समिति की 365वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर कुमार लाल दास, नियंत्रक एवं व्यापारिया सलाहकार मेंसर्स ए.एम.पी.आई. इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री नितिल अहुजा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी. प्रस्तुत जानकारी का अचलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्पष्टि पाई गई-

1. सेक्ष्युल एरिया स्टेटमेंट -

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1	Induction Area	2,800	10.06
2	Rolling Mill	4,000	15.02
3	GI Pipes & Fabrication unit	4,868	18.21
4	Raw Material Yard	2,000	7.51

5.	Finished material & slag yard	1,300	5.63
6.	Road Area	900	3.40
7.	Open Area	1,800	6.70
8.	Greenbelt	8,802	33.01
Total		26,670	100

2. शो-कटेश्वरम -

S. No.	Raw Material	Existing Quantity	After Amendment Quantity
1.	Sponge Iron	1,14,000 TPA	1,14,000 TPA
2.	Scrap	24,000 TPA	24,000 TPA
3.	Alloys	1,200 TPA	1,200 TPA
4.	Coal	5 TPD	36 TPD
5.	Lime	-	63 TPA

3. बायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - यहांमान में इन्फ्राक्षेत्र कर्मसु एवं रिहाई कर्मसु आवश्यक रोलिंग मिल में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सेन्ट्रल रस्ट कर्मसु व्यवस्थाने नियंत्रण के साथ देश फिल्टर स्थापित है। प्रस्तावित संशोधन उपरान्त रिहाई कर्मसु आवश्यक रोलिंग मिल में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कीटी एक हूं डेंग फिल्टर एवं 33 मीटर ऊंची गिरनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था ही पार्टिकुलेट मेटर का उत्तरार्द्ध 25 गिरनीवाम/सान्नान्य घनमीटर से ज्ञान रखा जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रयुक्तिविहीन रस्ट उत्तरार्द्ध नियंत्रण हेतु प्रयुक्ति एकमात्रावश्वाने नियंत्रण एवं 33 मीटर ऊंचाई की गिरनी स्थापित है। वही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन उपरान्त अपनाई जाएगी।
4. समिति के संझान में यह लक्ष्य आया कि दूरी में जारी पर्यावरणीय स्थीरता में पार्टिकुलेट मेटर का उत्तरार्द्ध की मात्रा का उल्लेख किया गया था एवं यहांमान में परियोजना प्रवर्तनक द्वारा प्रत्युत्तीकरण की दीर्घन कूरी में जारी पर्यावरणीय स्थीरता हेतु पार्टिकुलेट मेटर के लिए प्रत्युत्त गणना में उत्तरार्द्ध की मात्रा में भिन्नता है। समिति यह भत्ता है कि उत्तर का स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक है।
5. परियोजना प्रवर्तनक द्वारा की दीर्घन कलाया गया कि जारी पर्यावरणीय स्थीरता अनुसार एस.ओ. उत्तरार्द्ध की मात्रा 18,000 किलोग्राम प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित संशोधन हेतु स्टैक इगलेट के पहले लाईंग होलिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे एस.ओ. उत्तरार्द्ध की मात्रा 16,800 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगी।
6. लोरा अपशिष्ट अपवाहन व्यवस्था - प्रस्तावित संशोधन उपरान्त रोलिंग मिल की स्लेन - 17.100 टन प्रतिवर्ष, यूनिट औपल - 0.21 घनमीटर प्रतिवर्ष, लाईंग स्लेज - 153 टन प्रतिवर्ष एवं ऐस - 13 टन प्रतिदिन लोरा अपशिष्ट के साथ में उत्पन्न होगा। स्लेन की स्लेज ग्रोसेंसिंग यूनिट को विकल्प किया जाएगा। यूनिट औपल को अधिकृत रिसाइक्लर को विकल्प किया जाएगा। लाईंग स्लेज की सीमेट लायोन को विकल्प किया जाएगा। ऐस एवं हीट निर्भाग इकाई की उपलब्ध कराया जाएगा।

7. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- जल संग्रह संरचना - यहांमान में परियोजना हेतु कुल 98 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 09 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक प्रयोग हेतु 89 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन उपरान्त

परियोजना हेतु कुल 115 घनमीटर प्रतिदिन (कुमिंग हेतु 82 घनमीटर प्रतिदिन, लवल राप्पेज हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन एवं दीन बेट्टे हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। पूर्ण में आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल राप्पेज बीटर अधीरिती हाता 32.340 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जारी की गई थी, जिसकी विवरण दिनांक 07/02/2021 तक है। यहांपर्यन्त में आवश्यक जल की आपूर्ति सीएसडब्ल्यूडब्ल्यूसी के पात्रम से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकालाप हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल राप्पेज बीटर अधीरिती सीएन्यूट्रिट्रिशन द्वारा की गयी है।

- जल संदर्भ में विकास व्यवस्था – औद्योगिक दृष्टिया से दृष्टित जल संग्रह होता है। कुमिंग उपर्युक्त प्राप्त दृष्टित जल की तंत्रा कर कुल क्षमिंग हेतु उपयोग में जाया जाता है। औद्योगिक दृष्टित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिटिवाइजेशन मिस्टर्स) नवापित है। यहांपर्यन्त में घरेलू दृष्टित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टॉक एवं स्लोकपिट फिर्में द्वारा किया गया है। प्रस्तावित संशोधन उपर्युक्त घरेलू दृष्टित जल की गाता 6 घनमीटर प्रतिदिन होती, जिसके उपचार हेतु एन्डीवीआर ताकनीक आवश्यक सीलेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा हाता ह 6 घनमीटर प्रतिदिन की नवापन प्रस्तावित है। शून्य निवासन की निवासी रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित राहिलेपन हेतु उपनाई जाएगी।
- ऐन बीटर हार्डिंग्स व्यवस्था – उपर्युक्त परिसर में वर्ष के पानी का कुल नम्बरीफ़ 18.313 घनमीटर प्रतिवर्ष है। ऐन बीटर हार्डिंग्स व्यवस्था के अन्तर्गत 12 ग्रा रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 बीटर, थोकाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित ऐन बीटर हार्डिंग्स व्यवस्था पारावाल परिसर के पूर्ण नम्बरीफ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। सभी रिचार्ज स्ट्रॉक्ससे इस प्रकार निर्मित किये गये कि इनमें समान मात्रा में वर्ष जल का बहाव हो सके।
- 3. विद्युत खपत – यहांपर्यन्त में परियोजना हेतु उपयोग कुल 14.89 मीलार्ड डिज्युट खपत होती है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्डनी जिमिटेड ही की जाती है। विकासित व्यवस्था हेतु 150 के बी.ए (प्ल नग 3 75 के बी.ए) का बी.जी. सेट लायकित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन उपर्युक्त उपनाई जाएगी। परियोजना प्रस्तावक हाता बताया गया कि परिशार की भीतर सीलर प्लांट की नवापन की नवापना किया गया है। समिति का मत है कि सीलर प्लांट की शमला एवं फौटोग्राफर सहित जानकारी प्रक्षुत किया जाना आवश्यक है।
- 4. वृक्षारोपण संबंधी जानकारी – परियोजना प्रस्तावक हाता बताया गया कि यहांपर्यन्त में हरित पर्टिकल के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.88 हेक्टेयर (10 ब्लॉक्स) हेक्टेर में 2.200 नव पौधे संग्रित किया गया है तथा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्कीम्सित अनुसार 33 प्रतिशत में से हेक्टेर 0.213 हेक्टेयर (9 ब्लॉक्स) वृक्षारोपण के रूपाने पर दूसरा स्कीम्सित 0.426 हेक्टेयर (16 प्रतिशत) का कार्य किये जाने हेतु अटल नगर विकास प्राधिकरण में सहि कर्परे 20,16,000/- रुपया किया गया है। साथ ही उनको द्वारा उद्योग परिशार के 5 किलोमीटर के मीलर 0.364 हेक्टेयर हेक्टेर में कुल 910 नव पौधे जानाया जाना बताया गया है। इस प्रकार कुल 1.244 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) हेक्टेर में 3,110 नव पौधे संग्रित किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण की स्तर-वृक्षारोपण

आगामी 5 वर्षीय लक्ष सुनिश्चित करते हुए युवा पीढ़ी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है।

10. वरियोजना प्रकल्पक क्षेत्र ही भी आर. (Corporate Environment Responsibility) के तु लक्ष निरीक्षण उपरान्त निम्नानुसार प्रकल्प प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at 10 Nearby Government Schools	
10.15	1%	10.15	Rain Water Harvesting System	6.09
			Running Water Facility for Toilets	1.80
			Potable Drinking Water Facility with 3 year AMC	1.75
			Plantation with Fencing	1.00
			Total	10.64

इसाधित बौद्धिकीय पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्रावधानिक शाला यान्-सुखदुनी, (2) शासकीय शाला यान्-बांगोरमेट (3) शासकीय शाला यान्-गोदाखोर (4) शासकीय शाला यान्-बीहारडीह, (5) शासकीय शाला यान्-कुरुवडेनी, (6) शासकीय इवानिक शाला यान्-माडी, (7) शासकीय शाला यान्-निनवा, (8) शासकीय शाला यान्-सननुनी, (9) शासकीय शाला यान्-भरदा एवं (10) शासकीय शाला यान्-मेरवा में किया जाएगा।

11. समिति जो संघरण में यह लक्ष आया कि उर्मान में स्थापित इकाई एवं इससाधित संरक्षण हेतु एनजी बैलेस, बीटर बैलेस एवं ली-गटेरियल बैलेस बाईं प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उत्तममय वर्वाचारिता से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

- जारी पर्यावरणीय सीधीकृति को पालन में की गई जारीजाही की निम्नानुसार छलनकाली उपस्थुत की जाए।
- उर्मान में स्थापित इकाई एवं इससाधित संरक्षण उपरान्त एनजी बैलेस, बीटर बैलेस एवं ली-गटेरियल बैलेस प्रस्तुत किया जाए।
- भूमि में जारी पर्यावरणीय सीधीकृति में पार्टिकुलेट बैटर का उत्तराधिक की गाड़ का उत्तराधिक किया गया था एवं उर्मान में परियोजना प्रकल्पक द्वारा प्रस्तुतीकरण की दीर्घन दूरी में जारी पर्यावरणीय सीधीकृति हेतु पार्टिकुलेट बैटर को लिए प्रस्तुत बुलावा में उत्तराधिक की गाड़ में भिन्नता है। यागति का नहीं है कि उक्त का सम्बन्धीकरण किया जाए।
- सोलर प्लाट की उपलब्धि (फोटोवोल्टा सहित) एवं नें बीटर हार्डिंग स्ट्रक्चर की फोटोवोल्टा प्रस्तुत किया जाए।

5. यह अनुमति हेतु सीएसडब्ल्यूडीसी/जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल राइफल बौंटर अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर द्वाले प्रस्तुत किया जाए।
6. उचितोत्तम वाहिनी जानकारी/दस्तावेज़ प्राप्त होने तक सभी आगामी कार्यवाही की जाएगी।

निम्नानुसार एसडब्ल्यूडीसी उत्तीर्णन के दूसरे दिनांक 22/02/2022 की परिस्थिति में जारीवायिता प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज़ दिनांक 11/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

जारीवायिता द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अधीक्षण एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार जिन्होंने पाई गई गई कि—

1. जारी पर्यावरणीय सीखरी के पालन में की मई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. कर्तव्यानन्द में स्थापित इकाई एवं इसकावित संशोधन उपरोक्त एनडी बैलेस, बौंटर बैलेस एवं रो-मटेरियल बैलेस प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रदूषण भार सर्वाधी जानकारी — भूमि में जारी पर्यावरणीय सीखरी में इण्डिकेशन कर्नेल-1, रि-हीटिंग फैसेस एवं जी-आई-पार्किंग इकाई से पार्टिकुलेट बैटर उत्तराञ्चल 30 जिलीजाम/सामान्य घनमीटर के अनुसार उत्तराञ्चल की मात्रा 4,104 किलो घण्टियाँ हैं। प्रस्तावित कर्तव्यकलाप उपरोक्त इण्डिकेशन कर्नेल-1, रि-हीटिंग फैसेस एवं जी-आई-पार्किंग इकाई से पार्टिकुलेट बैटर उत्तराञ्चल 23 जिलीजाम/सामान्य घनमीटर के अनुसार उत्तराञ्चल की मात्रा 3,402 किलो घण्टियाँ होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु गूलिंग मिल के गूलिंग उपरोक्त इकाई दूषित जल की ठंडा कर दुन। गूलिंग हेतु उपयोग में जारी जलएका जल हाई नियन्त्रण की स्थिति रही जाएगी। इसकावित संशोधन उपरोक्त एनडी नियन्त्रण से लेने - 17,100 टन घण्टियाँ, युक्त अधिकत - 0.21 घनमीटर घण्टियाँ, लाईम लेने - 153 टन घण्टियाँ एवं एक - 13 टन घण्टियाँ दिन हीस अपरिषिष्ट के काम में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी हीस अपरिषिष्टों का अवशेष उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रबल छाला दिलाकर उपरोक्त (1) प्रतिकूल उत्तराञ्चल होने काले पार्टिकुलेट बैटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने काले हीस अपरिषिष्ट की मात्रा में दृष्टि होगी जिसे पुनरुपयोग/विभिन्न कारों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपरोक्त की मात्रा में दृष्टि (2,700 घनमीटर) हीमा संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उच्चीय परिस्तिति में बहुतल तक जुल दम्भोदीक (18,313 घनमीटर) का भू-गर्भ में रियाज़ करना प्रस्तावित है।
4. उत्पन्न होने काले हीस अपरिषिष्ट की मात्रा में दृष्टि होगी जिसे पुनरुपयोग/विभिन्न कारों में उपयोग किया जाएगा। इस बहुत उच्चीय उत्पन्न होता अंडरटैकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. गोलर ज्वाट की शरण (गोलीदारन सहित) एवं रेस बौंटर हार्डिंग स्ट्रॉबर की फैटोडारना प्रस्तुत की गई है।
6. परियोजना हेतु आवश्यक जल की अनुमति हेतु सेन्ट्रल राइफल बौंटर अधिकारियों से दिनांक 08/02/2021 से 07/02/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार किया गया उपरोक्त सर्वेतामति से ऐसी हाला आवश्यक स्टॉप एफ ट्रॉल पार्टिकुलेट रिमिटेड एम-बैलेस, उत्तराञ्चल औद्योगिक बैलेस, जिला-तायानुर लिप्ता जल दम्भोदीक 813, 814, 815, 816, 817, 818,

८१९, ८२०, ८२१A, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५A, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७ एवं ८४८A, जून की तारीख - २००७ ईकट्ठेयम (पा. ८९ एकड़) को अतिरिक्त निष्पानुसार वार्ताक्रमाय के लिए पर्यावरणीय स्त्रीकृति में संशोधन हेतु पर्यावरणीय स्त्रीकृति में संशोधन दिए जाने की जूनशक्ति की गई:-

कार्यक्रम	इ.सी. आवेदन अनुसार प्राप्तिपूर्ण वामता (टन प्रतिवर्ष)	इ.सी. मे वालित संशोधन उपरास प्रस्तापित वामता (टन प्रतिवर्ष)	इ.सी. मे वालित संशोधन उपरास प्रस्तापित वामता (टन प्रतिवर्ष)
विलेटस / इन्कट	1,20,000	—	1,20,000
सी.सी.एम. एवं हीट चार्ल्स आवासित सोलिन मिल	1,08,000	प्रतिस्थापित (Replaced)	प्रतिस्थापित (Replaced)
रि-हीटिंग कर्नेस आवासित सोलिन मिल	12,000	1,08,000	1,20,000
एम.एस. पाईप एण्ड ट्रॉफ्स	1,20,000	—	1,20,000
मैल्वेनाइजिन ऑफ पाईप एण्ड ट्रॉफ्स एवं फैब्रिकेटर आईटम्स	34,600	—	34,600
फैब्रिकेशन ग्रुपिट	34,600	—	34,600

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – समीक्षा प्रक्रम पर प्राधिकरण की बिनाक 11/05/2022 को संघर्ष 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा वही काम करने को दिया गया। प्राधिकरण द्वारा नीट विचार किया गया विच-

1. उत्तरीसमाज शासन, यांगिज्वा एवं लक्ष्मीग विभाग, मंत्रालय के द्वारा दिनांक 16/03/2007 द्वारा राष्ट्रपुर जिले के लकड़ा, सिल्लापा एवं बोल्करा दोनों में नवी स्थान अवधि एवं प्राचीन स्थान अवधि विभूत लायीश शब्दक की स्थापना कर दीक बाबत पत्र जारी किया गया था। लकड़ावाल उत्तरीसमाज शासन, यांगिज्वा एवं लक्ष्मीग विभाग, मंत्रालय के द्वारा दिनांक 07/07/2012 द्वारा राष्ट्रपुर जिले की लाल्हाहन बोल्क की 11वीं ऐठक दिनांक 16/06/2012 के कार्यवाही विवरण से ज्ञापनात कराते हुये पत्र जारी किया गया है। उपरोक्त आदेशों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।
 2. पूर्व में परिवोजना प्रबलावक द्वारा प्रस्तुत प्रदूषण भार की गणना में वर्तमान में स्थापित ई-हीटिंग फर्नीट एवं प्रस्तावित कार्यकलाप लघुरात ई-हीटिंग फर्नीट में पील्युमेट्रिक फली ऐट (7.05 लाखांय एनवीटर प्रति सेकंड) का द्वारा गणना किया गया है, जो कि लकड़ीकी दुर्घटकों से संबंध नहीं है। अतः उपरोक्त के परिपेक्ष में प्रदूषण भार की गणना का पुनः परीक्षण किया जाना आवश्यक है।
 3. परिवोजना प्रबलावक द्वारा प्रस्तुत पनडी वैलेंस एवं हीट वैलेंस की जानकारी हेतु विभूत खनन संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसे मान्य किया जाना संचय नहीं है। अतः वर्तमान में स्थापित इकर्तु एवं प्रबलावित लंशोधन लघुरात दूनडी वैलेंस एवं हीट वैलेंस प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्रायिकरण द्वारा विभार विभाग समर्पित सर्वेसाम्निं से उपलेक्ष लक्षों के परिवेदन में पश्चीम उपराज उच्चयुक्त अनुशासा किये जाने हेतु प्रकरण को एसडीएसी-प्रस्तोतामाला के सम्बन्ध प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

लदानुसार अध्यक्ष महोदय के ही-मेल दिनांक 27/06/2022 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छातीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिमिति उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पश्च दिनांक 29/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणी (Technical Consultant is Busy in NABET Meeting) से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आजामी अप्रोतिक्षित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उत्साह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जाही गई काइल जानकारी एवं समस्त सुलगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

अध्यक्ष नहोदय के निर्देशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को दूरभाव के बावजूद से दिनांक 25/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 26/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर चूमार जाल दास, अधिकृत प्रतिमिति उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपस्थित होकर सूचना दी गई कि काइल जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति को समझ बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाना संभव नहीं है। अतः आजामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उत्साह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जाही गई काइल जानकारी एवं समस्त सुलगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

लदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छातीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 416वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अमिनदा अरवाल, सायरेक्टर एवं श्री प्रभाकर जाल दास, मैनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नमती, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडन एवं परीक्षण करने पर जिम्मे लिखते पाई गई:-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि उनके द्वारा सोलिंग मिल से खीन स्ट्रीप्स (finished product-tie strips) का उत्पाद किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी लिए अधिक ताप की ऊरुत्वकता होती। हीट चार्पिंग आवारित सोलिंग मिल में ताप की नियावट होने के कारण से खीन स्ट्रीप्स का उत्पादन किया जाना संभव नहीं होना चाहाया गया है। उक्त कारणों से उनके द्वारा हीट चार्पिंग आवारित सोलिंग मिल से वि-हीटिंग आवारित सोलिंग मिल हेतु आवेदन किया गया है।

- प्रदूषण भार की गणना — परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण भार की गणना तत्र निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत गई है:-

- कर्तीमान में स्थापित इण्डियन फार्म ने जिम्मी से पार्टिकुलेट बैटर का उत्पादन 30 जिलियाम प्रति सालन्य समीक्षा एवं वील्यूमेट्रिक पली रेट 12.34 सामान्य यांत्रीटर जली सोलेप्ट के अनुसार उत्पादन की गत्रा 10,633.8 लि.पा.

प्रतिवर्ष है। प्रसाधित संशोधन उपरांत स्थापित इण्डिकेशन कर्नेस में संलग्न बैग फिल्टर को दी.टी.एफ.ई. बैग फिल्टर में परिवर्तीन कन पार्टिकुलेट मेटर का उत्तरार्जन 25 मिलिमीटर तकी सामान्य घनमीटर एवं बील्युमेट्रिक पली रेट 12.34 सामान्य घनमीटर प्रति सेकंड के अनुसार उत्तरार्जन की मात्रा 6,553.6 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगी।

- ii. कर्तमान में स्थापित जी.आई. पाईप में विनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्तरार्जन 30 मिलिमीटर प्रति सामान्य घनमीटर एवं बील्युमेट्रिक पली रेट 11.33 सामान्य घनमीटर प्रति सेकंड के अनुसार उत्तरार्जन की मात्रा 30,587.34 किलोग्राम प्रतिवर्ष है। प्रसाधित संशोधन उपरांत स्थापित जी.आई. पाईप में पार्टिकुलेट मेटर का उत्तरार्जन 25 मिलिमीटर प्रति सामान्य घनमीटर एवं बील्युमेट्रिक पली रेट 11.33 सामान्य घनमीटर प्रति सेकंड के अनुसार उत्तरार्जन की मात्रा 29,382 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगी।
- iii. प्रसाधित संशोधन हेतु रि-हीटिंग आपारिट रोलिंग मिल में स्थापित विनी की कूचाई 33 मीटर एवं व्यास 1.18 मीटर को डिस्कोटल कर प्रसाधित नवीन विनी की कूचाई 35 मीटर एवं व्यास 1.4 मीटर किया जाएगा। साथ ही स्थापित रि-हीटिंग आपारिट रोलिंग मिल में संलग्न बैग फिल्टर को दी.टी.एफ.ई. बैग फिल्टर में परिवर्तीत किया जाना प्रसाधित है। कर्तमान में स्थापित कोल गैसीफायर कमता 16 टन प्रतिघण्ठा से बढ़ाकर 26 टन प्रतिघण्ठा किया जाना प्रसाधित है।
- iv. कर्तमान में स्थापित रि-हीटिंग आपारिट रोलिंग मिल में विनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्तरार्जन 30 मिलिमीटर तकी सामान्य घनमीटर एवं बील्युमेट्रिक पली रेट 12.13 सामान्य घनमीटर प्रति सेकंड के अनुसार उत्तरार्जन की मात्रा 10,375.5 किलोग्राम प्रतिवर्ष है। प्रसाधित संशोधन उपरांत रि-हीटिंग आपारिट रोलिंग मिल में विनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्तरार्जन 25 मिलिमीटर प्रति सामान्य घनमीटर एवं बील्युमेट्रिक पली रेट 13 सामान्य घनमीटर प्रति सेकंड के अनुसार उत्तरार्जन की मात्रा 12,830 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगी।
- v. उपरोक्त दिनुओं के अनुसार उत्तरान में स्थापित इण्डिकेशन कर्नेस, जी.आई. पाईप एवं रि-हीटिंग आपारिट रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर का उत्तरार्जन कुल 51,496.44 किलोग्राम प्रतिवर्ष है। प्रसाधित संशोधन उपरांत इण्डिकेशन कर्नेस, जी.आई. पाईप एवं रि-हीटिंग आपारिट रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर का उत्तरार्जन कुल 53,785.6 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगी।
- vi. मानवीय एवं जी.टी., डिलीवल बैग, नई दिल्ली द्वारा द्वी.ए. दिनांक 1038/2018 में दिनांक 10/07/2019 एवं 23/08/2019 को देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों / कलमटर क्षेत्र जिला आदेश के अनुदान में उल्लिखित पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर के ज्ञापन द्वारा द्वी.ए.प.स.न. 8175/मुख्य.प्र.सं.न./2019 नवा राष्ट्रपुर अटल नगर, दिनांक 17/12/2019 द्वारा जारी कारबिल्य आदेश के अनुसार "Units shall provide green belt of 40% of the total plot area. In case there is restriction of land available within plant premises for 40% green belt development, then the unit shall carry out balance plantation within 5 km radius from its premises to achieve the required plantation of 40%." का उल्लेख है। अतः उद्योग परिसर के कुल द्वी.ए.प.स.न. का 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षान्वयन किया जाना आवश्यक है।

- परियोजना में कौल गैसोफाकर का उपयोग किये जाने के कारण संघर्ष किसीलिंग बीटर प्रयोग होगा। आतः इस संकेत में किसीलिंग बीटर के निपटान हेतु प्रोसेस पली घाट सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत हीट बैलेस प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावका द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित संशोधन उपरांत परियोजना हेतु लिमिटेंग 34.42 करोड़ होगा। अतः समिति का मत है कि उक्त लिमिटेंग की जावार पर सीईआर हेतु व्यय किये जाने वाले राशि में युक्ति होगा। आतः सीईआर का पूर्ण विवरण सहित संशोधित लिमिट प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्लांट ले-आउट में सभी इकाईयों को स्पष्ट दर्शाते हुये संशोधित ले-आउट प्रसाम प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा संतावक वर्वशम्भवी से विम्नानुसार निर्णय लिया गया था—
 - कुल बोरपक्ष का 40 प्रतिशत लेब में युक्तापेक्षण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
 - किसीलिंग बीटर के निपटान हेतु प्रोसेस पली घाट सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
 - वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत हीट बैलेस प्रस्तुत किया जाए।
 - सीईआर का पूर्ण विवरण सहित संशोधित लिमिट प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 - वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्लांट ले-आउट में सभी इकाईयों को स्पष्ट दर्शाते हुये संशोधित ले-आउट प्रसाम प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त गांधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कल्याणी बीमाएँगी।

एस.इ.ए.सी., एलीसमड़ के ज्ञापन दिनांक 15/09/2022 के चरित्रेत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(क) समिति की 423वीं बैठक दिनांक 07/09/2022:

समिक्षा द्वारा जरूरी, प्रस्तुत ज्ञानवारी का अनलोडन एवं सरीकाग करने पर निम्नानुसार निधि पाई जाई गी-

- कर्तीमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.88 हेक्टेयर (22 प्रतिशत) होते हैं 2,200 नग पीठे रोपित विकास गया है। साथ ही उनके द्वारा उद्योग परिवहन के 6 विलोमीटर के भौतिक भूमि विकास क्रमांक 130/20 का भाव क्षेत्रपक्ष 1 एकड़ (0.466 हेक्टेयर) होते हैं जहाँ 1,012 नग पीठे लगाया जाएगा। उक्त भूमि का विकास इकायावन्धमा प्रस्तुत विकास गया है। इस प्रकार कुल 1.285 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) होते हैं 3,212 नग पीठे रोपित विकास जाएगा। इसके अतिरिक्त पूर्व में जारी वर्षावर्षीय बड़ीकृति अनुवाद 33 प्रतिशत में से शेष 0.213 हेक्टेयर (8 प्रतिशत) वृक्षावलम्ब के नवाचन यह दुगुना मूल्यांकण 0.426 हेक्टेयर (16 प्रतिशत) का कल्पना किये जाने हेतु अटल नगर विकास प्राधिकरण में राशि रखकर 20,16,000/- जमा विकास गया है।

2. हीट चार्ज मोड में ग्रीष्मयुग्म गैस का उपयोग किया जाएगा। जिसे हीट गैस (ग्रीष्मयुग्म गैस) को इन्सुलेटेड पाइपलाइन की वायरली की फैसला तक ले जाया जाएगा, जिसने बहुत कम कंडेन्शन (Condensation) नवायन होनी। यदि जिसी वायरली वायरल (हाटवायरल या ग्रीष्मयुग्म गैस के लाभमान के लियावट की जिम्मेदारी में) उत्पन्न फिनीलिक दूषित जल को पुनर्गैसीकरण में प्रशारित कर करने (Burn) किया जाएगा प्रस्तावित है। छोपराता शौचालय से वाष्णवीकृत होगा एवं औक्षीकरण में दृष्टि होना जहाँ लाभमान 1000 से 1200°C रहेगा। इस प्रकार उत्पन्न फिनीलिक दूषित जल को प्रशिक्षण में ही नियोजन कर लिया जाएगा। फिनीलिक दूषित जल को बाहर नियोजित नहीं किया जायेगा।
3. सर्वनाम ने स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संसाधन उपरांत हीट बैलेंस प्रस्तुत किया गया है।
4. परिवेशना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) ऐसु पूरी विवरण सहित संशोधित नियानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
300	1%	3.00	Following activities at 3 Nearby Government Schools	
			Plantation with Fencing	3.00
			Total	3.00

प्रस्तावित कौमोरिट पक्षावलीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) आसवानी प्राविभक्त शाला मवादुर नगर, घरसीका, (2) आसवानी प्राविभक्त शाला प्रान्त-सरीरा, रायगुर एवं (3) आसवानी प्राविभक्त शाला प्रान्त-सरीरा, रायगुर में किया जाएगा। प्रस्तावित स्थूलों के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. अंतिम में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्लॉट ले—आइट में शपी इकाईयों को पराट दर्शाते हुवे संशोधित ले—आइट प्लान प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्थापित द्वारा विवार विनार्दि उपरांत सर्वसम्मति से प्रभारी कृष्ण आवरण स्ट्रीप्स एचड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रान्त-सरीरा, रायगुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला—रायगुर लियत प्लॉट अन्तर्गत 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 836, 838, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, मुल हीड़कल — 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत नियानुसार कार्बकलाप के लिए पर्यावरणीय स्थीकृति में संशोधन जारी किये जाने की अनुसन्धान की गई—

कार्बकलाप	ह.सी. आदेश अनुसार स्थापित दायता (टन प्रतिवर्ष)	ह.सी. में वाहित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ह.सी. में वाहित संशोधन उपरांत प्रस्तावित दायता (टन प्रतिवर्ष)
प्लेटस/इग्निट	1,20,000	—	1,20,000

कार्यक्रमावधि	इ.सी. आदेश अनुसार व्यापित करता (टन प्रतिवर्ष)	इ.सी. मे कार्यक्रम नांगोद्धार (टन प्रतिवर्ष)	इ.सी. मे नांगोद्धार नांगोद्धार उपरांत प्रस्तावित करता (टन प्रतिवर्ष)
नीलीएम. एवं हॉट जॉन व्यापित रोलिंग मिल	1,08,000	प्रतिस्थापित (Replaced)	प्रतिस्थापित (Replaced)
नि-हीटिंग फर्नेच अव्यापित रोलिंग मिल	12,000	1,08,000	1,20,000
एन.एस. पाईप एण्ड ट्रूफ व्यापित अंक पाईप एण्ड ट्रूफ एन्ड फॉर्मिंग आईटम्स	1,20,000	—	1,20,000
फॉर्मिंग मुनिट	34,800	—	34,800
	34,800	—	34,800

साथ ही पूर्व दृष्टक में दिये गये निहित शारीर पदावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा दृष्टक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण ने दिनांक 19/10/2022 को साप्तन्न 131वीं दृष्टक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा कली का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विवाह उपरांत सर्वसम्मति से निवासनुसार निर्णय लिया गया—

- परियोजना की अनुसार सभी स्थानीय सामाजिक पत्री में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति द्वारा होने के 7 दिनों के भीतर इस आवाय की सुधना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो नहीं है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पर की प्रतिक्री सहितालय, पर्यावरण का पर्यावरण संस्थान गवर्नर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एसईआईएस, घरीशगढ़ की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है। जन शिक्षायात्री के निवासण हेतु कार्योजना ईयार जन निवासनुसार सामाजिक संस्थान कार्यवाही किया जाए।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार प्रदूषण भार की गणना एवं गठनान में प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के तहत प्रदूषण भार की गणना के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सुधना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT),/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT),/ अन्य सामाजीक संस्थान से जीव उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना की कुल लागत का 2 प्रतिशत तकि रूपये 6 लाख को सीडुआर के द्वारा वाय किये जाने हेतु विस्तृत प्रकल्प 2 माह के भीतर जना किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित निये गये शारीर पदावत् सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विभिन्न वैधानिक एवं दण्डालमक कार्यवाही की जाएगी।

- परियोजना प्रकरावक को विस्तृत इस परियोजना/खाद्यान से संबंधित उद्दीप्त न्यायालीन उचित देश के अलंकृत किसी भी न्यायालय में लघित नहीं होने वायत् रूपये पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रकल्पक को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन पर जारी किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक के लिएहु भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलमय परिवहन संबंधीय वी अधिकृतपना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अलगत परीक्ष लालचन का प्रकरण लिखित नहीं होने वाला लाप्त यज (Notarized undertaking) जगा किये जाने के उपरोक्त ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय रीवीकूलि में उपलब्ध यज जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक वो तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स वी एनडीएम देवांगन (भारताभाव लौह/आर्डिनरी जले बवाई), पाम-भारतागांव, लहसूल व जिला-सजनादगांव (साधिवालव का नस्ती क्रमांक 1840)

आवेदन - पूर्ण मे प्रयोजन गम्बर - एसडाईए/ लौही/ एमआईएन/ 242241/2021, दिनांक 04/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय रीवीकूलि द्वारा अधिकृत आवेदन किया गया था। वर्तमान मे परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण मे पुनर्विचार किये जाने हेतु दिनांक 25/06/2022 को अनुरोध यज प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (रीफ खनिज) खदान एवं फिल्टर लिगनी ईट उत्खनन इकाई है। खदान बाम-भारतागांव, लहसूल व जिला-सजनादगांव स्थित चार और अंक खदान क्रमांक 117 एवं 120, कुल शेतकर - 1,032 हेक्टेयर मे प्रस्तुत है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,000 घनमीटर (1,500 टन) प्रतिवर्ष है।

एसईआईए.ए. उत्तीर्णगढ़ की ज्ञापन क्रमांक 121, दिनांक 29/04/2022 के माध्यम से "लौह शीत्र से निकाटतम आवादी पाम-भारतागांव 100 मीटर की दूरी से लिखा है। उक्त दिशा-निर्देश के अधार पर आवेदित मिट्टी उत्खनन (रीफ खनिज) खदान एवं फिल्टर लिगनी ईट उत्खनन इकाई से 0.8 लिंगोमीटर शीत्र छोड़े जाने की स्थिति मे मिट्टी उत्खनन (रीफ खनिज) खदान एवं फिल्टर लिगनी ईट उत्खनन इकाई मे उत्खनन हेतु बहुत कम शीत्र अवशेष होना पर्याप्ति है। अतः प्रकरण मे विचार किया जाना संभव नहीं है।" के कारण परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय रीवीकूलि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन को कि-लिस्ट / निवाल किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण मे भूमि अर्जन हेतु निवाल किया गया है। अतः यह प्रस्ताव शीत्र के विकाल के लिए आवश्यक है। आवेदन तथा सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 04/12/2021 से 03/03/2022 के शीत्र विस्तित से पूर्ण की गई है। इस शीत्र पूर्व गठित वायिति के कारबोल की समाप्ति एवं नवीन समिति की उत्थापना मे लगाने वाले समय मे यत्पर्याप्त रहा। भारत सरकार द्वारा नवीन गाईडलाइन/ नियम दिनांक 22/02/2022 को जारी किया गया। अतः भारत सरकार के द्वारा नियम जारी करने के पूर्व ही मेरे प्रकरण मे सम्पूर्ण कार्यवाही की जा सकती है। उपरोक्त तथ्यों के अधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण के विस्तीकरण निर्णय को निवाल करके पर्यावरणीय रीवीकूलि जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक मे विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संयम्न +25वीं बैठक मे विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नीट किया गया कि राज्य ललित विशेषज्ञ पूल्याकांग समिति, उत्तीर्णगढ़ एवं राज्य सरकार पर्यावरण द्वारा जायदान प्राधिकरण, उत्तीर्णगढ़ द्वारा समस्त प्रकरणों मे विवेद जाने वाले अनुशस्त्र / निर्णय भारत

सरकार, व्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचनाओं एवं अधिकारी गोपोरणहर्षों के अधार पर ही किया गया है।

आधिकारिक प्रकरण में जी भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2022 की जारी अधिसूचना के अधार पर ही निर्णय लिया जाकर डि-सिट/मिल्स किया गया है। अब प्रकरण में पुनर्विचार किया जाना संभव नहीं है।

आधिकारिक प्रकरण द्वारा विचार किया उपर्यात सर्वसम्मति से परिवोजना व्यवस्थक के पुनर्विचार किये जाने सकती अनुरोध को अनावश्यक किये जाने का निर्णय लिया गया। व्यवस्थापक को वर्तमान में प्राप्त प्राप्ति में व्यावहर काम के लिया जाता है क्योंकि परिवोजना व्यवस्थक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई-आई-ए अधिसूचना, 2006 (कथा संशोधित) एवं भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 का अवलोकन करें।

एसईआईए, छलीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/08/2022 द्वारा परिवोजना व्यवस्थक के पुनर्विचार किये जाने सकती अनुरोध को अमान्य किये जाने काम पर जारी किया गया है।

वर्तमान में परिवोजना व्यवस्थक द्वारा अमान्य किये गये प्रकरण में पुनर्विचार किये जाने हेतु पुनर्विचार किये जाने सकती अनुरोध को अमान्य किये जाने काम पर जारी किया गया है।

वैष्णव का विवरण —

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022:

वैष्णवी द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जापकर्ता का अवलोकन एवं वरीकाय करने पर निम्नानुसार निष्ठि पाई गई कि—

1. परिवोजना व्यवस्थक द्वारा अमान्य किये गये प्रकरण में पुनर्विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है—

- एसओआईए कार्यालय कलेक्टर (खानी शास्त्र), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन दिनांक 1708/खासि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 12/10/2021 द्वारा जारी की गई जिलाली विधाया जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
- ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसका विभाग द्वारा जारी अनापत्ति इमार पत्र के अधिकारिक उक्त आवाय पत्र (एसओआईए) की जारी के अनुपालन में दिनांक 16/11/2021 को तंपुत संवालक (खाज.) संवालकलय, वैष्णवी तथा खानीकी नक्ता तायपुर अटल नगर द्वारा अनुमोदित चलानन्दन योजना भी प्रस्तुत कर दी गई है।
- उक्त खानी भी नियंत्रकर दाता के नाम पर है। ऐसे द्वारा चलानन्दन हेतु उक्त खानी नुभिस्वामी से लोज पर ली गई है जिसका तहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑफलाई व्यावेदन एसईआईए, छलीसगढ़ के रामवा प्रपीजल नगर - एसआईए / नीजी / एमआईएन / 242241 / 2021, दिनांक 04/12/2021 को प्रस्तुत कर दिया गया था।

- एस.ई.आई.ए.ट. / एस.ई.ए.टी. (छ.ग.) का कल्याचल सिवान्तर 2021 में समाप्त होने के पासवाट समिति द्वारा प्रथम बैठक दिनांक 10/01/2022 को आहुता की गई 3-4 लाख के लिए प्रबन्धण के कारण ऐसे हुआ दिनांक 04/12/2021 को लिए गए आवेदन के प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक 03/03/2022 को उपलिखित होने के लिए दिनांक 23/02/2022 के सम्बन्ध में निर्दिष्ट लिया गया एवं एस.ई.आई.ए.ट. (छ.ग.) के सम्बन्ध दिनांक 03/03/2022 को प्रस्तुतीकरण दिया गया।
- एस.ई.आई.ए.ट. (छ.ग.) द्वारा जारी पत्र क्रमांक 121/एस.ई.आई.ए.ट. छ.ग./सालान/1840 नवा शायनुर अटल नगर, दिनांक 29/04/2022 के सम्बन्ध से उक्त आवेदन को पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बंजालय नहीं दिल्ली, हुआ जारी नवीन अधिकृतना दिनांक 22/02/2022 के अनुचलन दहांते हुए निरस्त कर दिया गया।
- नाला सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बंजालय, नहीं दिल्ली हुआ जारी उक्त अधिकृतन के अनुसार इन नियमों का संशोधन नाम पर्यावरण (संशोधन) संशोधन नियम, 2022 है, वे नालापत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होते। इसमें निर्दिष्ट नियमी क्रमांक 6 के अनुसार “इट भही को आवासी और फली की बागी से 0.8 कि.मी. की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए।”
- उक्त प्रकरण के सामान्य में एह तथा स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण अधिकृतना दिनांक 22/02/2022 के पूर्व अधीय दिनांक 12/10/2021 (आवेदक द्वारा जारी दिनांक) से नालाकीय अभियांत्रियों में नियमील था एवं आवेदक द्वारा सभी नालाकीय वापड़दों को पूरा करने पर ही आवाय बदल जाती दिया गया था। तथा अधिकृतना दिनांक 22/02/2022 के अंतिम प्रकाशन की तारीख के पूर्व से गठितीरील होने के कारण उक्त नियम इस प्रकरण पर लागू भही होते हैं।
- उक्त प्रकरण इट निर्दिष्टी उक्तकरण का होने के कारण नाला सरकार पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बंजालय, नहीं दिल्ली हुआ जारी नियमों के अनुचलन में उक्तकरण के बाल 2 मीटर की सीमित गहराई तक ही किया जाना प्रस्तावित है। अतः यह स्पष्ट है कि इसी पर्यावरण पर उत्तराधिकारी व्यवाय नहीं पहेंगा, यदि नियमों में किसी विशेष बदलाव की आवश्यकता होती तो वह भी आवेदक द्वारा किया जाएगा।
- उक्त उद्योग की स्थानना आदि में आवेदक द्वारा सभी प्रवर्तित नियमों का पालन किया गया है जाय ही अत्यधिक कर्ते आदि हेकर व्यय किया जा चुका है एवं आवेदक भविष्य में भी उक्ती नियमों का पालन करने हेतु प्रतिष्ठित है। इन तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए एस.ई.आई.ए.ट. (छ.ग.) के सम्बन्ध पत्र दिनांक 21/05/2022 (कार्यालय प्राप्ति दिनांक 25/05/2022) के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा नियंत्रित किया गया था कि पुनर्विचार कर पर्यावरणीय नीतिकृति प्रदान करने परन्तु सहान अधिकारियों द्वारा इस तथ्यों को दरकिनार करते हुए मूल दिनांक 22/02/2022 को जारी आदेश का हवाला देते हुए 125वीं बैठक दिनांक 27/02/2022 के कार्यालयी विवरण नियमों दर्शात् एजेंडा आइटम क्रमांक 3 के साथ क्रमांक 3 (पृष्ठ -62) में आवेदक द्वारा प्रस्तुत मुनर्विचार आवेदन को अमान्य करने का निर्णय से लिया गया।

• उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हीसे इकलौतों पर एकाधिक समर्थनात्मक वार्षिक अधिकार निलंबन/विहसित करने से आवेदक के अतिरिक्त विभीत चुकावान होने के साथ ही रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। एवं सामान की आवश्यकता भासत बोलना भी प्रेरित मेरे हीसे मुझ जो अपना सर्वोच्च समाजकर वैक इत्यादि से कठोर लेकर स्वरोजगार के साथ ही कहु अन्य आविष्टी की भी रोजगार देने हेतु प्रयास कर रहे हैं उन्हें खेजन विषयों की अतिरिक्त व्यापका का लागियाजा बुगलना पड़ेगा। परिवोजना प्रकल्पक द्वारा उक्त प्रकल्प पर व्यावरणीय रवीकृति प्रदाय किये जाने हेतु उपर्युक्त व्यावरणीय के आधार पर प्रकल्प के निरसीकरण विषय की पुर्णविवार हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार किया जावात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष में भासत सरकार, कर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिये जाने हेतु एसईआईएए, भवतीलगढ़ को प्रेरित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 19 / 10 / 2022 को संवाद 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवी का अवलोकन विचार गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किया जावात सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकर करते हुए भासत सरकार, कर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिये जाने हेतु पञ्च सेवा किये जाने का निर्णय लिया गया।

भासत सरकार, कर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को तदानुसार यह सेवा किया जाए।

11. वैतानी लाईम स्टोर (पलेज स्टोर) बवारी भाईन (जी. - श्री बन्दुरोखार चन्द्राकार), राम-बरबासपुर, लहसील व जिला-महासमुद (साधिकालम का नवीन छानांक 2023)

श्रीनलद्वीन आवेदन – प्रायोजित नम्बर- एसआईए / सीपी / एसआईए / ०९७८९ / २०२१, दिनांक 16 / 09 / 2022 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया।

प्रदत्ताव का विवरण – यह पूर्व की अधिकृत चूना कल्पन (गोप लॉज) छादान है। छादान ग्राम-बरबासपुर, लहसील व जिला-महासमुद निषित पाठ॑ ओप खसरा जमांक ३०६, चूल कोनफल-०३ हेल्पेनर में है। लादान की आवेदित तत्त्वानन अनुमा – ५८८.७६ टन (२३६.६ पनीटर) प्रतिक्रिया है।

तदानुसार परिवोजना प्रकल्पक को एसईएसी, उलीसगढ़ के जामन दिनांक 02 / 09 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनिश्चित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 423वीं बैठक दिनांक 08 / 09 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री लक्ष्मण चन्द्राकार, अधिकृत प्रतिनिधि उपर्युक्त हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अप्रस्तुत एवं कठोरता करने पर निम्न सिद्धिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय रवीकृति संबंधी विवरण-

I. पूर्व में यूना पर्सनल द्वारा दिनांक 206, कुल संख्या - 0.3 हेक्टेएर क्षमता - 230.5 एकड़ीटर प्रतिवर्षे हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिल्ली राजीव पर्यावरण उपचायात् निर्धारण घोषित करन् दिल्ली-महाराष्ट्र दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 14/02/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रवर्तनक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, उन और उपचाय परियोजना प्रभावद, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार—

"A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2022 तक की होगी।

- II. परियोजना प्रवर्तनक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तरीं के पालन में ही नई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। नामिति का नहीं है कि परियोजना प्रवर्तनक द्वारा एकीकृत शोधीय कार्यालय पर्यावरण, उन एवं उपचाय परियोजना संबंधी, भारत सरकार, सरकार संघर्ष से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन द्वारा कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- III. नियमित रात्रिनुसार 100 नग यूआरेचन किया गया है।
- IV. कार्यालय कलेक्टर (सामि राज्य), दिल्ली-महाराष्ट्र के ज्ञापन दिनांक 06/09/2022 द्वारा वित्त वर्ष में दिये गये उत्तरानन की जानकारी गिरावट दिनांक 01/10/2021 से दिनांक 30/09/2021 तक

वर्ष	उत्तरानन (टन)
2017	निर्दिष्ट
2018	118
2019	122
2020	39
दिनांक 01/10/2021 से दिनांक 30/09/2021	136
दिनांक 01/10/2021 से दिनांक 31/03/2022	195

- 2. ग्राम पंचायत का अनापत्रित प्रमाण पत्र — उत्तरानन के संबंध में ग्राम पंचायत कर्मसंपूर्ण का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्रित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- 3. उत्तरानन योजना — जारी फ्लाइ एलांग विधि कार्यकारी प्रान्त द्वितीय इन्कायरेंसेट मैनेजमेंट प्रान्त द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो सामि अधिकारी, दिल्ली-महाराष्ट्र के ज्ञापन दिनांक 17/04/19/ 02/2016/ 03/2016/ 04/2016 महाराष्ट्र दिनांक 03/09/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में रिक्त स्थान – कार्बोलय कालेजटर (खगिज शास्त्र), गिल-महाराष्ट्र के इापन क्रमांक 124/क./खगि/न.क./2021 महाराष्ट्र अनुसार आवेदित स्थान से 500 मीटर की भौतिक अविद्या 60 स्थान, संभावना 40.3 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में रिक्त सार्वजनिक होम/सांस्कारण – कार्बोलय कालेजटर (खगिज शास्त्र), गिल-महाराष्ट्र के इापन क्रमांक 1351/क./खगि/न.क./2021 महाराष्ट्र अनुसार आवेदित स्थान से 200 मीटर की परिधि में कोई की सार्वजनिक होम/घैसे चार्ड, नरियां, मराठा, पुल, नरी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एपीएस एवं बांध आदि प्रतिबंधित होने निर्मित नहीं है।
6. शून्य एवं लीब का विवरण – यह गांवकीय भूमि है। लीज श्री चन्द्रशीलन अन्दाज़ के नाम पर है। पूर्व में लीज छोड़ दिनांक 24/07/1998 से दिनांक 23/07/2008 तक की उम्मि हेतु कैष श्री। लापत्तात् लीज छोड़ का प्रथम नवीनीकरण 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 23/07/2008 से 23/07/2018 तक थी। तदुत्तरात् लीज छोड़ 10 वर्ष अर्थात् 24/07/2018 से 23/07/2028 तक की अवधि हेतु निलागित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. भृत्यालय सांस्कारणी की दूरी – निकटतम भृत्यालय गांव-हरवासापुर 830 मीटर, लकूल गांव-बरवासापुर 1.2 किमी, एवं अस्पताल महाराष्ट्र 9 किमी, की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किमी, एवं राज्यमार्ग 1630 किमी, दूर है। नीसगी नाला 450 मीटर, तालाब 850 मीटर, गहर 920 मीटर एवं महानदी 240 मीटर दूर है।
9. पारिविकलिकीय/जैविकिता संवेदनशील होम – परिवेशना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्यायाल्य कीदीय प्रदूषण निवारण बोर्ड द्वारा शोधित डिटिकली गैल्वोटेल एरिया, पारिविकलिकीय संवेदनशील होम या शोधित जैविकिता होम स्थित नहीं होना प्रतिवेदित गिरा है।
10. खनन संपदा के स्थान का विवरण – नियोनीकिल रिजर्व 19,027 घनमीटर, गाईनेशन रिजर्व 6,138 घनमीटर एवं रिक्षारेवल रिजर्व 3,853 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर ऊंची सीमा बट्टी (उत्थनन के लिए प्रतिवेदित संत्र) का संभावना 1,601 घनमीटर है। ओपन कालट फैन्युअल विधि से उत्थनन किया जाता है। उत्थनन की अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज होम में उपरी निटटी की ऊंचाई 2 मीटर और नियोनीकिल ऊंचाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावना ऊंचा 20 वर्ष से अधिक है। लीज होम में क्रांत रक्षणित नहीं है एवं इसकी रक्षणा का प्रस्ताव नहीं किया गया है। शिलिंग एवं स्लारिटिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का डिफ्रेक्ट किया जाता है। यर्कार प्रस्तावित उत्थनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्थनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्थनन (घनमीटर)
2020	174	वर्ष	240

हिस्तीय	159	संवाम	260.5
तुर्तीय	204	उत्तम	262
चतुर्थ	226	नवन	266
पंचम	235.5	दक्षम	264

11. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की जाता 3.28 कर्नीटर प्रतिदिन होती। जल की आपूर्ति राम पंचाक्षत द्वारा हेल्प एवं बोल्डेल के माध्यम से हो जाती है। इस बाबत् राम पंचाक्षत का जलापूर्ति प्रमाण पड़ एवं सेन्ट्रल ब्राउन्स बीटर अधीक्षिणी से अनुमति द्वारा कर प्रस्तुत किया गया है।
12. वृक्षारोपण कार्य – लीज शीत की सीमा में चारी ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 321 नया वृक्षारोपण किया जाएगा। कर्तमान में 100 नया वृक्षारोपण किया गया है।
13. खदान की 7.5 मीटर की छोड़ी सीमा पट्टी में उत्तरानन – लीज क्षेत्र के चारी ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,801 कर्नीटर क्षेत्र है जिसमें से 686 कर्नीटर क्षेत्र 3 मीटर तक 446 कर्नीटर क्षेत्र 15 मीटर की लाहराई तक उत्तरानन है। जिसका उत्तरेका अनुमोदित बदारी प्लान में किया गया है। प्रतिवर्षि 7.5 मीटर छोड़ी सीमा पट्टी में उत्तरानन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की रूपी का उत्तरानन है। अतः परियोजना प्रक्रियक के विषय नियमानुसार आवश्यक उत्तरानन किया जाना आवश्यक है।
14. उत्तराननीय है कि भावत शक्तार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं दिल्ली द्वारा नीन कोल मार्किन ग्रोवोकट्स हेतु भावक पर्यावरणीय रूपी चारी की रही है। रूपी क्रमांक VIII-(i) के अनुसार—
- "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."
- उक्त भावक रूपी के अनुसार व्हाईल लीज शीत के अंदर 7.5 मीटर छोड़े सेवटी जीन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।
15. प्रस्तुतीकरण के दोसान परियोजना प्रक्रियक द्वारा बताया गया कि ग्राम-छोड़ारी, बरबलपुर एवं मुढ़ना, लहसील व जिला-गहानाङ्क शेत्र में 30 क्षेत्र खदान, कुल शेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम-छोड़ारी के क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम-बरबलपुर एवं शोड़ारी शेत्र में 70 खदान, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम-छोड़ारी एवं नुडेना शेत्र में 25 खदान, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित हैं। दोनों शेत्रों के क्षेत्र की दूरी 660 मीटर है। यूके ईआईएस्ट की दोसान दोनों शेत्रों का बाकर प्रीन एक-दूलेरे में ऑक्सीजन सेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रक्रियक द्वारा कुल 35 क्षेत्र खदानों की एक कलरटर भावते हुये काफ़ी नहीं है। रिपोर्ट दियार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति हाजा नियंत्रित किया जाया कि दोनों शेत्रों से 10-10 किलो ले शेत्र के ईआईएस्ट ऑक्सीजन के लिए उत्तरानन किया जाना आवश्यक है।
16. प्रस्तुतीकरण के दोसान परियोजना प्रक्रियक द्वारा बताया गया कि बलस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाइन डाटा कलेक्शन का उत्तर दिनांक

01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उत्तर के संबंध में दिनांक 28/09/2021 की सूचना दी जाई गी।

17. मानवीय एम.जी.टी., विसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाठ्योदय विद्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 की पारित आदेश ने मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

संबिधि द्वारा विचार विमर्श संपर्क संवैधानिकी से निम्नानुसार निम्न लिया गया:-

- कार्यालय कालेज (अनियंत्रित), ज़िला-महालक्ष्मी द्वारा कार्यालय नं. 224/क/खालि/क.क. 2021 न्यूज़लम्बूद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आयोगित खदान से 500 मीटर की ओर अवस्थित 89 खदानों की कुल 40.3 हेक्टेयर है। आयोगित खदान (पाम-बरबसपुर) का रकमा 0.3 हेक्टेयर है। इस कालय आयोगित खदान (पाम-बरबसपुर) की निलायक बृत्त रकमा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिसरी में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल कोषकल 8 हेक्टेयर से अधिक या कालेज निर्मित होने के कारण यह खदान 'सी1' क्लासी की मानी गयी।
- माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीपटी जीन के कुछ भाग में किये गए उत्तरानन की कारण इस क्षेत्र के उपरानी उपायी (Remedial Measures) के संबंध में इस लीज क्षेत्र के ऊंचर माईनिंग किलाकलायों के कारण उत्तरानन प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उत्तरानी यथा नृसार्वोपय आदि के लिये नामुदित उपायों को कियायित करने वाला संघालक, संघालनालय, गोपिकी राधा सुनिकर्म, इदावती भवन, नवा राजनुर अटल नगर, ज़िला - लायपुर (छलीसगढ़) को लेता किया जाए।
- प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अधिक उत्तरानन किया जाना पाढ़े जाने पर परियोग्या प्रस्तावक के विकल्प नियमानुसार आवश्यक दम्भालमक कार्यालयी किये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, गोपिकी राधा सुनिकर्म को इस पर्यावरण को सुधि पहुंचाने हेतु छलीसगढ़ पर्यावरण संस्थान सड़क, नवा रायपुर अटल नगर की उत्तरावक कार्यालयी किये जाने हेतु लेता किया जाए।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का कालय इतिवेदन के संबंध में एकीकृत कीर्तीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेता किया जाए।
- संभिति द्वारा विचार विमर्श संपर्क संवैधानिकी से प्रकल्प 'सी1' कोटेजों का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकल्पित स्टैफर्डी टर्मी ऑफ रिफरेंस (टीआरसीएर) पौरी ई-आईटी/ई-एन-पी. रिपोर्ट पौर ग्रोवेनटास/एकटीविटीज रिक्वायरेंस इन्वायरमेंट जलीवरेस अप्लाई ई-आईटी/ई-एन-पी. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित क्षेत्री 1(ए) या स्टैफर्डी टीआरसीएर

(कठोर सुनवाई लिए) विन कोर मार्गिंग प्रोजेक्ट द्वारा द्वय विभिन्न प्रशंसन की साथ आरी रिक्त जाने की अनुशंसा की गई—

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- vii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- viii. Project proponent shall submit the copy of panchamsa and photographs of every monitoring station.
- ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/06/2017.
- xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance

cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

- xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा ऐलक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19 / 10 / 2022 को सम्पन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवीनी का अवस्थोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार क्षेत्रों लेपरांड वार्षिकमति से समिति की अनुसंधान की स्वीकार करती हुई उपरोक्तानुसार हमने ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई समिति) द्विन अधिकारी शर्मी के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया—

- I. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- II. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि—

- (1) (i) मार्फत लौज क्षेत्र के बारे और 7.5 मीटर ऊपर से सेवी ऊन के कुछ भाग में किये गये उत्तराखनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी लोगों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लौज क्षेत्र के अंदर माइक्रो विवाहिताओं के कारण उत्पन्न इटूषन नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचारी लोक वृक्षारोपण आदि को किये समुदाय उपचारी बाबत संघातक, संवालनालय, भौमिकी तथा समिकार्य, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला — रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
(ii) प्रतीविधि 7.5 मीटर ऊपर सीधी सीधा पट्टी में अर्थात् उत्तराखनन किया जाना यादृ जाने पर परिवेशना प्रस्तावक के विस्तृत नियन्त्रानुसार आवश्यक दम्पत्तालक कार्यवाही किये जाने हेतु संघातक, संवालनालय, भौमिकी तथा समिकार्य को पत्र लेख किया जाए।
(iii) मार्फत लौज क्षेत्र के बारे और 7.5 मीटर ऊपर से सेवी ऊन के कुछ भाग में किये गये उत्तराखनन के कारण पर्यावरण को लाती पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ परिवर्तन संखार बंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
- (2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय नीतिकृति का पालन प्रतिवेदन एवं विवृत कार्यालय, भावत सरकार, पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन भंडालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंत्रालय जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परिवेशना प्रस्तावक को सही हमने ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई समिति) जारी किया गया। साथ ही संघातक, संवालनालय, भौमिकी तथा समिकार्य,

हृदयाली भवन, जबा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार मंडल, जबा रायपुर अटल नगर द्वारा एकीकृत कार्यालय, जबा रायपुर सरकार, पर्यावरण, बन और जलवाया परिवर्तन मंत्रालय, जबा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र लेखा किया जाए।

12. मेसार्स लाईन स्टोन (प्लॉन स्टोन) कारो (प्री- की गईन्द्र प्रताप शोभानाथी), शाम-बरबसपुर, लहरील व जिला-गहारामुद (शाखिवालय का नमस्ती अमांक 2024)

जीनलाईन आवेदन — प्रोजेक्ट नम्बर — एसआईए/ लीजी/ एमआईए/ 69810 / 2021, दिनांक 17 / 05 / 2022 द्वारा दीजोआर हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संखालित गुना पत्तर (गोण शामिल) खदान है। खदान शाम-बरबसपुर, लहरील व जिला-गहारामुद लिखा पाठ लौक खसरा क्रमांक — 244, कुल क्षेत्रफल—0.32 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्तरानन कमता — 937.5 टन (375 घनमीटर) प्रतिक्रीं है।

लदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एलईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02 / 09 / 2022 द्वारा प्रत्युत्तीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 423वीं बैठक दिनांक 08 / 09 / 2022:

प्रत्युत्तीकरण हेतु की गईन्द्र प्रताप शोभानाथी, प्रोफेसरिट उपसिति हुए। समिति द्वारा नहीं, प्रत्युत्त जानकारी का उत्तरोक्त एवं परीक्षण करने पर मिस्न लिखति चाहूँ गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय कीमतिं शब्दाली विवरण—

1. पूर्व में द्वारा पत्तर खदान खसरा क्रमांक 244, कुल क्षेत्रफल — 0.32 हेक्टेयर, कमता — 375 घनमीटर इतिवर्षीय हेतु पर्यावरणीय कीमति जिला सारीय पर्यावरण समायात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-गहारामुद द्वारा दिनांक 15 / 02 / 2017 को जारी की गई। यह कीमति दिनांक 14 / 02 / 2022 तक की उपर्युक्त हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवाया परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 / 01 / 2021 अनुसार—

"*Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.*"

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय कीमति जारी दिनांक से दिनांक 14 / 02 / 2022 तक वैध होगी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय कीमति के बारे के प्राप्ति में की गई कार्रवाई की जानकारी प्रत्युत्त की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत कार्रवाई कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवाया परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी

पर्यावरणीय संकेतिः जब प्रजनन अधिकारीद्वारा प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- viii. गिरिजिं रामानुजार 200 नये पुकारोपन किया गया है।
- ix. कार्यालय कलेक्टर (खनि जाला), जिला-महालमुंद द्वारा जारी प्रभाग पत्र दिनांक 28/08/2021 अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी शिक्षानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017	615
2018	443
2019	530
2020	380

समिति का कहा है कि दिनांक 01/01/2021 से अग्रहन सिविति तक किये गये उत्खनन की जानकारी शिक्षा विभाग से प्राप्तिं चलाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. याम धन्धारक का अनापत्ति प्रभाग पत्र – उत्खनन के संकेत में याम धन्धारक बखलानुर का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्ति प्रभाग पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – जारी प्राप्त एलांग शिव क्षाति कलेक्टर पत्र विद्युत्कार्यसेंट बैनरिमेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि-प्रभा), जिला-रामपुर के पु. छापन कर्मान क./खालि/नीन-2016/2457(3) रामपुर, दिनांक 05/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 गीटर की परिधि में सिवत सादान – कार्यालय कलेक्टर (खनि जाला), जिला-महालमुंद के द्वारा दिनांक 224/क/खालि/न.अ. /2021 महालमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित सादान से 500 गीटर के भीतर क्षमिता 69 जाहानी, दीर्घकाल 40.28 हेक्टेकर है।
5. 200 गीटर की परिधि में सिवत सार्वजनिक लोअर/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनि जाला), जिला-महालमुंद के द्वारा दिनांक 1295/क/खालि/न.अ. /2021 महालमुंद, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रभाग पत्र अनुसार उक्त सादान से 200 गीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक लोअर नीसे महिर, बरमट, पुल, बड़ी, रेस लाईन, ऊर्ध्वाल, स्कूल, इंजीकट लोअर एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिक्षिप्त क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
6. गूमि एवं लोअर का विवरण – यह जानकारी गूमि है। लोअर भी महिन्द्र इंजीनियरिंग लोअरों की नाम पर है। यह में लोअर की 10 वर्ष अवधि दिनांक 03/10/1998 से दिनांक 02/10/2008 तक की अवधि हेतु की थी। उत्खनन लोअर की 20 वर्ष अवधि 03/10/2008 से 02/10/2028 तक की अवधि हेतु विस्तारित नहीं गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – की 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महसूर्य संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी याम-बखलानुर 700 गीटर, स्कूल प्राप्त-बखलानुर 1 कि.मी. एवं अल्पताल महालमुंद 9.75 कि.मी. की दूरी पर सिवत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15.85 कि.मी. दूर

है। नहानदी 300 मीटर, बीसमी नदी 610 मीटर, नहन 1 किमी, एवं तालाब 400 मीटर दूर है।

9. पारिसिविकीय/ औद्योगिकता संबंधित शोब्र — परियोजना प्रस्तावक छाता 10 किमी, जी परियोजने में अलर्गोडीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयानप्पा, कैन्टीय प्रदूषण नियंत्रण शोब्र द्वारा घोषित विलिंगनी धोल्मुठें एवं पारिसिविकीय संबंधित शोब्र या घोषित औद्योगिकता क्षेत्र नियंत्रण नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. स्थान संफदा एवं स्थानन का विवरण — अनुमोदित गाइडिंग तारीख अगुस्तस वियोलीजिकल रिजर्व 30,747 टन (20,293 घनमीटर), माईनेकल रिजर्व 9,810 टन (3,824 घनमीटर) एवं रिक्लॉरेक्ट रिजर्व 7,387 टन है। बर्तमान में वियोलीजिकल रिजर्व 48,344 टन (19,337 घनमीटर) एवं राईनेकल रिजर्व 7,437 टन (2,962 घनमीटर) शोब्र है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्तरानन के लिए प्रतिविधित शोब्र) का क्षेत्रफल 1,882 घनमीटर है। ओपन बारस्ट मेनुअल विधि से उत्तरानन किया जाता है। उत्तरानन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज शोब्र में कुमड़ी विहारी की गहराई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,634 घनमीटर है। लीज शोब्र में कालर क्षायित नहीं है एवं इसकी स्थानना का प्रस्ताव नहीं किया जाता है। विलिंग एवं ब्राउंटन नहीं किया जाता है। बटोन कटर का उपयोग किया जाता है। स्थान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु याल का डिफेंस विकास किया जाता है। वर्तमान प्रस्तावित उत्तरानन का विवरण निम्नानुसार है—

बर्ब	प्रस्तावित उत्तरानन (टन)	बर्ब	प्रस्तावित उत्तरानन (टन)
प्रबन्ध	787.5	वर्षट्टम	975
द्वितीय	825	स्लेटम	1,012.5
तृतीय	862.5	ब्रेटम	1,060
चतुर्थ	900	मदन	1,087.5
पंचम	937.5	दराम	1,071.25

11. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.42 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति घोरवेल के नद्याम से की जाती है। इस बाबत सेन्ट्रल शालगढ़ मीटर अधीकिटी से अनुमति प्राप्त कर प्राप्त होता है।

12. यूकारोपण कार्य — लीज शोब्र की सीमा में जारी ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 375 नग यूकारोपण किया जाएगा। बर्तमान में 130 नग यूकारोपण किया गया है।

13. स्थान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तरानन — लीज शोब्र की यारी ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,882 घनमीटर शोब्र है, जिसमें से 349 घनमीटर शोब्र 5 मीटर की गहराई तक उत्तरानित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित बारी प्राप्त कर दिया गया है। प्रतिविधि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तरानन किया जाना चाहिएलीय सीमावृत्ति की रूटी का उल्लंघन है। उत्तर परियोजना प्रस्तावक के विस्तृत विवरण आवश्यक दस्तावेज़ का दायेंहाही किया जाना आवश्यक है।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार पर्यावरण, उन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहीं डिल्ली द्वारा नीच कोल गाइडिंग ग्रोवेकटरा हेतु यानक पर्यावरणीय जारी की गई है। शार्ट रमार्क विवरों के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त नामक सारी के अनुसार माईन लीज बोर के अंदर 7.5 मीटर की ओरी ओर में प्रूफरोपन किया जाना आवश्यक है।

15. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परिवोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्राम-धोकारी बरबरापुर एवं मुँहना, तहसील व जिला-महासभुद क्षेत्र में 65 प्राथर खदाने, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित हैं। प्राम-धोकारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के चलाव दिशा में प्राम-बरबरापुर एवं धोकारी बोर में 10 खदाने, बोरकल 40.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में प्राम-धोकारी एवं मुँहना बोर में 25 खदाने, बोरकल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित हैं। दोनों बोरों के मध्य की दूरी 600 मीटर है। यूकि इआईएस्टट की दीर्घन दोनों बोरों का बफर जौग एक-दूसरे में औकर लेन ही रहा है। अतः परिवोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 65 प्राथर खदानों को एक बलस्टर मानते हुये जाइनल इआईएस्टट रिपोर्ट तैयार करने ऐसु अनुमोद्य किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों बलस्टरों से 10-10 किमी के क्षेत्र को इआईएस्टटिंग के लिए उपलोड किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परिवोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बलस्टर में आने वाली अन्य छायाचारों के लिए बैललाईन खदान बर्लेवेन का कार्य दिनांक 01 / 10 / 2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त का संक्षेप में दिनांक 28 / 09 / 2021 को सूचना दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिमियल बैच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद पापड़ेय निरुद्ध भारत बालकार, बायविनष्ट, बन और जलवायु परिवर्तन बंधालय, नई दिल्ली दर्व अन्य (ओरिजिनल एप्रिलीजन नं. 188 ओरा 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13 / 09 / 2016 को पारित आदेश में नुस्खा का से निमानुसार निर्देशित किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

नामिति द्वारा विचार किया जपरांत सर्वसम्मति से निमानुसार निर्णय किया गया—

- वार्षीय कलेक्टर (नामित गाड़ा), जिला-महासभुद के द्वापन अन्यांक 234 / क / जाली / न.अ. / 2021 महासभुद दिनांक 10 / 02 / 2022 अनुसार आवेदित खदान से 600 मीटर की ओर उत्तर ओरस्थित 69 खदाने, बोरकल 40.28 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (प्राम-बरबरापुर) का रकमा 0.32 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (प्राम-बरबरापुर) को नियन्त्रक खुल रकमा 40.6 हेक्टेयर है। खदान जी सीमा से 600 मीटर की परिधि में स्थीकृत/संचालित खदानों का

कूल शोधकल के हेल्पर्स से अधिक का जलस्तर निर्णित होने के कारण यह सदाच 'सी1' थींगी बीमारी गयी।

2. मार्फत लोज सोब के छारी और 7.5 मीटर छोड़े रोपटी खोल के कूल भाग में किये गये उत्तरानन के कारण इस शोब के उपर्यादी उपायी (Remedial Measures) के संबंध में तथा सीज शोब के छोड़े मार्फत नियन्त्रकसाधारण के कारण उपर्यादी प्रदूषण नियन्त्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा कृषारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित करने वाला संसालक, संचालनालय, भौमिकी तथा समिकार्य, इंद्रावली भवन, नवा रायपुर अटल भवन, जिला - रायपुर (उत्तीर्णगढ़) को सेवा किया जाए।
3. अतिवर्धित 7.5 मीटर छोड़ी शीता घट्टी में अपैप उत्तरानन किया जाने वाये जाने वार परियोजना प्रस्तावक के विकल्प नियन्त्रानुसार आवश्यक दण्डाननक बर्यावाही किये जाने हेतु संसालक, संचालनालय, भौमिकी तथा समिकार्य को एवं परावर्तन को क्षति पहुंचाने हेतु छलीशपड़ चपोरवर्प संचालन मंडल, नवा रायपुर अटल भवन को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सेवा किया जाए।
4. यूई में जारी पर्यावरणीय सीखूति का चलन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्रीया कार्यालय परावर्तन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंडल, भासत सालगान, रायपुर को वज्र सेवा किया जाए।
5. समिति द्वारा विवार विमर्श उपर्याद सर्वसम्मति से प्रवर्तन 'सी1' कोटेजरी का होने के कारण भासत सालगान, परावर्तन, वन और जलवायु परिवर्तन मंडलय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकलिपित रहने वाले अंत रिफरेंस (टीओआर) पौर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट पौर ग्रोउपटेस/एकटीविटीज रिसायर्चिंग इन्डिपेंट कंसल्टेंट्स अफर ह.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में दर्जी थींगी 1(ए) का रहन्हल टीओआर (सोक सुनवाई सहित) नीन कोल मार्फत ग्रोउपटेस हेतु निम्न असीमित टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति दी गई:-
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from mining department.
 - iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
 - v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnams and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xiv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राप्तिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकाश पर प्राप्तिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संयम्य 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राप्तिकरण द्वारा जरूरी का अवलोकन किया गया। प्राप्तिकरण द्वारा विचार किमारु उपरांत जारीसम्मति से शमिली की अनुशासा को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार टमर्स औफ ऐक्सेंस (टीओएस) (लोक सुनवाई एडिट) किम अंतिरिक्त तरी के अंदर जारी करने का निर्देश दिया गया।

- i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

- ii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है—

- (i) (i) माईंग लीज होम के घासी और 7.5 मीटर ऊँचे सेपटी जल के कुछ भाग में किये गये उत्तराधिन के कारण इस होम के उपर्याही उपायों (Remedial Measures) के साथ ही तथा लीज होम के अदर बहुमिति कियाजानकारी के कारण उत्तराधिन प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों जैसे कृषारोपण आदि को किये गये समुचित उपायों वाले संचालक, संचालनालय, नीमित्ती तथा सामिकरण, इंद्रावती भवन, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर जिला – राष्ट्रपुर (छत्तीसगढ़) की पत्र लिखा दिया जाए।
- (ii) इनियोजित 7.5 मीटर ऊँची लीज पट्टी में अवैध उत्तराधिन किया जाना यादे जाने पर परियोजना प्रस्तावक के दिर्घी नियमानुसार आवश्यक दण्डालय का कार्रवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, नीमित्ती तथा सामिकरण को पत्र लेखा दिया जाए।
- (iii) माईंग लीज होम के घासी और 7.5 मीटर ऊँचे सेपटी जल के कुछ भाग में किये गये उत्तराधिन के कारण पर्यावरण की की पहुँचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर को आवश्यक कार्रवाही किये जाने हेतु पत्र लेखा दिया जाए।
- (iv) पूर्व में जारी पर्यावरणीय लीकृति का पालन प्रतिवेदन एवंकृत कीर्तिय जारीकरण, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेखा दिया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशात् टर्स ऑफ रेफोर्म्स (टीओआर) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, नीमित्ती तथा सामिकरण, इंद्रावती भवन, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर तथा एकीकृत कार्रवाही जलवाया, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर को पत्र लेखा दिया जाए।

13. बेसर्स एसेंस स्टोर बवारी (प्रो.— श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर), शाम-नांदगांव, लहसील व जिला-गहाचान्दुर (एवियातय का नस्ती क्रमांक 2025)

ऑनलाइन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ २७०१९ / 2022, दिनांक १७/०६/२०२२ द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संबंधित कर्ती कल्यन (प्रीति सामिक) द्वारा है। द्वारा शाम-नांदगांव, लहसील व जिला-गहाचान्दुर नियत जास्ता क्रमांक – २७२५/१ एवं २७२५/२, कुल क्रमांक–०५३ हेतुटार में है। जास्ता वी जारीदित उत्तराधिन क्रमांक – २,५०० रुप (१,००० रुपनीटर) प्रतिक्रिया है।

गहाचान्दुर परियोजना प्रस्तावक को एसआईए, छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक ०२/०९/२०२२ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

वैतक का विवरण –

(अ) समिति की ४२३वीं वैतक दिनांक ०८/०९/२०२२

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण युमार उन्नदाकर, डोपलाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर मिम्म लिखित पर्द्दा गई।

१. पूर्व में जारी पर्यावरणीय कर्तीकृति संबंधी विवरण—

- i. पूर्व में फली पर्यावरण कानून संसदीय अधिनियम 2725/1 एवं 2725/2, कल संनिहित — ०.५३ हेक्टेयर, क्षमता — १,०६० प्रमाणीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय कर्तीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाचार नियोजन प्राप्तिकरण, जिला—गढ़ासमूद दिनांक १८/०१/२०१८ की जारी की गई। यह स्थीरता दिनांक १८/०१/२०२३ तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक १८/०१/२०२१ अनुसार—

"**A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.**"

उपरोक्त अधिसूचना की अनुसार पर्यावरणीय स्थीरता नी वैधता जारी दिनांक से दिनांक १८/०१/२०२४ तक वैध होनी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता के शर्तों के पालन में की पई कर्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं गई है। समिति का नहीं है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकमैकूल क्षेत्रीय स्थायीतय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता का पालन प्रतिवेदन द्वारा वार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. नियोजित शर्तीनुसार १६० नग जूलारेपल नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (जिले राज्य), जिला—गढ़ासमूद द्वारा जारी द्रमाण वार दिनांक ११/०३/२०२२ अनुसार विवाह वधी में किये गये उत्तरानन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रत्यादान (प्रमाणीटर)
२०१८	विवरक
२०१९	८७
२०२०	१०२
दिनांक, ०१/०१/२०२१ से दिनांक ३०/०६/२०२१	३६०

समिति का नहीं है कि दिनांक ०१/०७/२०२१ से अद्यतन लिखित तक किये गये उत्तरानन की जानकारी समिति दिनांक से द्रमाण वार प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2. याम पंचायत सा अनापत्ति द्रमाण वार — उत्तरानन के लिये में याम पंचायत नीदिनांक का दिनांक २३/१०/२०१३ का अनापत्ति द्रमाण वार प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्तराखण्ड योजना - कार्यालय इलाम विल जारी कर्तव्यर प्रकाश दिल हांग्कायर्गोमीट मैनेजमेंट प्रकाश प्रस्तुत किया गया है, जो सभी संचालक (खण्डित प्रकाश) जिला-नालंदा के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./सीन-६/2017/584 नालंदा दिनांक 24/08/2017 द्वारा जारीकर्तव्यर है।
4. 500 मीटर भी परिधि में विषय स्थान - कार्यालय कर्मसूक्त (खण्डित प्रकाश), जिला-महासंघृद के ज्ञापन क्रमांक 408/क./ख.लि./न.अ. /2021 महासंघृद दिनांक 11/03/2022 अनुसार आधिकारी स्थान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 घासाने देशकल 8.2 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में विषय सार्वजनिक सेवा/संरचनाएँ - कार्यालय कर्मसूक्तर (खण्डित प्रकाश), जिला-महासंघृद के ज्ञापन क्रमांक 408/क./ख.लि./न.अ. /2021 महासंघृद दिनांक 11/03/2022 अनुसार आधिकारी स्थान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक सेवा नहीं भवित, भवित, नहीं, नहीं, रेल लाइन, अस्पताल, बहुल, एगोकट वाय एवं जल आपूर्ति आदि प्राक्तिकर्तव्य सेवा निर्मित नहीं है।
6. लीज का विवरण - लीज की कृष्ण कुमार चन्द्राकान की नाम पर है। लीज की अवधि 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 05/04/2015 से 04/04/2045 तक की अवधि है।
7. गृ-स्वामित्व - भूमि रासायन क्रमांक 2725/1 की बलवाहक नियोजन एवं रासायन क्रमांक 2725/2 आधेनक के नाम पर है। उत्तराखण्ड हेतु भूमि रवानी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रमुख वर्णन की गई है।
9. बन विधाय का अनापत्ति प्रकाश घर - कार्यालय बनमण्डल अधिकारी, राज्यालय बनमण्डल, जिला-महासंघृद के ज्ञापन क्रमांक/वा.वि./उरु/महासंघृद दिनांक 03/08/2022 की जारी अनापत्ति प्रकाश घर अनुसार आधिकारी सेवा बन बोर्ड की सीमा से 470 मीटर की दूरी पर है।
10. नहरपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी पान-नांदगांव 810 मीटर, रामगढ़ पान-नांदगांव 850 मीटर एवं रामगढ़ाल महासंघृद 7.15 किमी. की दूरी पर स्थित है। चार्टीय राजमार्ग 5.20 किमी. एवं राजमार्ग 11.80 किमी. दूर है। रालाल 1.10 किमी., गोमांगी नाला 60 मीटर, नहर 2.6 किमी. एवं महानदी 600 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संग्रहनशील सेवा - परियोजना प्रस्तावका द्वारा 10 किमी. की परिधि में अंतरीजीव जीवा, राष्ट्रीय स्थान, अवयालाय, केन्द्रीय प्रदूषण विवरण बोर्ड द्वारा चौथी विटिकानी पौल्युटेल एवं या, पारिस्थितिकीय संग्रहनशील सेवा का चौथी विटिकानी सेवा रिपोर्ट नहीं होना प्रतिक्रिया किया गया है।
12. खानन संपदा एवं खानन का विवरण - जियोलॉजिकल रिपोर्ट 21,200 घनमीटर, नाईनेकल रिपोर्ट 10,519 घनमीटर एवं रिहर्सलेल रिपोर्ट 7,888 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर और सीना पट्टी (उत्तराखण्ड के लिए प्रतिवर्षित सेवा) का क्षेत्रफल 2,401 घनमीटर है। औपन कार्बन मैन्युफ्लू विली की उत्तराखण्ड किया जाता है। उत्तराखण्ड की प्रस्तावित जीविकलाम गहराई 6 मीटर है। लीज सेवा में छमड़ी विटी की ओटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्र 6,000 घनमीटर है। वैज

की लंबाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संरचित ऊपुर 10 वर्ष से अधिक है। लोज कोड में ब्रह्मर रखा पिछ नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रक्रम नहीं किया गया है। फ्रिलिंग एवं ब्रासिटा नहीं किया जाता है। रटोल कट्ट का उपयोग किया जाता है। खदान में आम प्रशुत्य निवारण हेतु यह किया हिन्दुकाल किया जाता है। यर्थवार इन्हाँपित उत्तरान का विवरण निम्नानुसार है—

क्रम	प्रस्तावित चलनानन (अन्योंटर)	क्रम	प्रस्तावित चलनानन (अन्योंटर)
प्रथम	840	पाटम	998
द्वितीय	870	सप्तम	999
तृतीय	930	आठम	999
चौथ	960	नवम	999.5
पंद्रम	978	दशम	1,000

13. जात समूहों – परियोजना हाउस आवासक जल की मात्रा 3.68 मीट्रीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बीरेंड के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत संदूषण वाहक बीटर अधीक्षित से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
 14. यूआरोपन खार्ट – लौज होट की सीमा में यारी और 7.5 मीटर की घटटी में 480 नग यूआरोपन किया जाएगा। यारोपन में 150 नग यूआरोपन किया गया है।
 15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा घटटी में उत्खनन – लौज होट की यारी और 7.5 मीटर की सीमा घटटी में उत्खनन खार्ट नहीं किया गया है।
 16. प्रस्तुतीकरण के दोनों परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक भी बीरेंद लोनारे (एसआईए / सीजी / एमआईएन / 618261/2021), भी हीरेंद लाहू (एसआईए / सीजी / एमआईएन / 61986/2021) एवं भी प्रेमनाथपुर बन्दाकर (एसआईए / सीजी / एमआईएन / 61876/2021) ने आगे याती समस्त खदानों को कलस्टर में शामिल करके हुए बेसलाईन जाटा कर्तेवहन या खार्ट 15 नार्ट, 2021 से 15 नून, 2021 के पश्च लिया गया था। तासमय बेसलाईन जाटा कर्तेवहन की सूचना भी गई थी। कार्यालय कर्तेवहन (बिनियोजन बाबत), जिला-महासभूद द्वारा यारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 600 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उत्खन खदान का उल्लेख है। अब आवेदित खदान उस बलस्टर का गाय है, जिसके लिए ईआईए स्टडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकक्षित बेसलाईन जाटा का उपयोग कर ईआईए लियों तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। इस बाबत भी बीरेंद लोनारे भी हीरेंद लाहू एवं भी प्रेमनाथपुर बन्दाकर का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपर से संगेति सहमत हुई।
 17. नामगीय एनपीटी, डिलिक्स बैच, नई दिल्ली द्वारा भालौंद यांगोंग डिल्ड मारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवाय विभागीय मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल दस्तिकारन नं. 100 अंक 2016 तक अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में सुलझ कर भी निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
 - Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

सांगिति द्वारा विचार दिया गया सम्बन्धीय लक्षणों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्बोलय कलेक्टर (कार्बोलय द्वारा), जिला—गहासांगुद के जावन इमार 408 / क / एसि / ८३४ / २०२१ नहासमुद, दिनांक 11/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 800 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानों, होचकल ४२ हेक्टेयर है। आवेदित खदान (दाम—नादिगांव) का रक्षा ०.५३ हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (दाम—नादिगांव) की गिलाकर युक्त रक्षा ८.७३ हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 800 मीटर की परिधि ने स्वीकृत/संप्राप्तित खदानों का कुल क्षेत्रफल ५ हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी १ क्षेत्री की बाती नहीं।
2. पूर्व में जारी घर्यावरहनीय स्वीकृति का पालन प्रतिशेषन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्बोलय पर्यावरण, बन एवं जलवायु व्यवीकरण मंत्रालय, माला सरकार, रायपुर की पत्र क्षेत्र विज्ञ पत्र।
3. लिखित द्वारा विचार दिया गया सम्बन्धीय द्रष्टव्य बी १ क्षेत्री का होने के कारण माला सरकार, घर्यावरण, बन और जलवायु व्यवीकरण मंत्रालय द्वारा अंडील २०१८ में प्राप्तिकृत हैथढ़ई टक्सी ओफ रिपोर्ट (टीओआर) परीक्षा ई.एस.पी. रिपोर्ट परीक्षा और प्रोजेक्टस/एकटीविटीज रिपोर्टरिंग इन्वायरनमेंट बलीयरेस अंडर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, २००८ में लिखित क्षेत्री १(१) का हैथढ़ई टीओआर (लोक सुनवाई लिहित) नीन कोल नाईटिंग प्रोजेक्टस डेत्रु निम्न अंतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - iii. Project proponent shall submit production detail from 01/07/2021 to till date from mining department.
 - iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
 - v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - ix. Project proponent shall submit the copy of panchayat and photographs of every monitoring station.
 - x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में नियार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19 / 10 / 2022 को संपन्न 131वीं बैठक में नियार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अहोकान निया गया। प्राधिकरण द्वारा नियार नियारी समर्थन समिति से अधिकारी की अनुशंसा को वरीकार बताए हुए उपरोक्तानुसार टम्स ऑफ रेफोर्म्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निय अहिरिल जारी करने का नियम निया गया।

- I. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- II. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.

साथ ही यह भी नियम निया गया कि यूं में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति वा पालन प्रतिषेदन एकीकृत होकरीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन संचालय, नवा नायपुर अटल नगर से मियाये जाने हेतु पञ्च लेख किया जाए। परियोजना प्रबलाधक को सरारी टम्स ऑफ रेफोर्म्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत होकरीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन संचालय, नवा नायपुर अटल नगर को पञ्च लेख किया जाए।

14. मेसर्स रमा विल्हेल्मीन एंड रियल कंटेन पाइपलेट लिमिटेड (इ)।— भी कमल कुमार अग्रवाल, दौर लाईम कंटोन कमारी), शाम-दौर, ताहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (साधियालय का नमस्ती छांतक 2030)
- अनिललाईन आयोद्दन — प्रपोजित नम्बर — एसआईए/ लीली/ एमआईए/ 77054 / 2022 दिनांक 19/06/2022 हाच दी.ओ.आर हेतु आयोद्दन किया गया है।
- प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित यूनिकोड खदान है। खदान ग्राम-दौर, ताहसील-पाटन, जिला-दुर्ग रिक्षत खदान छांतक 434/1, 434/2, 434/3, 434/4, 434/5, 434/6, 434/7, 434/8, 434/9, 434/10, 434/11, 434/12, 434/13, 434/14, 433/1(पाटी), 471(पाटी), 560/2(पाटी), 485, 458, 458/1(पाटी), 469(पाटी), 561/1(पाटी), 561/2, 561/3(पाटी), 561/5(पाटी) एवं 561/6, पुल शेषपत्ता-७९५ हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आयोद्दित ऊँचाई लगभग २००,००० टन प्रतिक्वर्बि है।
- लदानुसार परियोजना प्रस्तावक यो एसईएसी, छत्तीशगढ़ के ज्ञान दिनांक 02/09/2022 हाच प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।
- मैलक का विवरण —**
- (अ) समिति की 423वीं बैठक दिनांक 08/09/2022:
- प्रस्तुतीकरण हेतु भी अदर्श अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपसिंहा दुर्। समिति हाच नमस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विवरण पाइ गई—
- पूर्व में जहारी पर्यावरणीय स्थीरकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्थीरकृति जारी नहीं की गई है।
 - शाम पंखायत का अनापरित प्रमाण पत्र — उत्तरानन के संबंध में शाम पंखायत दौर का दिनांक 03/12/2019 का अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का यह है कि काहिनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के सभ उपकर की स्थापना हेतु शाम पंखायत का अनापरित प्रमाण पत्र (काम्याही बैठक, दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - उत्तरानन यौजना — जारी प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जो उप-लंबालक (खनिज प्रशासन), जिला-दुर्ग के ज्ञान छांतक/111/खनि.अनु-01/2022 दुर्ग, दिनांक 28/04/2022 हाच जनुर्मोदित है।
 - 500 मीटर की परिधि में रिक्षत खदान— कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-दुर्ग के ज्ञान छांतक/199/खनि. लि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 11/05/2022 हाच जारी प्रमाण पत्र ऊनुसार उक्त खदान से 500 मीटर की परिधि की सार्वजनिक क्षेत्र जैसे नदियां, अस्पताल, स्कूल, पुल, रेल लाईन एवं जल ऊनुसार आदि व्रतिष्ठित क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
 - एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — एल.ओ.आई. रमा विल्हेल्मीन एंड रियल कंटेन प्राप्ति के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-दुर्ग के

झापन लमांक/24/एसीजे/प.प./2022 दुर्ग, दिनांक 08/04/2022 इस जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. भू-स्थानिक - यूनि लमांक लमांक 434/1, 434/2, 434/3, 434/4, 434/5, 434/6, 434/7, 434/8, 434/9, 434/10, 434/11, 434/12, 434/13, 453/1(पाटी), 471(पाटी), 560/2(पाटी) पूर्वी द्रामाङ्कन पा. फि. शीयरेक्टर की कमाल कुमार अग्रवाल (आवेदक) एवं खासा लमांक 455, 466, 468/1(पाटी), 469(पाटी), 561/1(पाटी), 561/2, 561/3(पाटी), 561/5(पाटी) एवं 561/8, 434/14 दामा विलक्षण एवं रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड शीयरेक्टर शी कमाल कुमार अग्रवाल (आवेदक) को नाम पर है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विमान का अनावृत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय अनमण्डलविकासी, दुर्ग अनमण्डल, जिला-दुर्ग के झापन लमांक/लक.अभि./2020/3772 दुर्ग, दिनांक 05/10/2020 से जारी अनावृत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा से 50 किमी की दूरी पर है।
10. गहरवृष्टि सारथनाथी की दूरी - निकटलम आवादी छाम-द्वीर 800 मीटर, स्वतून ग्राम-द्वीर 1 किमी, एवं असपताल सेंट्रल 3 किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 किमी, एवं राजमार्ग 1.5 किमी, दूर है। तालाब 480 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/ पौधविविधता संवेदनशील होत - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिसीधि में अतिरिक्तीय सीना, राष्ट्रीय राजमार्ग, कर्मठीय उद्योग विधायक बोर्ड द्वारा प्रोप्रिएट विटिकली पील्पुटेड एसिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील होत या शोषित औषधिविधता होत स्थित नहीं होना प्रतिबोधित किया है।
12. अनन राष्ट्रदा एवं खानन का विवरण - विद्योलीजिकल रिजर्व 48,70,000 टन, वर्षान्वेषत रिजर्व 21,50,964 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 19,36,858 टन है। लौज की 7.5 मीटर ऊँची सीना पट्टी (खानन के लिए प्रतिवर्षित होत) का होताहल 19,323 वर्षमीटर है। ओरम छालट सेवी मेंहेन्ड्रेच विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रक्रिया अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लौज होत में उपरी मिट्टी की गोटाई 1 मीटर है तथा बुल मात्रा 31,273 घनमीटर है, जिसमें से 18,626 घनमीटर ऊपरी मिट्टी की 7.5 मीटर (माझे बाढ़छटी) होत में फैलाकर खुलासेवा के लिए उपयोग एवं होत 12,647 घनमीटर ऊपरी मिट्टी की गोर भाईनीग होत में रातड़ीत कर पुनर्बन्धन हेतु उपयोग किया जाएगा। ये ती कमाई 1.5 मीटर एवं गोटाई 1.5 मीटर है। खानन की संभावित छाय 14.30 फूं है। लौज होत में कवार अवधि किया जाना प्रस्तावित है, जिसका होताहल 4,752 घरमीटर है। ऊर्क हैमर की हिस्तिंग एवं काटोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खानन में बायु प्रदूषण विवरण हेतु जल वा विकलान किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,00,366
द्वितीय	1,50,000
तृतीय	1,50,000

संग्रह	2,00,000
पंचम	1,50,000

13. जल आवृत्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा १ घनमीटर वर्षियिन होगी। जल की आवृत्ति बोर्डेल के भवधाम से ही जायेगी। इस बाबत सेंट्रल राउण्ड बोर्डर अधीक्षित से अनुमति प्राप्त कर प्रशस्ता किया जाना प्रस्तावित है।
14. सुखारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में जाने और ७.५ बीटर की पट्टी में १,५०० नए सुखारोपण किया जाएगा।
15. खदान की ७.५ बीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र की जारी और ७.५ बीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन नहीं किया जाया है।
16. ऐर माइनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र से हाई-टेस्ट लाईन गुजरने के कारण ११,८८८ घनमीटर क्षेत्र एवं लीज क्षेत्र में कुछ संतुष्टि क्षेत्र होने के कारण २३ घनमीटर क्षेत्र को ऐर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माइनिंग प्लान में किया गया है।
17. मानवीय एनजीटी, प्रिकिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा गतीद प्रभाव विशद भास्त सरकार, परिवर्त्य, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल परिकल्पना नं. १८८ और २०१६ एवं अन्य) में दिनांक १३/०९/२०१६ को परिषद आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

रागिति द्वारा प्रियार्थ उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार विर्य किया गया—

1. कार्यालय कालेक्टर (खनीज शास्ति), जिला-कुर्म के खदान क्रमांक/१९९/खनि. सि.०२/खनिज/२०२२ द्वारा, दिनांक ११/०६/२०२२ अनुसार आवेदित खदान से ५०० बीटर के गीलर उपयोगित अन्य खदानों की संबंध निरुक्त है। आवेदित खदान (गाँव-डीर) का रक्कड़ १.३१ हेक्टेयर है। खदान की सीमा से ५०० बीटर की वरिष्ठि में रुपीकृत/संचालित खदानों का युक्त क्षेत्रफल ५ हेक्टेयर से अधिक का कलस्टर निर्दिष्ट होने के कारण यह खदान 'बी' क्षेत्री की जाती रखी।
2. रागिति द्वारा प्रियार्थ उपरांत सर्वसम्मति से इकलूग 'बी' क्षेत्री का होने के कारण भास्त सरकार, परिवर्त्य, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अंतिम २०१५ में प्रकाशित स्टैफ्फर्ड टन्सी और रिकरेंस (टीओआर) और ईआईए/ईएमडी रिपोर्ट पॉलर ग्रोवेक्ट्स/एकटीपिटीज रिक्वायरमेंट बलीवरेस अण्डर ईआईए नीटिकिकेशन, २००६ में वर्षित क्षेत्री १(ए) वह स्टैफ्फर्ड टीओआर (लोक सुनायाई सहित) नौन कौल नाइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अंतिरिक्ष टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति दी गई—
 - i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

- iii. Project proponent shall submit the details of total project cost breakup.
- iv. Project proponent shall submit the NOC from Central Ground Water Authority for uses of water.
- v. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat for establishment of proposed crusher.
- vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- x. Project proponent shall submit Traffic Impact Study and Social Impact Study & incorporate in the EIA report.
- xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).
- xii. EIA study shall be at minimum 8 no. of monitoring stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnams and photographs of every monitoring station.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/08/2017.
- xvi. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall submit the details of pollution control arrangement in crusher.
- xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरीला प्रवाह पर प्राधिकरण की बिलकुल 19 / 10 / 2022 को संघन्न 131वीं बैठक में विचार वित्त गया। प्राधिकरण द्वारा नहीं का अवस्थीकरण वित्त गया। प्राधिकरण द्वारा विचार वित्त उपर्युक्त सम्बन्धित से

निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा अनुरोध अंतिरिक्ष टीआईआर के रूप में निम्न संशोधन किया जाए था :- (i) "Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report." के स्थान पर (ii) "Project Proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report." पढ़ा जाए।

साथ ही प्रतिकरण द्वारा समिति की अनुरोध को स्वीकार करती हुये टमर्स और रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई समिति) निम्न अंतिरिक्ष जली के अलावा जली करने का निर्णय लिया गया:-

- i. Project Proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project Proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- ii. Project Proponent shall ensure to obtain prior Air & Water consent for crusher from Chhattisgarh Environment Conservation Board.
- iii. Project Proponent shall carry out study for conservation of water bodies/pond and shall submit an action plan for the conservation and maintenance of water bodies located near the site, within the periphery of half km and earmark fund for the same in EMP.

परियोजना प्रस्तावक को राजी टमर्स और रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई समिति) जारी किया जाए।

15. गेहावी फलेंग बटोन खादी (प्रो.- श्री महेन्द्र कुमार साहू), यान-धोड़ारी, लहरीखेड़ व जिला-महासमुद्र (संधियालय का नस्ती छन्दोल 2031)
ऑनलाइन आवेदन - प्रबोधल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ ६०७८/ २०२१, दिनांक १९/०५/२०२२ द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।
प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित पहरी पल्लर (वीज समिति) खदान है। खदान धान-धोड़ारी, लहरीखेड़ व जिला-महासमुद्र जिले पाटी और खदान क्षमांक १०, कुल लोडफल-०.५८ हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-३.२२५ टन (१,२९० घण्टीटन) प्रतिघण्य है।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ को आपन दिनांक ०२/०९/२०२२ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु नृपित किया गया।

वैत्तक का विवरण -

(अ) समिति की ४२३वीं बैठक दिनांक ०८/०९/२०२२:

प्रवालीकरण हेतु श्री महेन्द्र कुमार साहू, प्रोग्रामार्टर उपसमिति हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रवाली जानकारी का उत्पादोंका एवं पर्याप्त बनने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

१. पूर्व में जारी पर्याप्ततागत स्थिति संबंधी विवरण:-



- i. पूर्व में कार्यी पत्रकर प्रस्ताव छह साल दिनांक 10, गुल लैंडफल - 0.58 हेक्टेयर, क्षमता - 1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सरीक एवं उत्तरगंगा समाधान अधिकारी प्राधिकारण, जिला-महासंग्रह दिनांक 16/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/03/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/03/2022 तक ही होगी।

- i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यकारी ली जानकारी प्रस्तुत की गई है। सभिति का यह है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, भारत सरकार, रायगढ़ से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन इसीप्रदेश प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- ii. नियोजित रातानुसार 116 गन वृक्षारोपण किया गया है।
- iii. कार्यालय कालेजर (सनिय रायडा), जिला-महासंग्रह द्वारा जारी द्रमाण पत्र दिनांक 06/10/2021 अनुसार लिंगत कर्ता में हिले गये उल्लंघन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उल्लंघन (घनमीटर)
2017	27
2018	150
2019	93
2020	80

सभिति का यह है कि दिनांक 01/01/2021 से अद्यतन लियति तक हिले गये उल्लंघन की जानकारी सनिय लिंगत से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. याम पंचायत द्वा अनावृति द्रमाण पत्र — उल्लंघन के संबंध में याम पंचायत फौजारी का दिनांक 07/03/2022 का अनावृति द्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उल्लंघन दोषान्वयन — जहां पत्रान् एकीकृत विधि कार्यालय पत्रान् विधि इन्हाँपर्याप्त मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (सनियप्रशा), जिला-रायगढ़ के तृ. छापन दिनांक क. /ख.लि. /टी.भ-6 /2016 /3147(2) रूपपुर, दिनांक 31/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (समिति राजा), जिला-महासंग्रह के इकान क्रमांक 224/क/खालि/न.क./2021 महासंग्रह दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान ही 500 मीटर की परिधि 69 खदानों, बोर्डल 40.02 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक लोअर/सरबनाम – कार्यालय कलेक्टर (समिति राजा), जिला-महासंग्रह के इकान क्रमांक 1493/क/खालि/न.क./2021 महासंग्रह दिनांक 07/10/2021 द्वारा जारी प्रत्याप पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक सेवा नहीं दीदिया, मरम्भण, प्रूल, नदी, रेत लाईन, अस्पताल, क्षेत्र, एनीवर्ट वा ऐसे एवं जल अनुकूल आदि प्रतिक्रिया क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – यह कालालीय भूमि है। सीज पूर्व में भी डिमेन्ट कामार लाटू के नाम पर थी। लीज की 10 वर्ग अक्टूबर दिनांक 01/03/2006 से 29/02/2016 तक की घट्टिया हेतु दी गई थी। लीज का हस्तांतरण दिनांक 20/06/2011 तो भी महेन्द्र कामार लाटू के नाम पर किया गया। उत्पत्त्यात् लीज की 20 वर्ग अक्टूबर दिनांक 01/03/2016 से 29/02/2036 तक की घट्टिया हेतु डिमार्टिल की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की द्वितीय प्रक्षेत्र की गई है।
8. वन विभाग का अनापस्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनप्रबन्धकालीनारी, राजनाम वनप्रबन्धक, जिला-महासंग्रह के इकान क्रमांक/मा.पि./खालि/238414 महासंग्रह, दिनांक 03/01/2005 से जारी अनापस्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन लोअर की सीमा ही 10 किमी की दूरी पर है।
9. नहत्यपूर्ण सरबनालों की दूरी – निकटतम आवासी राम-पीड़ारी 560 मीटर, रायुल याम-पीड़ारी 1.65 किमी एवं अन्यान्य राहत्यान्य लोअल केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दीक्षित डिट्रिक्टली लोन्गुटेंड एरिया, वारिसिवितीकीय संवेदनशील क्षेत्र या वीक्षित जीवविविधता क्षेत्र किया नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. पारिसिवितीकीय/वीक्षिविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रकल्पक का द्वारा 10 किमी की परिधि में अंतर्वर्तीय लीज, राष्ट्रीय खदान, अपावरण, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दीक्षित डिट्रिक्टली लोन्गुटेंड एरिया, वारिसिवितीकीय संवेदनशील क्षेत्र या वीक्षित जीवविविधता क्षेत्र किया नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. छनन संचया एवं छनन का विवरण – जियोलोजिकल रिजर्व 37,780 घनमीटर, न्यूनेशन रिजर्व 14,742 घनमीटर एवं रिकालेशन रिजर्व 11,056 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर लोकी लीज पट्टी (उत्पन्न की लिए प्रतिवेदित क्षेत्र) का शेषफल 2.184 घनमीटर है। लोक्ल कारट गैन्युल रिजर्व से उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न की अधिकतम रहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में तथा मिट्टी की गोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल वाता 1,139.5 घनमीटर है। बेंध की काश्याई 1.5 मीटर एवं गोटाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। सीज लोअर में छातार स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया

गया है। ब्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का फिल्टर कार्पोरेशन किया जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उत्थनन का विवरण निम्ननुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्थनन (मनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्थनन (मनमीटर)
प्रथम	850.5	चौथम	1,362
द्वितीय	952.5	सातम	1,446
तृतीय	1,063.5	आठम	1,497
चौथा	1,216.5	नवम	1,566
पंचम	1,290	दशम	1,575

12. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु उत्कल्पक जल की मात्रा 3.49 मनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति प्राच धन्दायता द्वारा टैकर एवं बोर्डेल के गतियम से हो जाती है। इस बाबत प्राच पंचायत का उन्नापनित प्रमाण एवं सेन्ट्रल ग्राहण बीटर अधीक्षिती से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 436 नए वृक्षारोपण किया जाएगा। कर्तव्यान में 116 नए वृक्षारोपण किया गया है।
14. खदान की 7.5 मीटर की छोड़ी सीमा पट्टी में उत्थनन — लीज क्षेत्र की जारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,184 मनमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 569 पर्वमीटर क्षेत्र 8.5 मीटर और 186 बांगमीटर बीच 6.5 मीटर की गहराई तक उत्थनित है। जिसका उत्थनित अनुमोदित नायकिंग प्लान में किया गया है। प्रतिवर्ष 7.5 मीटर छोड़ी सीमा पट्टी में उत्थनन किया जाना पर्यावरणीय बीड़ियों की जाति का उत्थनण है। अतः परियोजना प्रस्तावक के प्रस्तुत नियमानुसार उत्कल्पक उत्थनक उपयोगीता किया जाना आवश्यक है।
15. उत्थनिकीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन कोल गांडीनगर प्रीकोन्ट्रक्टर हेतु मानक पर्यावरणीय जारी करी गई है। गांडीनगर VIII (ii) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उत्थन मानक जारी की अनुसार मानक लीज क्षेत्र की ओर 7.5 मीटर छोड़ी सेवनी जीन में वृक्षारोपण किया जाना उत्कल्पक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दीर्घाव वरियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि इम-प्लानी, बरबसपुर एवं मुहेना, लाहौरी व जिला-मालासमुंद क्षेत्र में 45 पल्लवर खदाने, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवैधित है। प्राच-छोड़ी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिसके राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्थन दिशा में इम-बरबसपुर एवं छोड़ी क्षेत्र में 70 खदाने, क्षेत्रफल 4060 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्थन दिशा में इम-छोड़ी एवं मुहेना क्षेत्र में 25 खदाने, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवैधित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य जी दूसी 660 मीटर है। यूकि इंआईए स्टडी के दीर्घाव दोनों क्षेत्रों का बफर जीन एक-दूसरे में ऑफ्स लेप ही रहा है।

अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल ३८ पर्याय खदानों की एक जलस्टर मानसे हुये काईवल्य हैआईए. स्पेटर शब्द का इने हेतु अनुशोध हिला गया। तभिरि द्वारा निर्देशित हिला गया कि दोनों जलस्टरों से १०-१० किमी के दूर को ईआईए. बॉनिटिंग के लिए सुपर्योग हिला जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकारण की दीक्षान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जलस्टर में अने यारी उच्च खदानों के सिए बैलासाईन डाटा कर्मसूलम तरह यहाँ दिनांक 01 / 10 / 2021 से प्राप्त हिला गया। तबका तो संबंध में दिनांक 28 / 09 / 2021 को सूचना दी गई थी।

18. बानानीय एन जी ई. डिसेप्ट बैच, नई दिल्ली द्वारा सल्टेंट पार्किंग विकल्प माना राजस्व, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एसिस्टेंसन नं. 106 डीए 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13 / 09 / 2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित हिला गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

तभिरि द्वारा विवार किए उपरोक्त वार्तालालित से निम्नानुसार निर्णय हिला गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (अग्रिम तारीख), विला-वाहानांगुद के द्वापन अनांक 224 / क / खलि / नक्का / 2021 महासंग्रह दिनांक 10 / 02 / 2022 अनुसार अधिकृत खदान से ६०० मीटर के भीतर अधिकृत ५५ खदानों की ओफल ४००२ हेक्टेयर है। अधिकृत खदान (याम-पीडारी) का रकमा ८.५८ हेक्टेयर है। इस प्रकार अधिकृत खदान (याम-पीडारी) को विलाकर कुल रकमा ४०.६ हेक्टेयर है। खदान की सीमा से ६०० मीटर की परिमि ने रक्षीकृत/संरक्षित खदानों का कुल कोषकल ५ हेक्टेयर से अधिक का जलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान छोटी भी नहीं गयी।
- वार्तान लीज लोअर के यारी और ७.५ मीटर छोटे सेप्टी जौन के बुरु भाग में जिसे यह उत्तरान की कारण इस लोअर के उपरांती उपायी (Remedial Measures) के संबंध में लोअर लीज लोअर के अंदर माईनिंग हिलावलालों के कारण उत्तरान उद्भव नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायी पक्ष उत्तरालालक अटल के जिसे अनुकूल उपायी को वित्तानिक जाने वाले संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनीकर्म, इंडास्ट्री अडल, या रायपुर अटल नगर विला - रायपुर (उत्तीर्णगढ़) को लेख किया जाए।
- प्रतिकृषित ७.५ मीटर छोटी सीमा पहाड़ी में अधिक उत्तरान विला जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विकल्प निम्नानुसार आवश्यक उत्तरान का कारंवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनीकर्म वर्ग एवं पर्यावरण की अधिकृत यांत्रिकीय हेतु उत्तरालालक पर्यावरण संचालन मंडल, या रायपुर अटल नगर की आवश्यक कारंवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
- पूर्ण जारी पर्यावरणीय सीमीकृति वर्ग पालन प्रतिकेवन के संबंध में एकीकृत छोटीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर की पक्ष लेख किया जाए।

5. राजभूमि प्राची विधार विधान उपराज संस्थानकी से प्रकरण कोर्ट कोटवारी का होने वाले वाराण मारत सरकार, पर्यावरण एवं और जलवाय विभागीय बोर्डलय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टॉकड टम्स ऑफ रिफरेंस (टीएसआर) एवं इंजीनियर /इंजीन वी रिफरेंस कोर्ट प्रोटोकॉल/एक्टिविटीज रिफरावरिंग इन्वायरमेंट वलीवॉल्स अम्भर इंडिया नोटिफिकेशन, 2006 में अधिकार केन्द्री 1(ए) का छठपक्की टीएसआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे कोल वालिंग प्रोटोकॉल हेतु निम्न अंतिरिक्ष चाहती है जारी रखी गई—

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from mining department.
- iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
- v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate

the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

- xiv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्रारंभिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रारंभिकरण की दिनांक 19/10/2022 को सम्पन्न 131वीं बैठक में विचार वित्त नगा। प्रारंभिकरण द्वारा नसी का अवलोकन किया गया। प्रारंभिकरण द्वारा विचार विभार्ता उपरोक्त नाविसामनि से समिति की अनुसंधान की स्थीकार यात्रा हेतु उपरोक्तानुसार दम्भ लौह रेखान्या (टी.ओ.आर.) (लौह सुनवाई नहिं) विभान्न अवैतिक सती के अद्वीन जारी घरने का नियम लिया गया।

- i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- ii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.

साथ ही यह भी नियम लिया गया कि—

- (i) गाइन लीज होम के बाहरी ओर 7.5 मीटर लौह सेपटी जीन के कुछ भाग में किये गये उत्तरानन के कारण इस होम के उपर्यादी उपायी (Remedial Measures) की संख्या में तथा लीज होम के लाइन नार्डिंग फिल्हाकलायी के कारण उत्तरानन प्रदूषण नियन्त्रण हेतु अवश्यक उपायी यथा घुआरोपण आदि से लिये जानुरी उपायों वाले संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खानिकर्म, इंद्राणी भवन, यथा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (खलीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।
- (ii) प्रतिवर्ष 7.5 मीटर लौही सीमा पट्टी में अवैत उत्तरानन किया जाना पाये जाने पर विशेषज्ञ प्रशासक के विशेष नियमानुसार आवश्यक दण्डामक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खानिकर्म को पत्र लेख किया जाए।
- (iii) माइन लीज होम के बाही और 7.5 मीटर लौह सेपटी जीन के कुछ भाग में किये गये उत्तरानन के कारण पर्यावरण को शहि अद्वाने हेतु छलीसगढ़

पर्यावरण संशोधन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर को आवायक कार्रवाही किये जाने हेतु पत्र सेवा किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबोधन एकीकृत होनीद कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, उन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से नियायी जाने हेतु पत्र सेवा किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सहाते हन्स औफ ऐफोन्स (टी.ओ.आर) (लैक शन्याई इंडिया) जारी किया जाए। साथ ही प्रांगणक, संचालनालय, समिति तथा समिकाम, इकाई भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखाय न्यूल, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत होनीद कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, उन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र सेवा किया जाए।

18. नेपासी लाईग फटोन (फ्लैग फटोन) कंपनी (प्रो.— श्री आलाचान बन्दाकर), पाम—बरवसायुर, राहसील व जिला—महासमुद्र (संविवालय का नमूना इनाम 2632)

ओपलाईन लाईन — प्रधान नमूने— एसआईए/ सीली / एप्लाईएन / 89031 / 2021, दिनांक 19/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से सम्बलित कर्ती पत्तर (गोप समिति) खादान है। खादान ग्राम—बरवसायुर, राहसील व जिला—महासमुद्र जिला राहसील इनामक 210, कुल क्षेत्रफल—0.41 हेक्टेयर में है। खादान की आवेदित जलवायन इनाम—1,062.75 हन (425.1 एकड़ीहर) प्रतिवर्ष है।

दायरेवार परियोजना प्रस्तावक जो एसआईए की प्रस्तुतीकरण के आपन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु दूषित किया गया।

वैतक का विवरण —

(अ) समिति की 423की वैतक दिनांक 08/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री झलायाम बन्दाकर, प्रोप्रोटाइटर उपसिंचल हुए। समिति द्वारा नहीं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर जिम्म लिखते जाएं गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संकेती किया गया—

1. पूर्व में कर्ती पत्तर खादान राहसील इनामक 210, कुल क्षेत्रफल — 0.41 हेक्टेयर इनाम— 425.1 इनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला कर्तीप पर्यावरण राज्याधार मिशनप्रायोगिकरण, जिला—महासमुद्र दिनांक 16/02/2017 की जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 14/02/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया हि भारत सरकार, पर्यावरण, उन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहीं दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16/01/2021 अनुसार—

"*SA. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control,*

However, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिकाराना की अनुसार पर्यावरणीय स्थीरता की विषय जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2023 तक वैध होगी।

- i. परियोजना प्रस्तावक हासा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता के रूप में पालन में की गई वार्षिकी की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक हासा एकीकृत संचालन कार्यालय पर्यावरण द्वारा उत्तराखण्ड परिवर्तन संचालन, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- ii. प्रियोरिटी लस्टानुसार 82 नम् वृक्षारोपण किया गया है।
- iii. कार्यालय कलेक्टर (खानिज शाखा), ज़िला—महासमुद्र हासा जारी दिनांक 23/06/2021 अनुसार विभाग वर्षी में लिये गये उत्तराखण्ड की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	सत्यादन (टन)
2017	630
2018	445
2019	908
2020	186

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से अद्यतन विधति तक किये गये उत्तराखण्ड की जानकारी खानिज विभाग से प्राप्तिक्रिया कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. शाम पंचायत का अनावरित प्रभाग पत्र — उत्तराखण्ड की सरकार ने शाम पंचायत वर्करामुर का दिनांक 12/02/2022 का अनावरित प्रभाग पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. सरकार खोजना — जारी लान एलीग किये जारी कलोडर पत्र का इन्हायरीमेंट ऐक्सेलरेट लान प्रस्तुत किया गया है, जो खानिज अधिकारी, ज़िला—महासमुद्र के लापन दिनांक 1816/क/खलि/नक./2016 महासमुद्र, दिनांक 08/09/2016 हासा अनुगोदित है।
4. 500 बीटर की परियोजना विषय सुदान — कार्यालय कलेक्टर (खानिज शाखा), ज़िला—महासमुद्र के लापन दिनांक 234/क/खलि/नक./2021 महासमुद्र, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवंटित सुदान से 500 बीटर के बीलर अवधिकार नहीं छादाने, दीप्तपत्र 40.19 हेक्टेयर है।
5. 200 बीटर की परियोजना विषय सार्वजनिक सेवा/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खानिज शाखा), ज़िला—महासमुद्र के लापन दिनांक 1244/क/खलि/नक./2021 महासमुद्र, दिनांक 23/08/2021 हासा जारी प्रभाग पत्र अनुसार उक्त सुदान से 200 बीटर की परियोजना विषय सेवा/संरचनाएँ नहीं दीप्तपत्र, मस्तिष्ठ, गरधट, पुल, गढ़ी, रेस लाईन, अस्पाताल, स्कूल, एमीकट बोर्ड एवं जल उपकृति आदि प्रतिबंधित सेवा नहीं हैं।
6. भूमि एवं लौज का विवरण — भूमि एवं लौज की जाताराम चन्द्राकर के नाम पर है। लौज बीड 10 वर्षीय अवधीन दिनांक 22/06/2000 से 21/06/2010

तक की अवधि हेतु पैमाने की। उत्पत्तिकारी सीज और 20 वर्षों अवधि दिनांक 22/06/2010 से 21/06/2030 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. डिस्ट्रीक्ट रपट रिपोर्ट – इन 2019 की डिस्ट्रीक्ट रपट रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी घास-बखलातुर 850 मीटर, स्थान घास-बखलातुर 1.1 किमी, एवं अस्पताल महाराष्ट्र 9.1 किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 किमी, एवं राजमार्ग 16.35 किमी दूर है। गालम 700 मीटर, मौसमी नाला 330 मीटर, नदी 940 मीटर एवं बहलादी 260 मीटर दूर है।
9. पारिविविधतिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभद्रहरण, कीन्हीय छहूऱण विशेषज्ञ कोडी द्वारा प्रतिक्रिया प्राप्ति किटिकली पौल्युटेक परिया, पारिविविधतिकीय संवेदनशील क्षेत्र या प्राप्ति जीवविविधता क्षेत्र सिभा नहीं होना प्रतिपेदित किया है।
10. स्थान संपदा एवं स्थान का विवरण – जियोलोगिकल रिजर्व 26,530 घनमीटर, माइक्रोफ्ल रिजर्व 6,705 घनमीटर एवं रिवाक्सेक्ल रिजर्व 5,029 घनमीटर है। सीज की 7.5 मीटर ऊँची सीमा पट्टी (उत्थानन के लिए प्रतिक्रिया क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,196.2 वर्गमीटर है। झोपन कास्ट ग्रन्युलस खिंचि से उत्थानन किया जाता है। उत्थानन की प्रसाधित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। सीज क्षेत्र में कृषी खिंटी की गोटाई 2 मीटर है तथा कुल काजा 2,704 घनमीटर है। बेच की गोटाई 1.5 मीटर एवं गोटाई 1.5 मीटर है। खदान की संवर्धित ऊँचा 10 वर्ष है। सीज क्षेत्र में क्रांति रखाई नहीं है तथा इसकी रखावना या प्रस्तुत नहीं किया गया है। फ्लिंग एवं ब्रासिटिंग नहीं किया जाता है। स्टीम फट्ट या उच्चारण किया जाता है। खदान में बाढ़ प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिक्काव लिया जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उत्थानन का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम	प्रस्तावित उत्थानन (घनमीटर)	क्रम	प्रस्तावित उत्थानन (घनमीटर)
प्रथम	320.1	पछ्तम	432.6
द्वितीय	342.3	सातम	434.7
तृतीय	375	अष्टम	438
चौथी	412.5	नवम	440.4
पंचम	425.1	दशम	442.5

11. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर डिलिन्ड होती है। जल की आपूर्ति घास पंचायत द्वारा टैक्स एवं बोरवेल के नामान से की जाती है। इस साल घास पंचायत या अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल आपूर्ति बोर्ड आपूर्ति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

12. मूलारोपण कार्य – सीज क्षेत्र की सीमा में खाली और 7.5 मीटर की पट्टी में 438 नग मूलारोपण किया जाएगा। कर्मान में 82 नग मूलारोपण किया गया है।

13. खदान की 7.5 मीटर की ऊँची सीमा पट्टी में उत्थानन – सीज क्षेत्र के खाली और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,196.2 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 196.6 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्थानित है, जिसका उल्लेख नाहिंग पत्रान में किया गया है। प्रतिवर्ष 7.5 मीटर ऊँची सीमा पट्टी

में उत्तराधिकार किया जाना पर्यावरणीय सीमूलि की शर्ती का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक की विलम्ब निम्नानुसार आवश्यक दण्डनामक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

14. उत्तराधिकारीय है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहीं दिल्ली द्वारा भीन कोल माइनिंग प्रोटोकॉल केरु मानक पर्यावरणीय शर्ती जारी की गई है। शर्त अनुसार वन (i) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार नदीन लीज लैंड के अंदर 7.5 मीटर दौड़े सेपटी जौन में दृष्टान्तीय किया जाना आवश्यक है।

15. प्रस्तुतीधारण के दीर्घान चरियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम-पोखारी, बरबसपुर एवं मुठेना, लहरील व जिला-महासचुंद लैंड में 95 पल्लवर खाड़ाने, कुल शेषफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम-पोखारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम-बरबसपुर एवं पोखारी लैंड में 70 खाड़ाने, शेषफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में डाम-पोखारी एवं मुठेना लैंड में 25 खाड़ाने, शेषफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित हैं। दोनों लैंडों के मध्य की दूरी 880 मीटर है। युक्ति ईआईए स्टडी के दीर्घान दोनों लैंडों का बहुत जौन एक-दूसरे से अलग लैंड हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पल्लवर खाड़ानों को एक बलस्टर मन्त्री द्वारा फाईनल ईआईए रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों बलस्टरों से 10-10 किमी. की दूरी को ईआईए नीमिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीधारण के दीर्घान चरियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बलस्टर में आने वाली अन्य खाड़ानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के माध्यम से दिनांक 28/09/2021 की शुरूआत ही गई थी।

17. माननीय एनजीटी, नियमित बैठक, शर्त दिल्ली द्वारा सत्येत् पार्ट्हेन विलम्ब भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहीं दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल एडिक्शन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अग्न्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किया जावार तर्फाने शर्तान्वयिति से निम्नानुसार निर्देशित किया गया—

- कार्बोलिंग कलेक्टर (खनिज लाभ)। जिला-स्तर समृद्धि के प्राप्ति अनुमान 224 / क / खंड / नं. ३ / २०२१ महासन्तु दिनांक १०/०२/२०२२ अनुसार आवेदित खदान से ६०० मीटर के भीतर अवैधित ५८ खदानों संबंधित ४०.१९ हेक्टेयर है। आवेदित खदान (याम-बरबसामुर) का रक्षा ०.४१ हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (याम-बरबसामुर) को मिलाकर कुल रक्षा ४०.६ हेक्टेयर है। खदान की सीधा से ६०० मीटर की परिधि से स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल संबंधित ८ हेक्टेयर से अधिक का कलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गई।
- भार्डन लीज लोअर के घासी और ७.५ मीटर लीडे सेपटी जीव के बूँद भूग में किये गये उत्तरानन के कारण इस लोअर के उपचारी उपचारी (Remedial Measure) के संबंध में तथा लीज लोअर के अंदर भर्डीमिंग विधाकालापी के बहरन उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यह वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को विधानित करने वाले संघात संघालक, संघालनालय, भौमिकी तथा स्थानिकम्, हावाही भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेक किया जाए।
- प्रतिबन्धित ७.५ मीटर लीडी सीधा पट्टी में अवैध उत्तरानन किया जाना पावे जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियामान्वासार आवश्यक दण्डालक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, भौमिकी तथा स्थानिकम् वो एवं पर्यावरण की सति पहुँचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संश्लण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर की आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेक किया जाए।
- दूर्व में जासी पर्यावरणीय स्थीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत लोकीय कार्बोलिंग पर्यावरण, एवं एवं जालवादु परिवहन संघालक, सारत सरकार, रायपुर की पत्र लेक किया जाए।
- स्थानिक द्वारा विचार विभी उपर्युक्त सर्वसम्मति से प्रकारण 'बी' के टेक्स्ट का होने के द्वारा सारत सरकार, पर्यावरण, एवं और जलवायु परिवहन संघालय द्वारा अटेल, २०१५ में प्रकाशित स्टैचक्ट टम्स ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) और इआईए/ईएपी. रिचोर्ट फौर प्रोजेक्ट्स/एसटीडिटीज रिक्वारीरिंग इन्कायरेंट कमिटीपरेस अप्रूव इआईए नोटिफिकेशन, २००६ में विभिन्न श्रेणी १(ए) का टैक्स्ट टीओआर (लोक रुग्णवाई सहित) नीन कोल भार्डीमिंग जोड़ेकर्ट हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के सभ जासी किये जाने की अनुशंसा भी गढ़:-

 - Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from mining department.
 - Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
 - Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
 - Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

- vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the copy of panchama and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की बिन्दुक 19 / 10 / 2022 को संवन्ध 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती तथा अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विषयी उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा की जीवनार करते हुए उपरोक्तानुसार इस बैठक ऐफॉरम (टी.ओ.आर.) (सांकेतिक सुनवाई समिति) निम्न अंतिक्षित रार्टी के अलीन जारी करने का निर्णय लिया गया।

- I. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5-meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- II. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है:-

- (1) (i) माईन लीज क्षेत्र के बाहर और 7.5 मीटर भीड़ सेफ्टी जीन के कुछ भाग में हिस्से वाले उत्तरान के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में उत्ता लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग डिपार्कमेंट के बाहर उत्पन्न प्रदूषण लियोन्ज ऐनु आवश्यक उपायों वाला दूसारीपक्ष आदि के लिये समर्पित उपायों काला संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा स्थानिक, इंद्राचारी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (अलीसगढ़) को पत्र लिख किया गया।
 - (ii) प्रतिशतिल 7.5 मीटर भीड़ सीमा पट्टी में अवैध उत्तरान किया जाना याए जाने पर परियोजना प्रकाशक के विस्तृत नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा स्थानिक को पत्र लेखा दिया गया।
 - (iii) माईन लीज क्षेत्र के बाहर और 7.5 मीटर भीड़ सेफ्टी जीन के कुछ भाग में हिस्से वाले उत्तरान के कारण परावर्तन को अति चहूंचाने हेतु छलीसगढ़ पर्यावरण बोर्ड गंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेखा किया गया।
 - (2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीचूली का वासन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, नवा और जलवायु परिवर्तन बोर्ड, नवा रायपुर अटल नगर से मनाये जाने हेतु पत्र लेखा किया गया।
- परियोजना प्रकाशक को उत्तरी टमों ऑफ रेलरेला (टी.ओ.आर.) (लोक सूनवाई सहित) जिया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा इंद्राचारी भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं सुलीसगढ़ पर्यावरण संस्कार बोर्ड, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, नवा और जलवायु परिवर्तन बोर्ड, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेखा किया गया।

17. वैकासी वय बद्धार्थ औद्योगिक खादान कामवार सहकारी समिति (प्रो.- श्री मण्डानी राम निशाद (आम्बा), लाईन स्टोर (जलेवी) कामी), डाम-गिराव, राहतील-आर्य, जिला-रायपुर (साधिवालय का नस्ती ब्रम्मांक 2033) आनंदलाई आवेदन – प्रधानमन्त्री नगर – एमआईए/ सीजी/ एमआईए/ 77109 / 2022, दिनांक 20 / 05 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित कर्ती पत्रक (गैरिग रामित) द्वारा है। द्वारा ग्राम-निवासी, लहसील-आरेंग, जिला-तायपुर विभाग पार्ट और सक्षमता क्रमांक 1344 एवं 1345, बूज सोबकल-0.006 हेक्टेयर (1.4 एकड़) में है। यद्यपि यह कानून की आवश्यित उत्थनन शामता- 1,123.2 घनमीटर (2,808 टन) प्रतिवर्ष है।

तायानुसार परियोजना प्रस्तावक को एमडीएसी उत्तीर्णगत के लापन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) रामिति की 423वीं बैठक दिनांक 08/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी सतीत चान्दाकर अधिकृत प्रतिविधि उपस्थित हुए। रामिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का जावाहोकरन एवं परोक्षण जरने पर निम्न लिखित चाहूं गई।

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- I. पूर्व में कर्ती पत्रक द्वारा द्वारा क्रमांक 1344 एवं 1345, बूज सोबकल - 1.4 एकड़, क्षमता - 2,808 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सतीत पर्यावरण समाधार निर्देशन प्राप्तिकरण, जिला-तायपुर द्वारा दिनांक 15/11/2017 की जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु ऐस है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन नियालय, नहीं दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार—

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/11/2023 तक की होगी।

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के बारी के जलवायु में की गई अवर्यावाही को जानकारी प्रस्तुत की गई है। रामिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत होशीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन नियालय, भारत सरकार, तायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का भास्तु प्रतिवेदन प्राप्त बन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- III. नियालित जलानुसार 250 नम दूसानेपाल किया गया है।
- IV. कार्यालय कर्तीकरण (खगि जाता), जिला-तायपुर के लापन क्रमांक/क्र./न्र. फि./टीन-६/2022/८२४ तायपुर, दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विभाग वर्षी में किये गये उत्थनन की जानकारी जिम्मेदार है।

वर्ष	उत्थनन (घनमीटर)
2017	207

2018	969
2019	460
2020	775
2021	585

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2022 से अद्यान निम्नी ताक लिये गये उत्तरानन की जानकारी खण्डित निम्न वर्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. यास बंगाल का अनापलित प्रमाण यज्ञ – उत्तरानन की संख्या में यास पंथायत निम्नदा का दिनांक 03/10/2013 का अनापलित प्रमाण यज्ञ प्रस्तुत किया गया है।
3. चरक्षनन गौजना – कहाँ एवं एलोन विष कारी बहीजर चान विष इन्हायरीट निम्नदा का दिनांक 03/10/2013 का अनापलित प्रमाण यज्ञ प्रस्तुत किया गया है।
4. 500 मीटर की परिधि में विभिन्न खदान – कार्यालय कलेक्टर (खण्डित जाता) जिला रायपुर के ज्ञापन नमांक 1922/ख.लि./टीन-८/2022 रायपुर, दिनांक 08/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर जलविधि 14 खदानों, शेषकल 11.76 हेक्टेकर है।
5. 200 मीटर की परिधि में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खण्डित जाता) जिला रायपुर के ज्ञापन नमांक 1922/ख.लि./टीन-८/2022 रायपुर, दिनांक 08/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र नहीं भवित, सरिजन, बरछट, पुल, नदी, ऐल लाईन, असप्लाई, रस्ता, एवं जलसापूर्ति जादि प्रतिविधित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं हैं।
6. चूमि एवं लीज का विवरण – यह जाताकीव भूमि है। लीज जय बरहंग और्योपिक खदान कमनार सहकारी समिति, लायस की भगवानी राम निवाद के नाम पर है। लीज कोड 15 वर्षी अर्थात् दिनांक 16/08/1997 से 16/08/2012 तक की ऊर्ध्वि हेतु वैध थी। तापश्चात् लीज कोड 15 वर्षी अर्थात् दिनांक 16/08/2012 से 16/08/2027 तक की ऊर्ध्वि हेतु विस्तारित नहीं है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. बहुत्यपूर्ण संरचनाओं की दृष्टि – निकराम आवादी ग्राम-निम्नदा 1.3 कि.मी. एवं रस्तूल राम-निम्नदा 1.3 कि.मी. की दृष्टि पर लिखा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है। बहर 470 मीटर एवं महानदी 170 मीटर की दृष्टि पर लिखा है।
9. पारिंस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परिवोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अलंकृतीय शीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अवयानम्, केंद्रीय प्रदक्षिण निकंत्ये और द्वारा पोषित निकटवर्ती पौधावृक्षों एवं एरिया, पारिंस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र लिखा नहीं होना दर्शियेदित किया गया है।

10. खानन संघर्षा एवं खानन का विवरण - लियोलीजिकल रिपर्ट 96,097 टन नाईनेशल रिपर्ट 36,453 टन एवं निकलनेशल रिपर्ट 27,430 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्तरानन के लिए ब्रॉडपर्सन लीज) का क्षेत्रफल 2,458 वर्गमीटर है। ओपन कार्ल निमुखल लियो ऐसे उत्तरानन किया जाता है। उत्तरानन की प्रस्तावित क्षितिजताप वहाराई 12 मीटर है। लीज लीज में ऊपरी निटटी की भौमाई 3 मीटर है। देव की कोषाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की समाप्ति आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज लीज में उत्तर खदान नहीं है एवं इसकी उत्तरायन का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टीन ब्लैट का उपयोग किया जाता है। खदान में यानु प्रदूषण नियंत्रण हेतु यान का छिक्काय दिया जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उत्तरानन का विवरण निम्ननुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्तरानन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्तरानन (टन)
प्रथम	2,775	बाह्यम	2,880
द्वितीय	2,797.5	सप्तम	2,891.25
तृतीय	2,801.35	अष्टम	2,913.75
चौथा	2,816.25	नवम	2,936.25
पंचम	2,853.75	दशम	2,951.25

11. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु जलवायक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति यान पर्याप्त हारा टैक्स एवं बोरवेल के नियन से ही जाती है। इस बाबत यान पर्याप्त का अनापरित दूसरा पार एवं सेन्ट्रल राइफल बीटर अवॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

12. कृषाणीपण कार्य - लीज लीज की सीमा में यारी ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 300 नग कृषाणीपण किया जाएगा।

13. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तरानन - लीज लीज की यारी ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,458 वर्गमीटर लीज है, जिसमें से 723 वर्गमीटर लीज 7.5 मीटर की वहाराई का उत्तरानन है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईरिंग प्लान में किया गया है। प्रतिवर्ष 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तरानन किया जाना पर्यावरणीय स्थैनिकति की शर्ती का उत्तरानन है। अतः परियोजना प्रस्तावक की विकल्प नियमानुसार जलवायक दण्डालक कार्यकृति किया जाना आवश्यक है।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण का एवं जलवायु परिवर्तन अभावमें नहीं दिसती हारा नीन कोल माईरिंग ब्रॉडपर्सन हेतु यानक पर्यावरणीय शर्ती जारी की गई है। उत्तर दण्डालक व्यापक के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उबत यानक शर्ती के अनुसार बाईन लीज लीज के अंदर 7.5 मीटर चौड़ी सेपटी जोन में कृषाणीपण किया जाना आवश्यक है।

20. मानवीय रूप की टी. प्रिसेपल बैष, नई दिल्ली द्वारा सार्वजनिक पार्किंग विकल्प नाम सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी, नई दिल्ली एवं जन्म (आंतरिक) लूटिलकोशन नं. 186 और 2016 द्वारा जन्म) में दिनांक 13/09/2016 की पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट दिया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विभार विभावी उपरान्त सर्वेताम्भि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलीबटर (खनिज राज्य) जिला रायपुर के ज़ालन इनांक 1822/ख.सि./लौज-६/2022 रायपुर, दिनांक 08/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानों की संख्या 11.76 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (याम-नियावादी) का रक्का 0.566 हेक्टेयर है। इस ज़ालन आवेदित खदान (याम-नियावादी) को नियाकर कुल रक्का 12.32 हेक्टेयर है। खदान वीं सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल संख्यालय 5 हेक्टेयर से अधिक वा कलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' सेग्मेंट की मानी गयी।
- गाईन लीज लैंड के घारों ओर 7.5 मीटर छोड़े रोपटी ऊन के कुछ भाग में किये गये उत्तरान के कारण इस लैंड के उपरानी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज लैंड के अंदर नार्टिंग क्रियाकलायी के कारण उत्तरान प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों का कुल क्षमता व्यवस्था आदि के सिये समुद्धित उपायों की क्रियान्वित करने वाले संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा लैनिकर्म, इंद्राजीत भाल, नवा रायपुर अटल नवार, जिला - रायपुर (खलीसगढ़) को लेख लिया गया।
- प्रतिबंधित 7.5 मीटर छोड़ी सीमा पट्टी में अधिक उत्तरान लिया जाना चाहे जाने पर एवियोजना प्रस्तावक के विकल्प नियमानुसार आवश्यक दम्भालक कार्यकारी क्रिये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा लैनिकर्म को एवं परावरण की वाहि चहुंचाने हेतु खलीसगढ़ पर्यावरण संचालन गंडल, नवा रायपुर अटल नवार की आवश्यक कारबाही क्रिये जाने हेतु लेख लिया जाए।
- पूर्व में जारी वर्धावरणीय स्थीकृत वा ज़ालन प्रतिवेदन के संबंध में एविहत क्लीवील कार्यालय परावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संचालन, भारत राजकार, रायपुर की पत्र लेख किया जाए।
- समिति द्वारा विभार विभावी उपरान्त सर्वेताम्भि से प्रकाश 'बी' कोटेजी का होने के कारण भारत राजकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संचालन द्वारा जॉइन, 2015 में प्रकाशित हॉटेलर्स टर्म्स और रिफोर्म (टीओआर) फॉर है.आई.ए./ई.एम.पी. रिफोर्म कोर प्रोजेक्टस/एकटीविटीज रिफोर्मरिंग इन्वेस्टमेंट क्लीवील अध्यक्ष है.आई.ए. नोटिपिकेशन, 2006 में जारीत थेनी 1(ए) का रहिनर्व टीओआर (सोल चुनवाई सहित) नीन कोल ग्रामिण प्रोजेक्टस हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के सभा जारी किये जाने की कनुकस्त की गई:-

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iv. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2022 to till date from mining department.
- v. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchamsa and photographs of every monitoring station.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance

cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

- vii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्रायिकरण द्वारा बैठक में विचार – एमरीका प्रकरण पर प्रायिकरण की दिनांक 10 / 10 / 2022 की संवन्ध 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्रायिकरण द्वारा नवीनी का अवलोकन किया गया। प्रायिकरण द्वारा विचार किया जाने वाली तथा समिति की अनुशस्ता को स्वीकार करते हुए एमरीकान्यूसार टम्स औफ रेप्रेन्ट्स (टी.ओ.आर.) (लोक गुनवाई राफित) विभा उत्तिरिका जली के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया।

- i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- ii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintenance of seasonal nallah & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.
- iii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है:-

- (i) माईन लैज लोअर के बारी और 7.5 मीटर छोड़ सेफटी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्तराधार के कारण इस लैज लोअर के उपर्यादी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में इस लैज लोअर के अंदर अवृत्तिगत कियाजलसायों के कारण उत्तराधार प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक सामायी यथा घृतारोपण आदि को किये समुचित उपायों का संगत संचालक, संचालनालय, औरिगिनी तथा खनिकर्म इंद्राजली भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छल्लीसगढ़) को पत्र लिया जाए।
- (ii) प्रतिशेषित 7.5 मीटर घोड़ी लैज पट्टी में अवृद्ध उत्तराधार किया जाना पाये जाने पर परिवोजना प्रस्तावक के विस्तृत नियन्त्रणन्यूसार आवश्यक दण्डालय का कार्यालयी किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, औरिगिनी तथा खनिकर्म को पत्र लेखा किया जाए।
- (iii) माईन लैज लोअर के बारी और 7.5 मीटर छोड़ सेफटी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्तराधार के कारण पर्यावरण को अति पहुंचाने हेतु छल्लीसगढ़ पर्यावरण वान्याम संडर्ल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्रवाई किये जाने हेतु पत्र लेखा किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पात्रन प्रतिक्रिया एवंसीकृत होनीची कारबीलय भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परिवोजना प्रस्तावक को सहार्द टम्स ऑफ ऐप्पेलेस (टी.ओ.आर) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संवालक, संवालनालय, भौमिकी तथा लोकेशन, इंशायती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थाय बंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत होनीची कारबीलय भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

18. वेसरी लाईम स्टोर (खलेगी) कारी (प्री.- वी देवानंद साह), गाम-निवादा, तहसील-आरेन, जिला-रायपुर (संविचालय का नस्ती झनाक 2034)

अंतिमाई आवेदन - प्रतीक्षा नगर - एसआईए/ सीटी/ एमआईएन/ 77117 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व में संवालित खली पहाड़ (भीज खणिया) जादान है। जादान गाम-निवादा, तहसील-आरेन, जिला-रायपुर स्थित खस्ता झनाक 1344, कुल लोकपाल-0.809 हेक्टेयर में है। जादान वी आवेदित उत्थान जगता- 1,302 घण्टीहर (3,256 टन) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिवोजना प्रस्तावक को एसईएसी एकीकृतगढ़ की जागम दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) नामिति की 423वीं बैठक दिनांक 08/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु वी देवानंद साह, प्रोपर्टीइंटर उद्दीपिता हुए। नामिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं कठिनाय करने पर निम्न निश्चित वर्ष नहीं-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

i. पूर्व में जारी पहाड़ जादान खस्ता झनाक 1344, कुल लोकपाल - 2 एकड़, जगता - 3,256 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला कारीय पर्यावरण समायात निश्चित अधिकारण, जिला-रायपुर द्वारा दिनांक 15/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक वी अवधि हेतु की गई है।

परिवोजना प्रस्तावक द्वारा जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वर्ड दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"*“A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.”*

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति वी देवा जारी दिनांक से दिनांक 14/11/2023 तक ही होगी।

- i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यूई में जारी पर्यावरणीय स्पीकुल्टि के रातों के प्रलग्न में की गई कार्बोफाई की जानकारी प्रस्तुत की गई है। यामिलि का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत होनीप्रवाह्य पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंडलय, भारत सरकार, रायपुर से यूई में जारी पर्यावरणीय स्पीकुल्टि का प्रलग्न प्रतिवेदन आज कर द्वस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- ii. नियमित शतानुसार कृषानीपण नहीं किया गया है।
- iii. कार्बोलय कलेक्टर (समिति रायपुर), जिला-रायपुर के आपन जनाक/क./खालि/टीन-६/2022 रायपुर, दिनांक ०९/०५/२०२२ द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विवर यहीं में किये थे उल्लेखन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्ररपादन (घनमीटर)
2017	५८
2018	३४६
2019	५७७
2020	३४
2021	२५०

यामिलि का मत है कि दिनांक ०१/०१/२०२२ से अगलन लिखति तक किये गये उल्लेखन की जानकारी समिति लिखान से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उल्लेखन के संकेत में ग्राम पंचायत निसदा का दिनांक २८/०१/२०१४ का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उल्लेखन योजना – जारी प्रलग्न एलोग विष छोड़ी कलोजर प्रलग्न विष हृष्टायरोमेट मैनेजमेंट प्रलग्न प्रस्तुत किया गया है, जो एम संकालक (समिति प्रभाग), जिला-रायपुर के यू. आपन जनाक/खालि/टीन-१५/२००४/३४२२ रायपुर, दिनांक २३/०२/२०१७ द्वारा अनुमोदित है।
- ३०० बीटर की परिधि में रिक्त खदान – कार्बोलय कलेक्टर (समिति रायपुर), जिला-रायपुर के आपन जनाक १८२१/खालि/टीन-६/२०२२ रायपुर, दिनांक ०८/०३/२०२२ अनुसार आवेदित खदान से ३०० बीटर के भीतर जबकि १५ खदानों की जमीन ११३२ हेक्टेयर है।
- २०० बीटर की परिधि में रिक्त सार्वजनिक होम/संरचनाएँ – कार्बोलय कलेक्टर (समिति रायपुर), जिला-रायपुर के आपन जनाक १८२१/खालि/टीन-६/२०२२ रायपुर, दिनांक ०८/०३/२०२२ द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खदान से २०० बीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होम/संरचनाएँ नहीं दिखाई नहीं आयी और प्रतिवेदित होम निर्भित नहीं है।
- भूमि एवं लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है। लीज की देवानंद लाल की नाम पर है। लीज लीड १० वर्गी अर्धीत् दिनांक १७/११/२००४ से १८/११/२०१४ तक की अवधि हेतु कैप थी। लालपरवाल लीज लीड ३० वर्गी अर्धीत् दिनांक १७/११/२००४ से १८/११/२०३४ तक की अवधि हेतु जिलारित की गई है।

7. किस्ट्रीकट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की किस्ट्रीकट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महानवपूर्ण रांचगाड़ों की दूरी – नियात्कल आवादी घाम-निसदा 1 किमी, एवं बहुल घाम-निसदा 1 किमी, की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 830 मीटर दूर है। नहर 300 मीटर एवं बहानडी 300 मीटर की दूरी पर स्थित है।
9. यारिलिखितिकीय/बीविहिपियता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में आंतरिकीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र द्वारा संचित क्लिटिकली पील्युटेड एरिया, यारिलिखितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का संचित बीविहिपियता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
10. अनन चांपदा एवं खानव का विवरण – जियोसॉलिवन रिजर्व 1,11,645 टन, बाईगेवल रिजर्व 35,715 टन एवं निकाहरेवल रिजर्व 28,700 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्कलन के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र) का कुलकल 4,938 बर्गमीटर है। ओवन चार्स्ट मैग्नेशियम सिलिंडर से उत्कलन किया जाता है। उत्कलन की प्रस्तावित अवधिकाल बहुताई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में छपड़ी गिट्टी की घोटाई 3 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संनायित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में छवार रुखानित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया जाया है। ब्रिलिंग एवं बलसिटेंस नहीं किया जाता है। रटोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिक्काय लिया जाता है। कर्वार प्रस्तावित उत्कलन का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम	प्रस्तावित उत्कलन (टन)	क्रम	प्रस्तावित उत्कलन (टन)
प्रथम	3,075	पाँटम	3,562.5
द्वितीय	3,187.5	ताप्तम	3,645
तृतीय	3,262.5	अष्टम	3,750
चतुर्थ	3,337.5	नवम	3,855
पाँचम	3,412.5	दशम	3,975

11. खाल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 लाखमीटर प्रतिवेदित होती है। जल की आपूर्ति घाम बंधायत द्वारा टैकर के बहाने से हो जाती है। इस उत्कल घाम बंधायत का अनापत्ति प्रमाण वज्र प्रस्तुत किया गया है।
12. युवासोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में बाहे ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 300 नया युवासोपण किया जाएगा।
13. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्कलन – लीज टैकर के बाहे ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,938 बर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 1,381 बर्गमीटर क्षेत्र 4.5 मीटर की बहुताई तक उत्कलित है, जिसका उत्कलन अनुमोदित मार्फतिल घान में किया गया है। प्रतिवेदित 7.5 मीटर चौड़ी पट्टी में उत्कलन किया जाया पर्यावरणीय स्थीकृति की जल्दी का उत्कलन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विलम्ब नियमानुसार आवश्यक दण्डालक कार्यकारी किया जाना आवश्यक है।

14. उत्तरोत्तरीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, यह एवं जलवायु परिवर्तन मञ्चालय, नहीं दिल्ली द्वारा नीन फौज सर्कारी प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्त जारी की गई है। इसका VIII(a) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उभा भाग की तीव्र सीधे सीधे अंदर 7.5 मीटर छोड़े लेन्डी जीव में कृषारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. मानीब एच.जी.टी., पिनियल बेंग, नहीं दिल्ली द्वारा सर्वोद पर्यावरण विभाग भारत सरकार, पर्यावरण, यह और जलवायु परिवर्तन मञ्चालय, नहीं दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्रिलेशन नं. 186 ओफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 की पारित आदेश में मुख्य काम से निष्पानुसार निर्देशित किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

पर्यावरण विभाग निष्पानुसार सर्वसामान्य की निष्पानुसार पर्यावरणीय कारबाही—

- कार्यालय कलेक्टर (खानीज शाखा), विला-रायपुर के द्वापन दिनांक 1321 / लि. / टीन-८ / 2022 रायपुर दिनांक 08/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानों की कुल 11.62 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (डाम-पिलादा) का उक्ता 0.809 हेक्टेयर है। इस प्रवाहर आवेदित खदान (डाम-पिलादा) का निलावन कुल उक्ता 12.32 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की पारेंटि में स्वीकृत/संवालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर तो अधिक का कलस्टर निर्मित होने की कारण यह खदान 'छोटी' भेदी की मानी जायी।
- माईन लीज सीमा के लाई और 7.5 मीटर छोड़े लेन्डी जीव में कृषा भाग में किये गये उत्तरोत्तर के कारण इस लीज के उपरानी उपायी (Remedial Measures) की संवेद में तथा लीज कोर के अंदर कर्डिनिंग क्रियाकलापों की काल्पन उत्पन्न इन्हें हेतु आवश्यक उपायों द्वारा कृषारोपण आदि के लिये समुचित उपायों की क्रियाकलाप कराने कावल संवालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्राजली गवन, नवा रायपुर अटल नगर, विला - रायपुर (अंतीक्षणगढ़) को सेवा किया जाए।
- प्रतिशेषित 7.5 मीटर छोड़ी सीमा वट्टी में अवैध उत्तरोत्तर किया जाना यादी जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विकल्प निष्पानुसार आवश्यक उपायकल कार्यवाही किये जाने हेतु इंद्राजल, संवालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को शारी चाहुंचाने हेतु छलीकागढ़ पर्यावरण संवालन मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक करायेगाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी कर्यावाहीय स्टीक्सिटि का पालन इतिहास के संबंध में एकलिकल कंट्रीस कार्यालय कर्यावाही, उन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यपुर को पत्र लेखा दिया जाए।
5. नाथिलि छाता विधार विधाई उपसंहार सर्वसम्मति से प्रकल्प 'बी1' कोटेजरी का होने के कारण भारत सरकार, कर्यावाही, उन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और इ.आई.ए./इ.एम.पी. रिकॉर्ड बी.ए. प्रोजेक्ट/एकटीपिटीज रिफरेंसयरिंग इन्वेष्टिगेट बोर्डरेस अप्लाई इ.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में घोषित थीं।(१) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई भाइल) नीन बोर्ड माईनिंग प्रोजेक्ट/प्रोजेक्ट/प्रोजेक्ट हेतु निम्न अंतिरिक्त टीओआर के सभी खट्टी दिये जाने की अनुमति की गई।
 - i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - iv. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2022 to till date from mining department.
 - v. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
 - vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
 - vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - xi. Project proponent shall submit the copy of panchamsi and photographs of every monitoring station.
 - xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
 - xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
 - xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone,

- calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
 - xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
 - xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रयत्नम् पर प्राधिकरण की दिनांक 19 / 10 / 2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किए रखारांग सर्वसम्मति से समिति की अनुसंधान को स्वीकार करते हुये उपरोक्त नुसार टन्स और रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (सेक्ष कुनवारी रहित) निम्न अनुचित शर्तों के अधीन यारी करने का निर्णय लिया गया—

- i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- ii. Project proponent shall submit a study report regarding the Impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.
- iii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि—

- (1) (i) नदीन तीव्र शोष के यारी और 7.5 मीटर भीड़ शोषकी जीवों के कुछ भाग में लिये वर्षे उत्तरानन की कारण इस शेष के उपचारी उपायों (Remedial Measures) की संबंध में तथा तीव्र शोष के अंतर गार्डिंग कियाकरनापी के कारण प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक एवं उपायों यथा क्षुद्रान्तरण कार्ड के लिये समुचित उपायों वाले संचालक, पर्यावरणात्मक भीमिकी तथा खनिकर्म, इंटर्नली भवन, तथा नायपुर अटल भवन, पिला – रायपुर (अरीसारा) की पत्र लिख किया जाए।

(i) प्रतिवर्षीय 7.5 मीटर लीजी सीमा पट्टी में अवैध उत्तरानन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विकल्प नियमानुसार आवश्यक दण्डावक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौगोलीकी तथा खानिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(ii) गाईन लीज लोड के बाहे और 7.5 मीटर लीजे सेपटी ऊन को युक्त शाम में किये जाने वालानन के कारण पर्यावरण को छोड़ पहुंचाने हेतु छातीशावक पर्यावरण संखाण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) नूरी में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत लीजीय कार्यालय, भारत सरकार, चार्यावल्य, इन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को भेजाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को लाती टमो ओवे रोपेना (टीओआर) (लोक सूनपाई सहित) जारी किया जाए। लाभ ही संचालक, संचालनालय, भौगोलीकी तथा खानिकर्म, हांदावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छातीशावक पर्यावरण संखाण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत लीजीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, इन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

एकोप्ता आयटम इनांक-2

पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम हस्तांतरण तथा अन्य आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में विवेच किया जाना।

1. गेवाली लहमी दिक्षा (प्रो.- लीजी लहमी चंदा), शाम-केन्दुदार, तहसील-सारायपाली, जिला-महाराष्ट्र
अंगनवाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 291590 / 2022, दिनांक 09/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह लादान शाम-केन्दुदार, तहसील-सारायपाली, जिला-महाराष्ट्र के लासता इनांक 25/1, 120/1, 121, 1222, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 134 एवं 135/1, कुल लीज हीज-4.882 हेक्टेयर, मिट्टी (ग्रीष्म खनिय) उत्तरानन लादान क्षमता-4,800 टन प्रतिवर्ष गती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/09/2022 के माध्यम से अंगनवाईन में तहसीली चुटि हीने के अवलम्बन को निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा वैतक में विवाद — लपरीका प्रकारण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को रापन 131वीं फैलक में विवाद किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवी/दसतावेज का लपरीका नियम किया गया। प्राधिकरण द्वारा विमर्श चयनसंसद सम्बन्धमति गी आवेदन को हि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय किया गया। प्रस्ताव को वर्तमान में द्वारा द्वारा नवी/दसतावेज का लपरीका नियम किया गया है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव किया जाता है कि यह भासा लारकार, पर्यावरण, इन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी है।

अधिकृतना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय—समय पर जारी गाइडलाइन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रकल्पक को लदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स लहरी विकास (प्रो.— शीमली लहरी चंदा), शाम—केन्द्रुडार, ताहसील—सारायपाली, ज़िला—महाराष्ट्र
ऑनलाइन आवेदन — प्रणोजन नम्बर — एसआईए / सीजी / आईएनडी 1 / 400012 / 2022, दिनांक 20 / 09 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह लदान शाम—केन्द्रुडार, ताहसील—सारायपाली, ज़िला—महाराष्ट्र के निम्नान्त कागांक 25/1, 120/1, 121, 1222, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 134 एवं 135/1, कुल लीज होते—4.882 हेक्टेयर, जिट्टी (ग्रीन खणिज) उत्पादन रुक्तान शमला—4,800 टन प्रतिवर्ष रही है।

परियोजना प्रकल्पक द्वारा दिनांक 20 / 09 / 2022 के पात्रम से ऑनलाइन में लक्षणीय त्रुटि होने के कारण मार्गिनिंग के रखान पर इफस्ट्रॉइज में आवेदन हो गया है। अतः प्रकल्पक को निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — एपरीका प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 19 / 10 / 2022 को सेम्न 131 की बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती / बस्तायेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार समर्तता सर्वसम्मति से आवेदन को फि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय किया गया। प्रस्ताव को वर्तमान में द्वारा प्रत्यक्ष फि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है क्योंकि परियोजना प्रस्तावको को यह सुझाव दिया जाता है कि यह भास्ता सम्बन्धीय, वर्त और जालवायु परिवर्तन गंभीर द्वारा जारी हुआ है। अधिकृतना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय—समय पर जारी गाइडलाइन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को लदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स सन कटील एप्ल पौधर ग्राहिट लिमिटेड, शाम—बड़ेगुमदा, ताहसील—परखोडा, ज़िला—रायगढ़

ऑनलाइन आवेदन — प्रणोजन नम्बर — एसआईए / सीजी / आईएनडी 1 / 232096 / 2022, दिनांक 10 / 10 / 2022। मेसर्स सामेकरण कटील एप्ल पौधर ग्राहिट लिमिटेड, शाम—बड़ेगुमदा, ताहसील—परखोडा, ज़िला—रायगढ़ को जारी पर्यावरणीय स्थीरता हो गयाई सन कटील एप्ल पौधर ग्राहिट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण —

1. यह परियोजना शाम—बड़ेगुमदा, ताहसील—परखोडा, ज़िला—रायगढ़ के कुल क्षेत्रफल 35 एकड़, जानकार विसार के तहत भर्ती पौधर ब्लॉक (ए एफ बी ली, आधारित) शमला—4 मेगावॉट वी ब मेगावॉट एवं भर्ती पौधर ब्लॉक (बस्तु एवं लार, वी अधारित) शमला—4 मेगावॉट से 6 मेगावॉट की है।

2. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, नन एवं जलवायु परिवर्तन, बीजलय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पश्च छत्तीसगढ़ 2-11011/448/2007-HA/100 दिनांक 13/05/2009 द्वारा युत शोधकल 38 एकड़ खंडल पीवर प्लाट (एएफ.बी.टी. असारिंग) क्षमता-4 मेगावॉट से 8 मेगावॉट एवं अर्मल पीवर प्लाट (डब्ल्यू.एच.आर. बी. असारिंग) क्षमता-4 मेगावॉट से 6 मेगावॉट हेतु मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स नन स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने वाका मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनापरिल प्रमाण पर प्रस्तुत किया गया है।
4. मेसर्स नन स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अदिरोक्ति जारी का पालन किये जाने वाका जापा पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. मेसर्स नन स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के बाय हुये विकाय विलेख की प्रति प्रस्तुत की गई है।
6. कलीसागढ़ पर्यावरण संकाय नंकल, नवा रायपुर अटल नगर की जानन क्षमाक 2707 / TS / CECB / 2020 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 02 / 07 / 2020 द्वारा स्पष्ट आवरण (2 तुका 100 टन प्रतिदिन ग्रीडलआई विल्फ) क्षमता-10,000 टन प्रतिवर्ष, पीवर प्लाट (एएफ.बी.टी. असारिंग) क्षमता-6 मेगावॉट एवं पीवर प्लाट (डब्ल्यू.एच.आर.बी. असारिंग) क्षमता-4 मेगावॉट की लिए जल एवं जाय समाप्ति नवीनीकरण जारी की गई, जिसकी सम्बलि नवीनीकरण दिनांक 08 / 12 / 2020 तक की अपयि हेतु दिया गया।
7. मेसर्स नन स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी बोह औफ रिसोल्युशन की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. मेसर्स नन स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी लीपरेकलो की गुणी प्रस्तुत की गई है।
9. मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पीवर झीक एटीनी की जली प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकाश पर प्राधिकरण की दिनांक 19 / 10 / 2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवती/दसतावेज का अकलीकाल किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि यूकि इस परियोजना को पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, नन एवं जलवायु परिवर्तन, मजालय, पर्यावरण भवन, नड़े दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। अतः मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड, गाम-बहेगुमदा, ताहसील-परायोडा, गिला-रायपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स नन स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transferee) किये जाने हेतु नाम सरकार, पर्यावरण, नन एवं जलवायु परिवर्तन, मजालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली रोड वार्डोंन मार्गे जाने हेतु कौरियोजना प्रस्तावक को हेतु किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विवार विवाही समिति द्वारा निर्णय लिया जाए।

1. गेशनी उमेरवरन स्टील एवं बीबर प्राइवेट लिमिटेड, चानू-बड़गुड़ा, ताहसील-पत्तोड़ा, जिल्हा-सायनगढ़ को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हो गेशनी चानू स्टील एवं बीबर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु भागत सचिवाल, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली से नार्विडोन बंगाले हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में विवेच वार्ता कार्यकारी बी वर्तुरिति के विवेचन में स्वतंत्र का पूर्ण निरीक्षण कर वर्तुरिति से प्राधिकरण को अवगत कराने हेतु श्री किशन शिंह द्वय, सदस्य, राज्य सत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन लमिटेड की अध्यात्मा में श्री. भोगम्बद रघुवीक चानू, सदस्य, राज्य सत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन लमिटेड एवं श्री. मनोज कुमार बोपकर, सदस्य, राज्य सत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा ईश्वरीय अधिकारी ईश्वरीय कार्यकाल, छत्तीसगढ़ पर्यावरण सचिव भड्ल, दायगढ़ को उल्लिखित करते हुये चार सदस्यीय उपसमिति वह गठन किया जाता है। यार सदस्यीय उपसमिति स्वतंत्र का निरीक्षण करेंगी तथा अवगत विविध निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः उपसमिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के समान्तर प्रकाश व पर ज्ञानानी कार्यकारी हो जाएगी।

भागत सचिवाल पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली तथा परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए। साथ ही श्री किशन शिंह द्वय, सदस्य, राज्य सत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, श्री. भोगम्बद रघुवीक चानू, सदस्य, राज्य सत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं श्री. मनोज कुमार बोपकर, सदस्य, राज्य सत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण सचिव भड्ल को प्रत्यक्ष लेखा किया जाए।

वेठक अस्पष्टता कालन के साथ संपन्न हुई।

(आर. चौ. विवाही)

सदस्य सचिव,
राज्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देवासीष दास)

अध्यक्ष,
सदस्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(श्री. दीपक शिंह)

सदस्य

राज्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़